केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(अध्ययन क्रमांक–417)

# जिला गरीबी उन्मूलन परियोजनान्तर्गत संचालित समान रूचि समूहों का मूल्यांकन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

# अनुक्रमणिका


| अध्याय | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | निष्पादक संक्षेप | i - xix |
| प्रथम | परियोजना अवधारणा– मूल्यांकन संरचना | 1 – 10 |
| द्वितीय | प्रगति समीक्षा | 11 – 35 |
| तृतीय | सर्वेक्षण परिणाम | 36 – 73 |
| चतुर्थ | कमियाँ एवं सुझाव | 74 – 90 |
| परिशिष्ट–क | गतिविधिवार व्यय राशि | 91 |
| परिशिष्ट–ख | बजट हैड अनुसार व्यय राशि | 92 |
| परिशिष्ट–ग | गतिविधिवार स्वीकृत उप–परियोजनाओं की संख्या | 93 – 95 |
| परिशिष्ट–घ | परियोजना परिणाम परिदृश्य एक नजर में | 96 – 100 |


———

# उद्‌बोधन

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं आर्थिक असन्तुलन की बढ़ती विषमता को कम कराने हेतु समय–समय पर गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आधारभूत ढ़ांचे के विकास एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्‌देश्य से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये गये, परन्तु इनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण राज्य के 7 गरीब जिलों में विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत, क्षेत्रीय एवं संसाधन आधारित गरीबी को समाप्त एवं सीमित करने हेतु ''जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना''(डी.पी.आई.पी.) जुलाई,2000 से प्रारम्भ की गयी। परियोजनान्तर्गत गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों के समान रूचि समूह गठन कर समूहों की रूचि के अनुरूप निर्मित उप–परियोजनाओं में अचल परिसम्पत्तियों के लिए डी.पी.आई.पी. द्वारा राशि उपलब्ध करायी गयी है। परियोजना संचालन की उपादेयता एवं सफलता के आकलन परिपेक्ष्य में राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन अध्ययन कार्य सम्पादित किया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में परियोजना के संचालन एवं समूहों को स्वीकृत उप–परियोजनाओं में उपलब्ध कराये गये संसाधनों से गतिविधि संचालन में आ रही कठिनाईयों/कमियों को यथास्थान इंगित कर निराकरण हेतु उपयोगी सुझाव दिये गये हैं। आशा है कि प्रतिवेदन में वर्णित सुझावों की क्रियान्विति से परियोजना प्रभावी ढ़ंग से संचालित हो सकेगी एवं संचालन में रूचि रखने वाले कार्यकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : सितम्बर,2007
स्थान : जयपुर

**( वी.श्रीनिवास )**
**शासन सचिव, आयोजना**

# आमुख

ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत, क्षेत्रीय एवं संसाधन आधारित गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य के 7 गरीब जिलों में ''जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना'' जुलाई,2000 से प्रारम्भ की गयी। परियोजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों का समूह गठन कर उनकी रूचि के अनुरूप निर्मित उप–परियोजनाओं में अचल परिसम्पत्तियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी गयी है। परियोजनान्तर्गत आय सृजित, भूमि आधारित, सामुदायिक ढ़ाँचागत कार्य एवं सामाजिक सेवा सम्बन्धी गतिविधियों की उप–परियोजनाओं में समान रूचि समूहों को गैर–सरकारी संगठनों एवं डेयरी संघों के माध्यम से संसाधन उपलब्ध करवाये गये तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से राहत कार्य, ट्यूब वैल एण्ड़ इन्फ्रास्ट्रेक्चर के कार्य भी सम्पादित करवाये गये।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में संकलित सूचनाओं, क्षेत्रीय अवलोकन तथा समूहों के सदस्यों एवं कार्यकारियों से साक्षात्कार के दौरान प्राप्त विचारों का तथ्यों के आधार पर समीक्षा के साथ उनके संरचनात्मक पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। अध्ययन के तथ्यों से जाहिर है कि परियोजना संचालन गाँवों में प्रतिशिष्ठ व सक्रिय गैर–सरकारी संस्थान व कार्यकर्त्ताओं की अपर्याप्तता, धीमी गति से कार्य संचालन, समूहों में असहयोग, असमन्वय एवं मतभेद इत्यादि की कमी देखी गयी। अध्ययन प्रतिवेदन में परियोजना के संचालन में रही कमियों को इंगित कर उपयोगी सुझाव यथास्थान दिये गये हैं। आशा है कि प्रतिवेदन में वर्णित सुझाव परियोजना के संचालन में रूचि रखने वाले कार्यकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : सितम्बर,2007
स्थान : जयपुर

**( जी.आर.पाराशर )**
**निदेशक एवं पदेन उप सचिव**

# निष्पादक संक्षेप

## I. प्रस्तावना :

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आधारभूत ढ़ाँचे के विकास एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल से ही विभिन्न आर्थिक विकासीय योजनाऐं/कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये, परन्तु इनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी। इस संदर्भ में राज्य सरकार विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को समाप्त एवं सीमित करने हेतु राज्य के 7 गरीब जिलों यथा–राजसमन्द, झालावाड़, बांरा, चूरू, दौसा, टोंक एवं धौलपुर में ''जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना'' (डी.पी.आई.पी.) जुलाई,2000 से प्रारम्भ की गयी। परियोजना की प्रारम्भिक समयावधि जुलाई,2000 से दिसम्बर,2005 तक निर्धारित थी जिसे बाद में बढ़ाकर वर्ष 2007 तक कर दी गयी। दिसम्बर,2007 तक कुल रुपये 643.63 करोड़ चरणबद्ध तरीके से विभिन्न गतिविधियों पर व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया।

## II. परियोजना का उद्देश्य :

(i) ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय, संसाधन एवं व्यक्तिगत गरीबी को दूर करना,

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित कर, उनकी क्षमता विकास कर उनको सशक्त करना, एवं

(iii) क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों/इकाईयों की संस्थापना करना।

## III. परियोजना की रूपरेखा :

डीपीआईपी परियोजना मात्र लक्ष्य प्राप्त करने पर आधारित नहीं होकर आवश्यकता पर एवं व्यक्ति विशेष के बजाय समूह की सहभागिता पर आधारित है। इस परियोजना में राशि सीधे समान रूचि समूहों के बैंक खाते पर हस्तान्तरित की जाती है तथा वित्तीय प्रबन्धन एवं कार्य का क्रियान्वयन कार्य समान रूचि समूह करता है। परियोजना संचालन हेतु निर्धारित कार्य योजना अनुसार गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ग्राम प्रवेश के पश्चात् पी.आर.ए. (Participatry Rural Apprisal) आधार पर ग्राम स्तरीय प्रवेश कार्यक्रम का कार्य किया जाता है। गैर–सरकारी संगठन चुनिन्दा 2–3 गाँवों में अपना सामुदायिक सहजकर्त्ता नियुक्त करते हैं। गैर–सरकारी संगठनों को आवंटित क्षेत्र में परियोजना के बारे में प्रथम स्तर पर निम्न प्रयास किये जाते हैं :–

(i) जनता को परियोजना के बारे में जानकारी देना,
(ii) गरीब परिवार की पहचान,
(iii) गरीब परिवारों को समुदाय के रूप में संगठित करना,
(iv) समान रूचि समूहों का गठन करना एवं समूहों की गतिविधियों/ उप–परियोजनाओं का चयन करना,
(v) समूहों की उप–परियोजना तैयार करना, स्वीकृत कराना तथा राशि उपलब्ध कराना, एवं
(vi) समूह में दक्षता के लिए प्रशिक्षण आयोजन करना।

## IV. समूहों के गठन एवं सदस्यों की पात्रता :

(i) लाभान्वित व्यक्ति ''गरीब वर्ग'' का होना चाहिये। वह या तो गरीब परिवारों की सूची में सम्मिलित हो अथवा विशेष चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड़ों की पूर्ति करता हो।
(ii) समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 (न्यूनतम 5 सदस्य) के बीच होनी चाहिए।
(iii) समूह पंजीकृत अथवा गैर–पंजीकृत हो सकता है।
(iv) सदस्यों की एक समान पृष्ठभूमि व रूचि होनी चाहिए।
(v) समूह में एक परिवार का केवल एक ही सदस्य हो सकता है।
(vi) किसी भी समूह में निकट का रिश्तेदार सदस्य नहीं होना चाहिए।
(vii) कोई भी सदस्य एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए।
(viii) समूह कम से कम छः महिने से सक्रिय रूप से अस्तित्व में हो और उसके द्वारा सफलतापूर्वक बचत एवं ऋण रजिस्टर का उपयोग किया गया होना चाहिए।
(ix) समूह द्वारा बैंक में बचत खाता खोलकर संधारण/लेन–देन किया जाना होना चाहिए।
(x) समूह के सदस्यों में वास्तविक जरूरतों एवं परस्पर कार्य करने की भावना होनी चाहिए।

## V. परियोजना का क्रियान्वयन :

राज्य परियोजना निदेशक, डी.पी.आई.पी. के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण में परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है। जिला स्तर पर समस्त कार्य जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के माध्यम से करवाया जाता है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वय समिति गठित है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना प्रबन्धक इसके सदस्य सचिव है तथा जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी [अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)] के अधीन एक अन्य समिति स्वीकृत है जो परियोजना की सामयिक समीक्षा करती है। ग्राम

स्तर पर परियोजना का कार्य ग्राम विकास समिति के माध्यम से करवाया जाता है, इस समिति का अध्यक्ष सरपंच एवं सदस्य सचिव सामुदायिक सहजकर्ता होते हैं। डी.पी.आई.पी. का कार्य गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कराया जाता है। इस कार्य में पंचायत राज संस्थाओं को भी सम्मिलित कर आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाता है।

## VI. संचालित उप–परियोजना/कार्य एवं वित्तीय प्रबन्धन (स्वीकृति) :

परियोजनान्तर्गत गठित प्रत्येक समूह द्वारा एक उप–परियोजना प्रस्तावित की जाती है जिसका अनुमोदन जिला स्तरीय कमेटी/समिति/कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जाता है, गुणावगुण के परिक्षण उपरान्त परियोजना मद में अचल परिसम्पत्तियों के लिए ही राशि स्वीकृत की जाती है। रुपये 13.50 लाख की सीमान्तर्गत इकाई लागत वाली उप–परियोजनाओं के कार्य जिला स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं, इस राशि से अधिक के प्रस्ताव राज्य स्तर पर विश्व बैंक प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से ही स्वीकृत किये जाते हैं। परियोजनान्तर्गत संचालित गतिविधियों को मुख्यतः चार श्रेणी में विभक्त किया गया है, क्रमशः –

### (i) आय सृजन हेतु चिन्हित आर्थिक गतिविधियाँ :

कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निम्न आर्थिक गतिविधियाँ चिन्हित कर कार्यवाही की जाती हैं। चर्म, लकड़ी, सीमेन्ट, कागज, पत्थर एवं लोहे आधारित निर्माण एवं उत्पादन कार्य, शहद, मुर्गी, सुअर, मधुमक्खी पालन कार्य, विभिन्न वाहनों की रिपेयरिंग एवं सर्विस, वर्कशाप कार्य, फल एवं सब्जियों का परिरक्षण, दरी एवं गलीचा बुनाई, खनन कार्य इत्यादि विभिन्न प्रकार के कार्य।

### (ii) भूमि आधारित गतिविधियाँ :

जलग्रहण विकास, एनीकट निर्माण, तालाब निर्माण एवं मरम्मत, सामाजिक वानिकी/नर्सरी विकसित करना, बीहड सुधार कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, लघु सिंचाई परियोजना इत्यादि के कार्य।

### (iii) सामुदायिक ढांचागत कार्य :

सम्पर्क सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, खंरजा एवं नाली निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल निर्माण, सार्वजनिक एनीकट/तालाब निर्माण एवं मरम्मत, पशु विकास केन्द्र, चारागाह विकास।

### (iv) सामाजिक सेवाएं :

महिला कर्मी, दाई प्रशिक्षण, पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम।

कार्य का निष्पादन एवं उप–परियोजना का क्रियान्वयन समूह द्वारा ही किया जाता है। सामुदायिक ढ़ाँचागत निर्माण कार्य ग्राम पंचायत से ही करवाने की प्राथमिकता दी जाती है एवं 3.00 लाख रुपये से ज्यादा की स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण केवल पंचायतों की भूमि पर ही करवाये जाते हैं। चिन्हित् गरीब परिवारों को कुल लागत का 10 प्रतिशत एवं गैर–गरीब परिवारों को 20 प्रतिशत अंशदान देना होता है एवं शेष राशि डी.पी.आई.पी. से उपलब्ध करवायी जाती है। लाभान्वितों का अंशदान नगद/सामग्री या मजदूरी के रूप में देना अनिवार्य है।

## VII. मूल्यांकन की आवश्यकता :

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार ''जिला गरीबी उन्मूलन परियोजनान्तर्गत संचालित समान रूचि समूहों का मूल्यांकन'' अध्ययन कार्य राज्य मूल्यांकन संगठन, राजस्थान, जयपुर द्वारा सम्पादित किया गया।

## VIII. मूल्यांकन के दिशा बिन्दु (उद्देश्य) :

मूल्यांकन अध्ययन के निम्नलिखित दिशा–बिन्दु निर्धारित किये गये :–

(i) कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,
(ii) समान रूचि समूहों के गठन की पात्रता एवं चयनित गतिविधि की उपयुक्तता ज्ञात करना,
(iii) परियोजना अन्तर्गत कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं की भूमिका की सार्थकता ज्ञात करना,
(iv) समूहों को उपलब्ध करायी गयी परिसम्पत्तियों/संसाधनों की भौतिक स्थिति एवं संचालित गतिविधि की क्रियाशीलता एवं वास्तविक स्थिति ज्ञात करना,
(v) संचालित गतिविधि हेतु पूंजीगत एवं कार्यशील पूंजी की उपलब्धता एवं पर्याप्तता का आकलन कर उनकी आर्थिक उपादेयता को ज्ञात करना,
(vi) संचालित समूहों से व्यक्तिगत आय, क्षेत्रीय एवं संसाधन आधारित गरीबी पर पड़े प्रभावों को ज्ञात करना,
(vii) समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत आय में पड़े प्रभाव को ज्ञात करना,
(viii) सामुदायिक ढ़ांचागत कार्यों से हुए सामुदायिक लाभों, बी.पी.एल. परिवारों को मिले लाभों एवं समाज पर पड़े प्रभावों को ज्ञात करना, एवं
(ix) परियोजना संचालन में अनुभूत की गयी कठिनाईयाँ ज्ञात करना एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

IX. **न्यादर्श संरचना :**

इस मूल्यांकन अध्ययन को संस्तरित बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति (स्ट्रेटाफाईड मल्टीस्टेज रेण्ड़म सैम्पलिंग) के आधार पर निम्न प्रकार से चयन किया गया :–

(i) **प्रथम स्तर पर** जिलो में मार्च,2006 तक गठित समूहों से स्वीकृत उप–परियोजनाओं के प्रतिशत को अवरोही क्रम में सूचिबद्ध कर सात जिलों में से 50.00 प्रतिशत जिलों अर्थात् 4 जिलों का वृतीय सुव्यवस्थित न्यादर्श पद्धति (Circular Systamatic Random Sampling) से बारां, झालावाड़, चूरू एवं दौसा का चयन किया गया।

(ii) **द्वितीय स्तर पर** प्रत्येक चयनित जिले से दो–दो पंचायत समितियों(Blocks) का चयन अधिकतम स्वीकृत उप–परियोजनाओं के आधार पर किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल आठ पंचायत समितियों का चयन किया गया।

(iii) **तृतीय स्तर पर** चयनित पंचायत समितियों से ग्रामों का चयन उद्देश्यात्मक पद्धति (Deliberately Random Sampling Method) से किया गया। प्रत्येक चयनित जिले की चयनित पंचायत समितियों से ऐसे तीन ग्रामों का चयन किया गया जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र में कार्यरत अलग–अलग कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा विभिन्न प्रकार की उप–परियोजनाओं के संचालन के साथ–साथ महिला समूहों द्वारा भी उप–परियोजनाएं मार्च,2006 तक संचालित की जा रही थी।

(iv) **चतुर्थ स्तर पर** प्रत्येक चयनित पंचायत समिति क्षेत्र के चयनित तीन ग्रामों में से न्यूनतम आठ समूहों का चयन किया गया। इन आठ समूहों में से 6 उन समूहों का चयन किया गया जिनकी उप–परियोजनाएं मार्च,2006 तक स्वीकृत हो चुकी थी एवं 2 उन समूहों का चयन किया गया जिनकी उप–परियोजनाएं स्वीकृत नहीं हुई थी। इस प्रकार चयनित चारों जिलों में चयनित आठ पंचायत समितियों में न्यूनतम 64 (48 स्वीकृत एवं 16 स्वीकृत नहीं) समूहों का चयन किया जाना था। क्षेत्रीय कार्य के दौरान 70 (56 स्वीकृत एवं 14 स्वीकृत नहीं) समूहों का चयन किया गया।

(v) **अन्तिम स्तर पर** चयनित ग्रामों में संचालित समूह उप–परियोजना के अलावा परियोजनान्तर्गत निर्मित समस्त सामुदायिक ढ़ांचागत कार्यों को भी चयनित मानकर 17 कार्यों का क्षेत्रीय कार्य किया गया।

X. **राज्य स्तरीय प्रगति :**

वर्ष 2000–01 से 2006–07 की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) **परियोजना समयावधि :**

परियोजना निर्धारित समयावधि जून,2000 से दिसम्बर,2005 तक को दो वर्ष बढ़ाकर दिसम्बर,2005 से दिसम्बर,2007 तक की गयी।

(ii) **वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं व्यय राशि :**

- परियोजना लागत राशि रुपये 64363.00 लाख के विपरीत मार्च,2007 तक कुल रुपये 46533.64 (72.30 प्रतिशत) व्यय किये गये।
- मार्च,2007 तक आवंटित राशि रुपये 55915.00 लाख के विपरीत रुपये 48600.48 (86.92 प्रतिशत) लाख प्राप्त किये गये एवं प्राप्त राशि में से मार्च,2007 तक कार्यकारी विभाग द्वारा रुपये 46533.64 लाख (95.75 प्रतिशत) व्यय किये गये।
- वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03 एवं 2005–06 में राशि उपलब्ध होने के पश्चात् काफी कम व्यय किया गया। वर्ष 2003–04 एवं 2006–07 में प्राप्त राशि से ज्यादा व्यय किया गया। व्यय कम होने के मुख्यतः कारण यथा– समूहों द्वारा अंशदान जमा नहीं कराना, परियोजना अवधि में चुनाव होने से राशि जारी नहीं होना, परियोजना के कई स्थानों पर गैर–सरकारी संगठनों का कार्यरत नहीं होना तथा गैर–सरकारी संगठनों की अवधि अनुबन्ध समयानुसार नहीं बढ़ाना, पदों का रिक्त होना एवं पदाधिकारियों के बार–बार परिवर्तन होना अवगत कराया गया।

(iii) **व्यय राशि का मदवार उपयोग :**

- मार्च,2007 तक व्यय की गयी राशि में से 89.41 प्रतिशत राशि सामुदायिक निवेश कोष मद अन्तर्गत समूहों की उप–परियोजना अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ सृजन एवं अन्य सामुदायिक ढ़ाँचागत निर्माण कार्यों पर, 7.12 प्रतिशत राशि संस्थागत क्षमता निर्माण मद अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रबन्धन एवं गैर–सरकारी संगठनों के सेवाओं इत्यादि पर, 3.23 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक संचालन मद पर एवं शेष 0.24 प्रतिशत राशि कन्सलटेन्सी सेवाओं इत्यादि पर व्यय किये गये।
- वर्ष 2000–01 में केवल संस्थागत क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक संचालन मद पर ही व्यय किया गया तथा विकासीय कार्यों पर वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में काफी कम राशि व्यय की गयी तथा वर्ष 2003–04, 2004–05 में बढ़ोत्तरी हुई परन्तु वर्ष 2005–06 में वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 से कम राशि व्यय की गयी। वर्ष 2006–07 में सबसे ज्यादा विकासीय कार्यों अन्तर्गत व्यय किया गया।

## XI. उपयोगिता एवं कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र (UC & CC) :

- परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक व्यय की गयी राशि में से 75.89 प्रतिशत राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये गये।
- मार्च,2007 तक कुल स्वीकृत 20477 उप–परियोजनाओं में से 5950 (29.06 प्रतिशत) उप–परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण कर तत्सम्बन्धित व्यय की गयी राशि का समायोजन कर कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र (**Completation Certificate**) जारी किये गये।

## XII. समान रूचि समूह गठन एवं महिला सहभागिता :

- परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक 22952 समूह गठित किये गये जिनमें 246330 सदस्य बनाये गये जो प्रति समूह औसतन सदस्य संख्या 11 है।
- गठित 22952 समूहों में 8058 (35.11 प्रतिशत) महिला समूह गठित किये गये।
- गठित 22952 समूहों में कुल 246330 सदस्य बनाये गये जिनमें से 111835 (45.40 प्रतिशत) महिला सदस्य बनाये गये।
- 38.90 प्रतिशत समूहों में महिला अध्यक्ष बनायी गयी।
- इस प्रकार राज्य सरकार की जेन्डर परिदृश्य की प्राथमिकता देखते हुए परियोजनान्तर्गत महिलाओं को आर्थिक विकास की धारा से जोड़ने में विभाग का उपयोगी प्रयास रहा है।

## XIII. स्वीकृत उप–परियोजनाएं :

- मार्च,2007 तक स्वीकृत 20477 उप–परियोजनाओं में से 17461 (85.27 प्रतिशत) समूह उप–परियोजनाएं गैर–सरकारी संगठनों एवं शेष 3016 (14.73 प्रतिशत) उप–परियोजनाएं ग्राम पंचायतों की स्वीकृत की गयी।
- गैर–सरकारी संगठनों के द्वारा समूहों की स्वीकृत 17461 उप उप–परियोजनाओं में 77.04 प्रतिशत आय सृजित, 11.68 प्रतिशत भूमि आधारित, 9.29 प्रतिशत सामुदायिक ढ़ाँचागत एवं शेष 1.99 प्रतिशत उप–परियोजनाएं सामाजिक सेवा गतिविधियों/कार्यकलापों की है।
- ग्राम पंचायतों की स्वीकृत 3016 उप–परियोजनाओं में 1982 राहत कार्य एवं शेष 1032 ट्यूवबैल एवं सामुदायिक ढ़ाँचागत कार्यों के हैं।
- स्वीकृत 20477 उप–परियोजनाओं में 75.93 प्रतिशत गैर–सरकारी संगठनों, 7.31 डेयरी संघों, 2.03 प्रतिशत आवासी, 5.05 प्रतिशत ट्यूवबैल एवं ढ़ाँचागत एवं शेष 9.68 प्रतिशत उप–परियोजनाएं राहत कार्यों की हैं।

## XIV. प्रति समूह निवेश :

- प्रति समूह औसतन 2.93 लाख रुपये इकाई लागत की उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी जिनमें से डी.पी.आई.पी. की स्वीकृत राशि 2.49 (84.91 प्रतिशत) लाख रुपये हैं।
- 82.54 प्रतिशत समूहों की 5 लाख रुपये तक, 16.68 प्रतिशत की 5–10 लाख रुपये तक एवं 0.78 प्रतिशत समूहों की उप–परियोजनाएं 10–13.50 लाख रुपये के बीच स्वीकृत की गयी।

## XV. परियोजना समावेशित क्षेत्र की उपलब्धि :

परियोजना क्षेत्र के सातों जिलों के 42 उप–खण्ड़ों के 7039 गाँवों को लाभान्वित किया जाना था। मार्च,2007 तक 5885 (83.61 प्रतिशत) गाँवों को गैर–सरकारी संगठनों एवं 2170 (30.83 प्रतिशत) गाँवों को राजस्थान को–आपरेटिव डेयरी फैडरेशन को आवंटित किये गये। गाँवों के आवंटन की स्थिति के अनुसार 83.61 प्रतिशत गाँवों को गैर–सरकारी संगठन एवं 16.39 प्रतिशत गाँवों को केवल आर.सी.डी.एफ. एवं 14.44 प्रतिशत गाँवों को गैर–सरकारी संगठनों एवं आर.सी.डी.एफ. दोनों को आवंटित किया गया। 16.39 प्रतिशत गाँवों में केवल डेयरी सम्बन्धी गतिविधियाँ ही संचालित होने के कारण अन्य प्रकार की उप–परियोजनाओं में लाभ लेने से वंचित रहे।

## XVI. परियोजना के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि :

परियोजनान्तर्गत राज्य के चिन्हित् सात जिलों में निर्धारित समयावधि पाँच वर्ष में राशि रुपये 64363.00 लाख चरणबद्ध व्यय कर 3.50 लाख बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य के विपरीत राशि रुपये 46533.64 (72.30 प्रतिशत) लाख व्यय कर 2.46 (70.29 प्रतिशत) लाख बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों के समूह गठन किये गये।

## XVII. सर्वेक्षण परिणाम :

### (i) चयनित समूहों का सामान्य विवरण :

- अध्ययन हेतु 56 स्वीकृत उप–परियोजना वाले समूहों का चयन किया गया जिनमें से 22 (39.29 प्रतिशत) समूह महिला समूह एवं शेष 34 (60.71 प्रतिशत) समूह सामान्य वर्ग के है।
- चयनित समूहों के कुल सदस्यों में से 263 (42.42 प्रतिशत) महिला सदस्य है।
- 26.79 समूहों का गठन वर्ष 2001–02, 28.57 प्रतिशत का वर्ष 2002–03, 41.07 का वर्ष 2003–04 एवं शेष 3.57 प्रतिशत समूहों का वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में किया गया।

- चयनित 56 समूहों में से 39 (69.64 प्रतिशत) आय सृजित, 8 (14.29 प्रतिशत) भूमि आधारित एवं शेष 9 (16.07 प्रतिशत) समूहों की उप–परियोजनाएं सामुदायिक ढ़ाँचागत निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों की है।
- आय सृजित 39 समूहों की उप–परियोजनाओं में से 11 पशुपालन यथा– भैंस, गाय एवं बकरी, 8 टेन्ट हाऊस, 5 सिलाई कार्य, 3 गलीचा, 2–2 साबुन निर्माण एवं बैन्ड़बाजा तथा 1–1 साईकिल, आर.सी.सी. शटरिंग, मसाला उद्योग, कशीदा, बुनाई, हाथकरघा, बैलगाड़ी एवं फैन्सी बैग निर्माण की उप–परियोजनाएं हैं।
- भूमि आधारित 8 उप–परियोजनाओं में 6 फव्बारा सिंचाई, 1 कुण्ड़ बागवानी एवं 1 वन प्लानटेशन की उप–परियोजनाएं हैं।
- सामुदायिक ढ़ाँचागत एवं अन्य निर्माण की उप–परियोजनाओं में 5 शौचालय एवं स्नानघर, 3 आवास निर्माण एवं 1 विद्यालय कमरा निर्माण की उप–परियोजनाएं हैं।
- 56 समूहों में से 50 समूहों की उप–परियोजनाओं की कार्यकारी एजेन्सी गैर–सरकारी संगठन, 4 समूहों की डेयरी संघ एवं 2 समूहों की पंचायत समिति/ग्राम पंचायत है।

(ii) **समूहों के सदस्यों की पात्रता :**

- चयनित 56 समूहों के 623 सदस्यों में से 580 (93.10 प्रतिशत) सदस्य बी.पी.एल. चयन सूची में शामिल है एवं शेष 43 (6.90 प्रतिशत) सदस्य वंचित रहे अन्य गरीब परिवारों के सदस्य है।
- शत–प्रतिशत सदस्य एक ही समूह के सदस्य है किसी दूसरे समूह के सदस्य नहीं है।
- शत–प्रतिशत समूहों को एक परिवार का एक ही सदस्य समूह में शामिल है परिवार का दूसरा सदस्य उस समूह का सदस्य नहीं है।
- चयनित 56 समूहों के 623 सदस्य में से 17 (30.36 प्रतिशत) समूहों के 73 (12.72 प्रतिशत) व्यक्ति अन्य समूहों में सम्मिलित होकर (Overlapping) लाभार्जन कर रहे हैं।

(iii) **समूहों की बचत :**

- शत–प्रतिशत समूहों द्वारा बैकों में बचत खाता खुलवाना पाया गया।
- सर्वे दिनांक को 58.93 प्रतिशत समूहों की बचत राशि 5,000 रुपये तक, 14.29 प्रतिशत की 5001–10000 रुपये तक, 5.36 प्रतिशत की 10001–15000 रुपये तक, 7.14 प्रतिशत की 15001–20000 रुपये तक एवं 10.71 प्रतिशत की 20000 रुपये से ज्यादा थी एवं शेष 3.57 प्रतिशत समूहों की बचत राशि की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(iv) **चयनित समूहों की उप–परियोजनाओं में स्वीकृत एवं वितरित राशि :**

- औसतन प्रति समूह 2.61 लाख रुपये स्वीकृत कर 2.50 लाख रुपये वितरित किये गये।
- प्रति सदस्य औसतन 23457 रुपये स्वीकृत कर 22463 रुपये उपलब्ध करवाये गये।
- आय सृजित एवं निर्माण कार्यों की उप–परियोजनाओं में करीब–करीब शत–प्रतिशत स्वीकृत राशि वितरित की गयी। भूमि आधारित उप–परियोजनाओं में 79.80 प्रतिशत राशि ही व्यय की गयी। उप–परियोजनाओं के कार्य अलग प्रवृति के होने के कारण ज्यादा समय लगाया जाना अवगत कराया गया।
- चयनित 56 समूहों में से 48 समूहों की औसतन 1.91 लाख रुपये, 7 समूहों की 6.10 लाख रुपये एवं 1 समूह की 10.68 लाख रुपये की उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। ज्यादा स्वीकृत राशि की उप–परियोजनाएं वन प्लान्टेशन, डेयरी एवं आवास निर्माण की उप–परियोजनाएं हैं।
- डेयरी (भैंस/गाय) एवं आवास निर्माण की उप–परियोजनाओं में प्रति सदस्य औसतन 0.47 लाख रुपये एवं अन्य उप–परियोजनाओं में 0.19 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(v) **समूह गठन से परिसम्पत्ति सृजित होने की समयावधि :**

- समूह गठन से उप–परियोजना स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति के पश्चात् परिसम्पत्ति सृजित करने में ज्यादातर समूहों में 4 माह से ज्यादा तथा उप–परियोजनाओं की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त ज्यादातर समूहों में 4 माह से कम समय में प्राप्त की गयी।

(vi) **पूँजीगत एवं कार्यशील राशि की पर्याप्तता :**

- 5.36 समूहों यथा डेयरी एवं आवास निर्माण में पूँजीगत राशि अपर्याप्त होना अवगत कराया।
- आय सृजित उप–परियोजनाओं के चयनित 39 समूहों में से 11 (28.21 प्रतिशत) समूहों ने सर्वे दिनांक को कार्यशील राशि की आवश्यकता अवगत करायी। इन 11 समूहों में से केवल 2 समूहों ने बैकों से कार्यशील राशि हेतु ऋण लेना अवगत कराया।

(vii) **उप–परियोजनाओं की क्रियान्वयन स्थिति :**

- चयनित 56 उप–परियोजनाओं में से 47 (83.93 प्रतिशत) के स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं शेष 9 (16.07 प्रतिशत) के कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का कार्य किया जा रहा है।
- 45 समूहों का कार्यस्थल निजी भूमि पर, 5 का किराये की दुकानों में एवं 6 समूहों की उप–परियोजनाओं का स्थल सरकारी, वनीय एवं ग्राम पंचायत की भूमि है।
- 21 उप–परियोजनाओं की गतिविधियाँ एक स्थान पर, 16 की बिखरी हुई खेतो पर एवं घर के बाहर एवं शेष 19 समूहों का कार्यस्थल निवास (घर) पर ही होना पाया गया।

(viii) **परिसम्पत्तियों/संसाधनों की उपलब्धता :**

- 56 समूहों में से 53 समूहों के पास सृजित परिसम्पत्तियाँ/संसाधन उपलब्ध पाये गये तथा 3 समूहों के सदस्यों में आपसी विवाद के कारण संसाधनों का बंटवारा कर निवास स्थल पर ले जाना अवगत कराया गया।
- 56 समूहों के 623 सदस्यों में से 587 (94.22 प्रतिशत) सदस्यों के पास सर्वे दिनांक को परिसम्पत्ति/संसाधन उपलब्ध होना, 6 (0.96 प्रतिशत) के पास आंशिक रूप से उपलब्ध होना पाया गया एवं शेष 30 (4.82 प्रतिशत) सदस्यों के पास उपलब्ध नहीं होना पाया गया। संसाधन उपलब्ध नहीं होने वाले सदस्य आय सृजित उप–परियोजनाओं के हैं।

(ix) **परिसम्पत्तियों/संसाधनों की उपयोगिता :**

- 46 (82.14 प्रतिशत) समूहों के संसाधन उपयोग में लिया जाना, 3 (3.36 प्रतिशत) समूहों के आंशिक रूप से उपयोग में लिया जाना एवं शेष 7 (12.50 प्रतिशत) समूहों द्वारा गतिविधियाँ संचालित नहीं किया जाना पाया गया।
- संसाधनों से गतिविधि संचालन नहीं करने के मुख्य कारण यथा कच्चा माल एवं विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण समूहों के सदस्यों को धन्धा नहीं चलने के मद के कारण संचालन हेतु सदस्यों का एक मत नहीं होना, आपसी विवाद, प्रशिक्षण नहीं होना, कार्यशील राशि की कमी, कार्य स्थल की भूमि का विवाद एवं स्वीकृत संसाधन पूर्ण क्रय नहीं किया जाना पाया गया।
- 623 सदस्यों में से 532 (85.39 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा संसाधनों का उपयोग किया जाना एवं शेष 91 (14.61 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।

(x) **परिसम्पत्तियों/संसाधनों के प्रभाव :**

- आय सृजित उप–परियोजनाओं में गतिविधि संचालन से आय में 50.72 प्रतिशत एवं भूमि आधारित उप–परियोजनाओं में 33.52 प्रतिशत बढ़ोत्तरी पायी गयी।
- आय सृजित 38 समूहों के 406 सदस्यों में से 10 (26.32 प्रतिशत) समूहों के 93 (22.91 प्रतिशत) सदस्यों की उप–परियोजनाओं की गतिविधि संचालित किये हुए कम समय होने के कारण एवं सर्वे दिनांक तक उप–परियोजनाओं के स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण संचालित नहीं करने से आय पर प्रभाव नहीं पड़ा, शेष 28 (73.68 प्रतिशत) समूहों के 313 (77.09 प्रतिशत) सदस्यों की आय पर प्रभाव पड़ा।
- संचालित समूहों की गतिविधि से आय पर प्रभाव पड़ने वाले 313 सदस्यों में से 112 (35.78 प्रतिशत) सदस्यों की आय 20,000 रुपये से ज्यादा एवं शेष 201 (64.22 प्रतिशत) सदस्यों की आय 20,000 रुपये से कम पायी गयी।
- भूमि आधारित 8 समूहों के 123 सदस्यों में से किसी भी सदस्य की आय 20,000 रुपये से अधिक नहीं पायी गयी।
- सामुदायिक ढ़ाँचागत आधारभूत सुविधाओं के निर्माण कार्यों से पड़े प्रभाव यथा दूषित वातावरण एवं गंदगी से बचना, स्वच्छता पर अनुकूल प्रभाव पड़ना, आवास सुविधा होना, स्थायी परिसम्पत्ति सृजित होना, सामाजिक स्तर बढ़ना, बच्चों की पढ़ाई में सुविधा, निर्माण के समय रोजगार मिलना, समूह के सदस्यों/ग्रामवासियों से सम्पर्क में आने से सद्भावना में बढ़ोत्तरी होना अवगत कराया गया।

(xi) **मासिक बैठकें एवं अभिलेख संधारण :**

- 69.64 प्रतिशत समूहों द्वारा नियमित बैठकें, 19.64 प्रतिशत द्वारा अनियमित आयोजित करवाना एवं शेष 10.72 प्रतिशत समूहों द्वारा बैठकें आयोजित नहीं करना पाया गया। बैठकें आयोजित करने वाले समूहों द्वारा सर्वे दिनांक को गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा रही थी।
- चयनित समस्त 56 समूहों के द्वारा दो प्रकार के बैंक खाते यथा समूह रख–रखाव बचत खाता एवं परियोजना खाता खुलवाया जाना पाया गया। 91.07 प्रतिशत समूहों के खातों का संचालन नियमित होना पाया गया।
- 83.93 से 87.50 प्रतिशत समूहों द्वारा लेखे एवं रोकड़ बही, लाभार्थी अंशदान स्टॉक रजिस्टर, लेखे सम्बन्धी सदस्यवार अभिलेख, प्राप्ति एवं भुगतान तथा मासिक प्रतिवेदन पत्रावलियाँ संधारित किया जाना पाया गया।

## XVIII. स्वीकृत नहीं उप–परियोजना की स्थिति :

- अध्ययन हेतु मार्च,2006 तक समूहों की स्वीकृत नहीं हुई 14 उप–परियोजनाओं का चयन किया।
- समूह गठन से 14 उप–परियोजनाओं में से 3, 6, 3, 2 उप–परियोजनाएं क्रमशः 3 माह, 3–6 माह, 6–9 माह एवं 9 माह से ज्यादा समयावधि में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी।
- सर्वे दिनांक को चयनित 14 समूहों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

(i) 7 समूहों की उप–परियोजनाएं स्वीकृति स्तर पर है, पूर्व में दस्तावेजों की कमी, नियमित बचत नहीं करने, सदस्यों के उदासीन रहने के कारण लम्बित थी।

(ii) 3 समूह के सदस्य निष्क्रिय रहने, नियमित बचत नहीं करने, दूसरे समूहों में सदस्य बनने के कारण बिखराव की स्थिति में पाये गये।

(iii) 2 समूहों ने समूहों का पुनर्गठन कर उप–परियोजना परिवर्तन कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की है।

(iv) 2 समूहों द्वारा डी.पी.आई.पी. के निर्देशानुसार उप–परियोजनाओं में संशोधन कर वांछित दस्तावेज पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया।

## XIX. सामुदायिक ढ़ाँचागत कार्य :

- अध्ययन हेतु समूहों की उप–परियोजनाओं के अलावा सामुदायिक ढ़ाँचागत निर्माण के करवाये गये 17 कार्यों का चयन किया गया।
- चयनित 17 कार्यों में 4 पेयजल कार्य (ट्यूवबैल, कुआं, हैण्ड़पम्प), 4 खुर्रा/खरंजा निर्माण, 5 भवन निर्माण (आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप–स्वास्थ्य केन्द्र), 2 भवन चारदीवारी एवं शेष 2 कार्य विद्यालय कमरा, बस्ती में शौचालय एवं स्नानघर निर्माण कार्यों के हैं।
- 17 कार्यों पर 26.87 लाख रुपये व्यय किये गये जो प्रतिकार्य औसतन रुपये 1. 58 लाख रुपये हैं।
- समस्त कार्य आवश्यकता के अनुरूप आम सहमति से किया जाना अवगत कराया गया।
- 17 कार्यों में 16 कार्य पूर्ण एवं 1 कार्य अपूर्ण पाया गया।
- पूर्ण निर्मित 16 कार्यों में से 14 कार्यों का उपयोग किया जाना एवं शेष 2 पेयजल ट्यूवबैलों का उपयोग डीजल हेतु राशि की कमी के कारण बन्द होना पाया गया।
- ज्यादातर कार्यों में 90 से 100 प्रतिशत तक बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों की ही रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

- निर्मित कार्यों से परिसम्पत्ति सृजित होना, चारीदीवारी से भवनों की सुरक्षा होना एवं गन्दगी से बचाव होना, खरंजा/खुरा निर्माण से पानी का भराव नहीं होना एवं मिट्टी के कटाव रोकने के साथ–साथ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ना, भवनों के निर्माण से बैठने की सुविधाएं होना एवं बच्चों की पढ़ाई, बीमारी के ईलाज एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने से अनुकूल प्रभाव पड़ना, हैण्ड़पम्प से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं सामुदायिक भवनों से समारोह/बैठकें करने का स्थान उपलब्ध होना अवगत कराया गया।

## XX. ग्राम स्तरीय व्यवस्था :

- 50.00 प्रतिशत ग्रामों में ग्राम विकास संस्था/समिति गठित किया जाना पाया गया। जिन ग्रामों में समिति का गठन नहीं किया गया उन ग्रामों में आवश्यकता पड़ने पर सामुदायिक सहजकर्त्ता द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच का सहयोग लेना एवं समन्वय स्थापित करना अवगत कराया गया।
- क्षेत्रीय अवलोकन में पाया गया कि गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सामुदायिक सहजकर्त्ताओं को गाँवों में स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं एवं समय–समय पर उनका स्थान परिवर्तन करते रहते हैं जिससे गतिविधियाँ नियमित एवं सुचारू रूप से नहीं हो पाती है।

## XXI. गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका एवं खांमियाँ :

- ज्यादातर गैर–सरकारी संगठनों द्वारा काफी धीमी गति से कार्य किया जाना पाया गया।
- समूहों की नियमित बचत पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण उप–परियोजनाओं में अंशदान जमा कराने में ज्यादा समय लगाना पाया गया।
- क्षेत्र की आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में सामुदायिक सहजकर्त्ताओं को नहीं लगाया जाना एवं कार्यरत सहजकर्त्ताओं का समय–समय पर स्थान परिवर्तन करना पाया गया।
- समूहों एवं गैर–सरकारी संगठनों में समन्वय नहीं होने के कारण प्राप्त राशि का समायोजन करवाने में काफी समय लगना पाया गया।
- प्राप्त राशि के यथासमय समायोजन नहीं करवाने के कारण कई समूहों के सदस्यों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण विलम्ब से प्राप्त होना पाया गया।
- कई समूहों की उप–परियोजनाओं का चयन समूह की प्रवृति एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के कारण समूहों द्वारा काफी समय के बाद दूसरी उप–परियोजनाएं चयनित की गयी जिसमें काफी समय व्यतीत हुआ।

- गतिविधि के नियमित संचालन हेतु कार्यशील राशि, कच्चा माल एवं विपणन की समुचित व्यवस्था का अभाव पाया गया।
- कई गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आवंटित क्षेत्र में कुछ समय कार्य करने के बाद निष्क्रिय होना पाया गया जिससे उन गाँवों में परियोजना कार्य लम्बी अवधि तक नहीं हो पाये।
- गैर–सरकारी संगठनों द्वारा समूहों को परिसम्पत्ति/संसाधन उपलब्ध करवाने के पश्चात् नियमित सम्पर्क नहीं किया जाना पाया गया।
- परियोजना क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में गैर–सरकारी संगठनों को नियुक्त नहीं किया गया।
- गैर–सरकारी संगठनों के कार्यों की प्रबोधन व्यवस्था समुचित नहीं है।

## XXII. परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव :

### (i) गैर–सरकारी संगठनों को सक्रिय करना :

परियोजना क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धीमी गति से कार्य किये जा रहे हैं अतः कार्यकारी एजेन्सी स्तर से उनके द्वारा संचालित कार्यकलापों को यथासमय करवाने हेतु पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिये।

### (ii) सामुदायिक सहजकर्त्ताओं की पर्याप्तता :

गैर–सरकारी संगठनों को आवंटित क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सामुदायिक सहजकर्त्ताओं की नियुक्ति नहीं है एवं कार्यरत सहजकर्त्ताओं का पद स्थान भी समय–समय पर परिवर्तन कर दिया जाता है। गाँवों में नियुक्त सहजकर्त्ताओं को समय–समय पर बदला नहीं जाना चाहिए एवं आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में नियुक्त किये जाने चाहिए।

### (iii) स्वरोजगारियों द्वारा अंशदान संग्रहण :

स्वीकृत उप–परियोजनाओं में समूह द्वारा अंशदान राशि ससमय जमा नहीं करवायी जाती है इस हेतु समूह के सदस्यों में नियमित बचत राशि अंशदान जमा करवाने में सहयोगी/उपयुक्त रहेगी।

### (iv) स्व–रोजगारियों को नियमित बचत के प्रति प्रोत्साहित करना :

समूह सदस्यों को बचत के प्रति प्रोत्साहित एवं प्रेरित कराकर बचत करवाने की सुनिश्चित व्यवस्था की आवश्यकता है। संचालित गतिविधियों से सृजित आय को भी समूह के बचत खाते में जमा करवाने हेतु प्रोत्साहित करवाया जाना चाहिए जिससे कार्यशील पूँजी की निरन्तरता बनी रहे।

(v) **गैर–सरकारी संगठनों की सक्रियता :**
समूहों को उपलब्ध करवाये गये संसाधनों के नियमित संचालन करवाने हेतु गैर–सरकारी संगठनों के नियुक्त सामुदायिक सहजकर्त्ताओं को स्वरोजगारियों से नियमित सम्पर्क बनाये रखने की बाध्यता शर्तो के तहत अभिलिखित करवाकर सख्ती से पालना करवायी जानी चाहिये।

(vi) **प्रशिक्षण ससमय देना :**
समूहों को संसाधन उपलब्ध करवाने के पश्चात् ससमय पर प्रशिक्षण नहीं दिलवाया जाता है इस हेतु संसाधन क्रय करवाने के तुरन्त पश्चात् यथासमय प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vii) **समूहों की उप–परियोजनाओं के परिवर्तन पर नियन्त्रण :**
कई समूहों द्वारा उप–परियोजना स्वीकृति के पश्चात् भी उप–परियोजनाओं में परिवर्तन किया जाता है जिससे समूह द्वारा उप–परियोजना संचालन में काफी समय लग जाता है। इस हेतु प्रथम स्तर पर समान रूचि के अनुरूप उप–परियोजनाओं के संचालन की व्यवहारिकता की पुष्टि की जानी चाहिये ताकि बाद में उप–परियोजना परिवर्तन में कोई संभावना नहीं रहे।

(viii) **कार्यशील पूँजी हेतु बैकों का सहयोग सुनिश्चित करना :**
माइक्रो एन्टरप्राईजेज ईकाइयों हेतु बैकों से कार्यशील पूँजी समूहों को उपलब्ध करवाने हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस हेतु राज्य स्तरीय बैकर्स समन्वय समिति की बैठक में एक स्थायी एजेन्ड़ा रखवाकर ऋण उपलब्धता हेतु बैकों को जिम्मेदारी देकर इनकी समुचित मॉनिटरिंग करवायी जानी चाहिये।

(ix) **उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर प्राप्त करना :**
समूहों द्वारा स्वीकृत राशि प्राप्त करने के पश्चात् व्यय की गयी राशि का समायोजन ससमय नहीं करवाये जाने के कारण प्रशिक्षण देने एवं गतिविधि संचालन में विलम्ब होता है अतः राज्य एवं जिला स्तर पर ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(x) **विपणन व्यवस्था का प्रभावी करना :**
कई माइक्रो एन्टरप्राइजेज इकाईयों हेतु कच्चा माल एवं उत्पादन की विपणन व्यवस्था के अभाव में सुचारू रूप से संचालित नहीं होना पाया गया। समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री को विभाग द्वारा शिविर आयोजित करवाकर या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से उत्पादित माल को विक्रय कराने की प्रभावी व्यवस्था की

जानी चाहिये तथा सरकारी प्रतिष्ठान रीको से समन्वय बनाकर इनको यथेष्ट स्थान पर कार्यशाला एवं विपणन हेतु केन्द्र/शॉपिंग काम्पलेक्स/दुकानें उपलब्ध करवायी जानी चाहिये।

(xi) **संसाधनों को संस्थापित रखना :**
राज्य एवं जिला स्तर पर संसाधनों की गुणवत्ता, क्रय व्यवस्था, दुरूपयोग, खुर्दफुर्द करने सम्बन्धी प्राप्त शिकायत पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्यवाही करवाकर प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाना चाहिए।

(xii) **समूहों के स्वरोजगारियों में सहभागिता बनाये रखना :**
समूह के स्वरोजगारी परिसम्पत्ति/संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् कई उप–परियोजनाओं की गतिविधि के सामुहिक दृष्टि से संचालित नहीं करके व्यक्तिगत रूप से ही संचालित करते हैं। अतः गैर–सरकारी संगठनों को समूहों के स्वयंधारणीय संचालन करने तक स्वरोजगारियों में सामन्जस्य, समन्वय एवं सौहार्द बनाये रखने हेतु सक्रिय भूमिका निभाने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिये।

(xiii) **ग्राम विकास समितियों का गठन :**
प्रत्येक ग्रामों में परियोजना की रूपरेखानुसार ग्राम विकास समितियों का गठन करवाकर इनकी सामयिक बैठकें सुनिश्चित की जानी चाहिये। समितियों के प्रभावी ढ़ंग से गठन एवं सक्रिय होने के लिए जिला स्तर पर सतत् पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण की व्यवस्था अपेक्षित है।

(xiv) **गैर–सरकारी संगठनों की पर्याप्तता :**
परियोजना क्षेत्र के समस्त गाँवों को गैर–सरकारी संगठनों को आवंटित नहीं किया गया है। जिलों में पर्याप्त संख्या में प्रतिष्ठित एवं सक्रिय गैर–सरकारी संगठनों का चयन कर सभी गाँवों में परियोजना क्रियान्विति का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिये।

(xv) **स्वीकृत उप–परियोजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना :**
समूहों को संसाधन उपलब्ध करवाने के पश्चात् गतिविधि संचालन की निगरानी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे ससमय शत–प्रतिशत समूहों द्वारा कार्यकलाप प्रारम्भ किये जा सकेगें।

(xvi) **रिकार्ड की सुरक्षा :**
समूह को उनकी बचत मद से एक लोहे का बक्सा खरीदने की अनुमति अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करवायी जानी चाहिये जिससे समूह का रिकार्ड सुरक्षित रखा जा सके।

(xvii) **संसाधनों में गुणवत्ता :**

कुछ इकाईयों में संसाधनों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकवा–शिकायतें रही है। संसाधन क्रय करने के मामले में कई समूहों एवं गैर–सरकारी संगठनों में सही समन्वय/तालमेल नहीं होने के कारण संसाधन क्रय करने में काफी समय लग जाता है अतः संसाधनों के क्रय एवं गुणवत्ता के परिपेक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा किसी एक अधिकारी (विशेषज्ञ) का मनोनयन किया जाना चाहिये।

(xviii) **समूहों का सामयिक निरीक्षण एवं निगरानी व्यवस्था :**

गैर–सरकारी संगठनों के पदाधिकारी केवल संसाधन उपलब्ध कराने तक सक्रिय रहते हैं उसके बाद नियमित सम्पर्क नहीं करने से समूहों के सदस्यों में सहभागिता की कमी हो जाती है एवं कार्यकलाप विवादित हो जाते हैं जिससे गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होता हैं। समूहों के सुसंचालन संदर्भ में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा शत–प्रतिशत समूहों की गतिविधि के सफलतापूर्वक संचालन हेतु परिसम्पत्ति सृजन/संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी निरीक्षण हेतु मानदण्ड़ निर्धारित किये जाने चाहिये।

(xix) **गैर–सरकारी संगठनों के दायित्वों की प्रबोधन व्यवस्था :**

कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उनको आवंटित कार्यों का दायित्व यथासमय नहीं कर काफी धीमी गति से कार्य करते हैं इस हेतु गैर–सरकारी संगठनों के निर्धारित दायित्वों के प्रबोधन की समुचित/कारगर व्यवस्था की जानी चाहिये।

(xx) **परिवारों के अन्य सदस्यों की अन्य समूहों में भागीदारी (Overlapping) पर नियन्त्रण :**

निर्धारित मार्गदर्शिका अनुसार एक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी अन्य समूह के सदस्य बनकर परियोजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे वंचित रहे बी.पी.एल. परिवारों के आर्थिक उन्नयन के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षा को दर्शाता है। इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय अधिकारियों को दायित्व दिया जाना चाहिये कि समूह की उप–परियोजना स्वीकृत करने से पूर्व सदस्यों की वास्तविकता का परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस गाँव में समस्त गरीब परिवारों को समूह में सम्मिलित कर लिया गया है तत्पश्चात् ही परिवारों के अन्य सदस्यों को समूहों में शामिल किया जावें।

(xxi) **लाभान्वित व्यक्तियों की सूची का प्रकाशन किया जाना :**

लाभान्वित व्यक्तियों एवं परिवारों की प्रमाणित सूची सभी सम्बन्धित शासकीय विभागों को पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराये जाने का दायित्व जिला स्तरीय कार्यकारी एजेन्सी को दिया जाना चाहिये जिससे लाभान्वित सदस्य दूसरी शासकीय योजना में पुनः लाभ नहीं ले सके।

(xxii) **बी.पी.एल.सूची के नाम का विलोपीकरण करना :**

जिन सदस्यों की वार्षिक आय में रुपये 20,000 या इससे अधिक की वृद्धि/ उन्नयन होने पर ऐसे सदस्यों के नाम बी.पी.एल. सूची से काटकर जिला परिषद्/ जिला प्रशासन आदि सभी सम्बन्धित को सूचित किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

(xxiii) **समूह के सदस्यों की क्षमता एवं दक्षता के अनुरूप उप–परियोजनाओं का चयन :**

समूहों में ज्यादातर सदस्य अशिक्षित होते हैं, अशिक्षा के कारण व्यावहारिक एवं उचित उप–परियोजनाओं का चयन करने में प्रायः समर्थ नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप बाद में उनको उप–परियोजना परिवर्तन हेतु विवश होना पड़ता है। इस हेतु समूह गठन के समय ही सदस्यों की क्षमता एवं दक्षता को ध्यान में रखकर ही उप–परियोजनाओं का चयन किया जाना चाहिये।

## XXIII. निष्कर्ष :

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना आरम्भ वर्ष 2000–01 से मार्च,2007 तक परियोजना लागत से 72.30 प्रतिशत राशि का व्यय कर 70.29 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि अर्जित की गयी। कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा काफी धीमी गति से गतिविधियों के संचालन करने से कम उपलब्धि अर्जित हुई है तथा समय भी ज्यादा लगा है। योजना क्रियान्विति से सामूहिक आय सृजन के स्थान पर ज्यादातर समूहों में व्यक्तिगत आय सृजन तक ही मुख्यतः सीमित रही है। एक ही परिवार के अन्य व्यक्ति लगभग (13 प्रतिशत) दूसरे समूह के सदस्य बनकर (Overlapping) परिसम्पत्तियाँ अर्जित की है। प्रति सदस्य लगभग रुपये 22,500 की आर्थिक सहायता से संसाधन उपलब्ध कराये गये जिनसे आय सृजित एवं भूमि आधारित उप–परियोजना में लाभान्वित परिवारों की आय में क्रमशः 50.72 एवं 33.52 प्रतिशत इजाफा होना पाया गया। माइक्रो एन्टरप्राइजेज इकाई हेतु कार्यशील राशि, कच्चा माल एवं विपणन की समुचित व्यवस्था का अभाव देखा गया।

सांराशतः यह परियोजना (DPIP) सीमित दायरे में राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन क्षेत्र में अपनी विशिष्ठ पहचान बनाकर ग्रामीण विकास में सार्थक रही है, परन्तु गाँवों में प्रतिशिष्ठ व सक्रिय गैर–सरकारी संस्थान व कार्यकर्त्ताओं की अपर्याप्तता, धीमी गति से कार्य करने, समूहों में असहयोग, असमन्वयन एवं मतभेद आदि कारणों से परियोजना अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप पल्लवित नहीं हो सकी।

———

# अध्याय – प्रथम

# परियोजना अवधारणा – मूल्यांकन संरचना

1.1.0 **पृष्ठभूमि :**

1.1.1 राज्य की गरीबी एवं आर्थिक असन्तुलन की बढ़ती विषमता के मध्येनजर राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल से ही ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन रोजगार सृजन आधारभूत ढाँचे के विकास एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाऐं/कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये परन्तु इनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी जिनके माध्यम से व्यक्तिगत, क्षेत्रीय एवं संसाधन आधारित गरीबी को समाप्त एवं सीमित किया जा सके। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 7 गरीब जिलों यथा– राजसमन्द, झालावाड़, बारां, चूरू, दौसा, टोंक एवं धौलपुर में विश्व बैंक की सहायता से "जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना" (डी.पी.आई.पी.) जुलाई,2000 से प्रारम्भ की गयी।

1.1.2 परियोजना की समयावधि जुलाई,2000 से दिसम्बर,2005 तक निर्धारित की गयी। परियोजनान्तर्गत पाँच वर्षों में कुल 643.63 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया था जिसमें से प्रथम वर्ष में 40.23, द्वितीय वर्ष में 67.73, तृतीय वर्ष में 122.51, चतुर्थ वर्ष में 214.24 एवं पांचवें वर्ष में 198.92 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का अनुमान लगाया गया था। परियोजना कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण परियोजना समयावधि दिसम्बर,2005 से दिसम्बर,2007 की गयी। यह राशि चरणबद्ध तरीके से संस्थागत क्षमता विकास यथा भवन निर्माण एवं सामुदायिक निवेश के साथ–साथ राज्य एवं जिला स्तरीय प्रबन्धन मद की विभिन्न गतिविधियों पर व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है।

1.2.0 **परियोजना का उद्देश्य :**

1. जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) का उद्देश्य क्षेत्रीय गरीबी, संसाधन गरीबी एवं व्यक्तिगत गरीबी को दूर करना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित कर, उनकी क्षमता विकास कर उनको सशक्त करना।

3. क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों/इकाई की संस्थापना करना।

### 1.3.0 परियोजना की रूपरेखा

### 1.3.1 परियोजना की विशेषताऐं :

(1) यह योजना मात्र लक्ष्य प्राप्त करने पर आधारित नहीं होकर आवश्यकता पर आधारित है।

(2) यह योजना व्यक्ति विशेष के स्थान पर समूह की सहभागिता पर आधारित है।

(3) इस योजना में राशि सीधे समान रूचि समूह के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

(4) इस योजना में वित्तीय प्रबन्धन एवं कार्य का क्रियान्वयन कार्य समान रूचि समूह स्वयं करता है एवं इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य का भुगतान व खर्च इत्यादि का समस्त लेखा–जोखा भी समूह स्तर पर ही रखा जाता है।

### 1.3.2 परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम की क्रियान्वितिः

(1) जनता को परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देना।

(2) गरीब परिवार की पहचान।

(3) गरीब परिवारों को समुदाय के रूप में संगठित करना।

(4) समान रूचि समूहों का गठन करना एवं समूहों की गतिविधि का चयन करना।

(5) समूहों की उप–परियोजना तैयार करना एवं स्वीकृत करना तथा राशि उपलब्ध कराना।

(6) समूह में दक्षता के लिए प्रशिक्षण आयोजन करना।

### 1.4.0 परियोजना का क्रियान्वयन :

1.4.1 राज्य के उप शासन सचिव, डी.पी.आई.पी. इसके पदेन राज्य परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है। जिला स्तर पर समस्त कार्य जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के माध्यम से करवाया जाता है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वय समिति गठित है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना प्रबन्धक इसके सदस्य सचिव है। साथ ही एक स्वीकृत कमेटी जिला स्तर पर अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) के अधीन कार्य करती है जिसमें अन्य विभागों के जिला स्तर के अधिकारी सदस्य है। ग्राम स्तर पर परियोजना का कार्य ग्राम विकास समिति के माध्यम से करवाया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष सरपंच एवं सदस्य सचिव सामुदायिक सहजकर्ता होते हैं। डी.पी.आई.पी. का कार्य गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कराया जाता है। इस कार्य में पंचायत राज संस्थाओं को भी सम्मिलित कर आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाता है।

### 1.5.0 परियोजना में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका :

1.5.1 परियोजना संचालन हेतु निर्धारित कार्य योजना अनुसार गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ग्राम प्रवेश के पश्चात् पी.आर.ए. (Participatry Rural Appraisal) आधार पर ग्राम स्तरीय प्रवेश कार्यक्रम का कार्य किया जाता है। गैर–सरकारी संगठन (जिसे प्रतिवेदन में यत्र–तत्र एन.जी.ओ. से भी सम्बोधित किया गया है) चुनिन्दा 2–3 गाँवों में अपना सामुदायिक सहजकर्ता नियुक्त करते हैं जो गरीब परिवारों को समूह में सामूहिक गतिविधियों के कार्य करने के लाभ की जानकारी देते हैं तथा समान रूचि समूह (सी.आई.जी.) का गठन, उनकी उप–परियोजना तैयार करना, उसको स्वीकृत कराना, समूह के सदस्यों को आवश्यक सहलग्नताएं उपलब्ध कराना, कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करना एवं समूहों के समस्त कार्यों में सहयोग करने का दायित्व हैं। एन.जी.ओ. के पास तकनीकी कार्यों हेतु विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ भी कार्यरत रहते हैं। इस प्रकार एन.जी.ओ. समूह के साथ स्वयं धारणीय होने तक/ उप–परियोजना का प्रबन्धन स्वयं करने योग्य तक सम्पूर्ण कार्य करता है।

### 1.6.0 समान रूचि समूह :

1.6.1 डीपीआईपी योजना की रूपरेखानुसार यह योजना व्यक्ति विशेष के बजाय समूह की सहभागिता पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत गरीबी, क्षेत्रीय गरीबी एवं संसाधन आधारित गरीबी को समाप्त एवं सीमित करने हेतु परियोजना अन्तर्गत गाँव के 10–20 गरीब व्यक्तियों (न्यूनतम 5 सदस्य) का समूह तैयार किया जाता है जो एक ही प्रकार के कार्य को सामूहिक रूप से सम्पादित करने के लिए स्वैच्छा से तैयार हो, ऐसे समान रूचि समूह गठित किये जाते हैं जो कालांत्तर में रिश्तों की जमा पूँजी से निर्विवाद स्वरूचि के व्यवसाय में संलग्न होकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सके। ग्रामीण गरीब व्यक्तियों के समान रूचि समूह को स्वयं सहायता समूह के रूप में शिक्षित एवं विकसित किया जाता है जो अपनी आय से आम सहमति से तय की गयी छोटी राशियों की बचत कर समूह की सामान्य निधि निर्मित करते हैं तथा उस बचत राशि का उपयोग उत्पादन व आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसे समूहों के निर्माण करने से अल्प बचत एवं मितव्ययता की भावना पैदा होती है तथा जमा धनराशि को स्व–निर्णय से उत्पादन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग करने के साथ–साथ आकस्मिक व्यय, उत्पादन एवं उपभोग के लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए भी सक्षम रहते हैं।

### 1.6.2 समूहों के गठन एवं सदस्यों की पात्रता :

(1) लाभान्वित व्यक्ति ''गरीब वर्ग'' का होना चाहिये। वह या तो गरीब परिवारों की सूची में सम्मिलित हो अथवा विशेष चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड़ों की पूर्ति करता हो।

(2) समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 (न्यूनतम 5 सदस्य) के बीच होनी चाहिए।

(3) समूह पंजीकृत अथवा गैर–पंजीकृत हो सकता है।
(4) सदस्यों की एक समान पृष्ठभूमि व रूचि होनी चाहिए।
(5) समूह में एक परिवार का केवल एक ही सदस्य हो सकता है।
(6) किसी भी समूह में निकट का रिश्तेदार सदस्य नहीं होना चाहिए।
(7) कोई भी सदस्य एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए।
(8) समूह कम से कम छः महिने से सक्रिय रूप से अस्तित्व में हो और उसके द्वारा सफलतापूर्वक बचत एवं ऋण रजिस्टर का उपयोग किया गया होना चाहिए।
(9) समूह द्वारा बैंक में बचत खाता खोलकर संधारण/लेन–देन किया जाना होना चाहिए।
(10) समूह के सदस्यों में वास्तविक जरूरतों एवं परस्पर कार्य करने की भावना होनी चाहिए।

### 1.7.0 संचालित उप–परियोजनाएं/कार्य :

1.7.1 परियोजनान्तर्गत गठित प्रत्येक समूह द्वारा एक उप परियोजना प्रस्तावित की जाती है जिसका अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति/कार्यकारी एजेन्सी द्वारा गुणावगुण के परिक्षण उपरान्त स्वीकृत की जाती है, जिसका संचालन सम्बन्धित समूह द्वारा किया जाता है। परियोजना अन्तर्गत ग्रामीण गरीबी को दूर करने हेतु व्यक्तिगत, क्षेत्रीय एवं संसाधन गरीबी के कारणों को ही समाप्त एवं सीमित करने हेतु परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों की उप–परियोजनाएं संचालित की जाती है। कार्यों/गतिविधियों का चयन समूह द्वारा सदस्यों की समान प्रवृति/रूचि के आधार पर स्वैच्छा से किया जाता है। मुख्यतः संचालित गतिविधियों को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है, क्रमश :–

(अ) **आय सृजन हेतु चिन्हित आर्थिक गतिविधियाँ :**

कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निम्न आर्थिक गतिविधियाँ चिन्हित कर कार्यवाही की जाती हैं। चर्म, लकड़ी, सीमेन्ट, कागज, पत्थर एवं लोहे आधारित निर्माण एवं उत्पादन कार्य, शहद, मुर्गी, सुअर, मधुमक्खी पालन कार्य, विभिन्न वाहनों की रिपेयरिंग एवं सर्विस, वर्कशाप कार्य, फल एवं सब्जियों का परिरक्षण, दरी एवं गलीचा बुनाई, खनन कार्य इत्यादि विभिन्न प्रकार के कार्य।

(ब) **भूमि आधारित गतिविधियाँ :**

जलग्रहण विकास, एनीकट निर्माण, तालाब निर्माण एवं मरम्मत, सामाजिक वानिकी/नर्सरी विकसित करना, बीहड सुधार कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, लघु सिंचाई परियोजना इत्यादि के कार्य।

(स) **सामुदायिक ढांचागत कार्य :**
सम्पर्क सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, खंरजा एवं नाली निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल निर्माण, सार्वजनिक एनीकट/तालाब निर्माण एवं मरम्मत, पशु विकास केन्द्र, चारागाह विकास।

(द) **सामाजिक सेवाएं :**
महिला कर्मी, दाई प्रशिक्षण, पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम।

1.8.0 **उप–परियोजनाओं की स्वीकृति (वित्तीय प्रबन्धन) :**

1.8.1 परियोजना मद में अचल परिसम्पत्तियों के लिए ही राशि स्वीकृत की जाती है। कार्यशील पूँजी व चल सम्पत्तियों की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह द्वारा ही की जाती है। परियोजनान्तर्गत 13.50 लाख रुपये तक की इकाई लागत वाली उप–परियोजनाओं के कार्य जिला स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं, इस राशि से अधिक के प्रस्ताव विश्व बैंक प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से ही स्वीकृत किये जाते हैं। प्रत्येक उप–परियोजना कार्य के लिए 90 प्रतिशत तक डीपीआईपी मद से एवं शेष 10 प्रतिशत लाभान्वितों का अंशदान नकद/सामग्री या मजदूरी के रूप में देना अनिवार्य है। उप–परियोजनाओं में गैर–उत्पादकता वाले कार्य (प्रशासनिक/धार्मिक/ राजनैतिक आदि भवन), ग्राम स्तर पर संचालन एवं संधारण नहीं होने वाले कठिन कार्य (आधुनिक/नाजुक उपकरण वाले कार्य), राहत एवं प्रत्यक्ष उपभोक्ता समर्थित कार्य, निजी परिसम्पत्ति का जीर्णोद्धार एवं पुनर्वास या निर्माण के कार्य, भूमि खरीद इत्यादि कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जाते हैं, केवल ऐसे कार्यों के प्रस्ताव ही स्वीकृत किये जाते हैं जो :–

(1) ग्राम स्तर पर गरीबों की मूल जरूरतों पर आधारित हों।

(2) सभी गरीब सदस्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करते हों।

(3) कार्यों के पूर्ण होने पर संचालन एवं रख–रखाव की सुनिश्चित व्यवस्था करते हों।

गठित समूहों द्वारा तैयार की गयी उप परियोजना का जिला स्तर पर परीक्षण कर स्वीकृति जारी की जाती है। आर्थिक इकाई/गतिविधियों के चयन की स्वतन्त्रता समूह को दी गई है। समूह अपनी योग्यता, कार्यक्षमता, दक्षता एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र की उप परियोजना जिला कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें जिला स्तर का कोई दखल या हस्तक्षेप नहीं होता है।

1.9.0 **कार्य निष्पादन व्यवस्था :**

1.9.1 कार्य का निष्पादन एवं उप परियोजना का क्रियान्वयन समूह द्वारा ही किया जाता है। कार्यों का निष्पादन समूह द्वारा स्वयं ही निष्पादन/ग्राम पंचायत के जरिये/ठेकेदार के जरिये करवाया जाता है। सामुदायिक ढांचागत निर्माण कार्य ग्राम पंचायत से ही करवाने की प्राथमिकता दी जाती है एवं 3.00 लाख रुपये से ज्यादा की स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण केवल पंचायतों की भूमि पर ही करवाये जाते हैं। 1.50 लाख से अधिक के कार्य ठेकेदार से कराने की स्थिति में ठेकेदार का राजकीय/पंचायत समिति में पंजीकृत होना आवश्यक होता है तथा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध व 5 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करना आवश्यक है। भूमि आधारित गतिविधियों में कुल लाभान्वित भूमि में लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं एवं विकलांग परिवारों की भूमि 50 से 60 प्रतिशत तक होनी चाहिये। एनीकट के लिए यह भाग 50 प्रतिशत न्यूनतम रखा गया है। चिन्हित् गरीब परिवारों को कुल लागत का 10 प्रतिशत एवं गैर–गरीब परिवारों को 20 प्रतिशत अंशदान देना होता है एवं शेष राशि डीपीआईपी से उपलब्ध करवायी जाती है।

1.10.0 **परियोजना प्रगति :**

1.10.1 यह योजना राज्य के चिन्हित गरीबतम् जिलों यथा–बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक में जुलाई,2000 से संचालित की जा रही है। परियोजना के आरम्भ वर्ष से मार्च,2007 तक 22,952 समान रूचि समूहों का गठन कर 2,46,330 सदस्य बनाये गये जिनमें से 8,058 महिला समूह एवं 1,11,835 महिला सदस्य है। मार्च,2007 तक कुल 20,477 उप परियोजनाएं लागत राशि 60,016.79 लाख रुपये की स्वीकृत की गयी। इस स्वीकृत लागत राशि में से डीपीआईपी के हिस्से की स्वीकृत राशि 50,957.48 लाख रुपये के विपरीत 46,533.64 लाख (91.31 %) रुपये व्यय किये गये। स्वीकृत 20,477 उप–परियोजनाओं में से 15,548 उप–परियोजनाएं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा, 1,496 डेयरी संघ द्वारा, 1034 ग्राम पंचायतों द्वारा ट्यूबवैल एवं आधारभूत सुविधाओं हेतु, 1,982 ग्राम पंचायतों द्वारा राहत कार्य एवं शेष 417 उप–परियोजनाएं आवासीय प्रयोजन से सम्बन्धित है।

1.11.0 **मूल्यांकन की आवश्यकता :**

1.11.1 परियोजना का संचालन विगत छः वर्षों से किया जा रहा है। परियोजना के कार्यकलाप सहभागिता के आधार पर समान रूचि समूहों के माध्यम से करवाये जा रहे हैं। अतः शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार ''जिला गरीबी उन्मूलन परियोजनान्तर्गत संचालित समान रूचि समूहों का मूल्यांकन'' अध्ययन कार्य राज्य मूल्यांकन संगठन, राजस्थान, जयपुर द्वारा सम्पादित किया गया।

1.12.0 **मूल्यांकन के दिशा बिन्दु :**

1.12.1 परियोजनान्तर्गत संचालित समूहों के प्रभावों को ज्ञात करने हेतु मूल्यांकन अध्ययन के निम्नलिखित दिशा–बिन्दु निर्धारित किये गये :–

(1) कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,

(2) समान रूचि समूहों के गठन की पात्रता एवं चयनित गतिविधि की उपयुक्तता ज्ञात करना,

(3) परियोजना अन्तर्गत कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं की भूमिका की सार्थकता ज्ञात करना,

(4) समूहों को उपलब्ध करायी गयी परिसम्पत्तियों/संसाधनों की भौतिक स्थिति एवं संचालित गतिविधि की क्रियाशीलता एवं वास्तविक स्थिति ज्ञात करना,

(5) संचालित गतिविधि हेतु पूंजीगत एवं कार्यशील पूंजी की उपलब्धता एवं पर्याप्तता का आकलन कर उनकी आर्थिक उपादेयता को ज्ञात करना,

(6) संचालित समूहों से व्यक्तिगत आय, क्षेत्रीय एवं संसाधन आधारित गरीबी पर पड़े प्रभावों को ज्ञात करना,

(7) समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत आय में पड़े प्रभाव को ज्ञात करना,

(8) सामुदायिक ढ़ांचागत कार्यों से हुए सामुदायिक लाभों, बी.पी.एल. परिवारों को मिले लाभों एवं समाज पर पड़े प्रभावों को ज्ञात करना, एवं

(9) परियोजना संचालन में अनुभूत की गयी कठिनाईयाँ ज्ञात करना एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.13.0 **मूल्यांकन न्यादर्श प्रक्रियाः**

1.13.1 कार्यकारी विभाग ने जिला गरीबी उन्मूलन परियोजनान्तर्गत समावेशित सातों जिलों में मूल्यांकन अध्ययन करने की अनुशंषा की थी, परन्तु विभाग में सीमित संसाधन होने के कारण उक्त वर्णित परियोजना का मूल्यांकन न्यादर्श आधार पर किया गया। अध्ययन को संस्तरित बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति (स्ट्रेटाफाईड मल्टीस्टेज रेण्ड़म सैम्पलिंग) के आधार पर निम्न प्रकार से चयन किया गया :–

(1) **प्रथम स्तर पर** जिलो में मार्च,2006 तक गठित समूहों से स्वीकृत उप–परियोजनाओं के प्रतिशत को अवरोही क्रम में सूचिबद्ध कर सात जिलों में से 50. 00 प्रतिशत जिलों अर्थात् 4 जिलों का वृतीय सुव्यवस्थित न्यादर्श पद्धति (Circular Systamatic Random Sampling) से बारां, झालावाड़, चूरू एवं दौसा का चयन किया गया।

(2) **द्वितीय स्तर पर** प्रत्येक चयनित जिले से दो–दो पंचायत समितियों(Blocks) का चयन अधिकतम स्वीकृत उप–परियोजनाओं के आधार पर किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल आठ पंचायत समितियों का चयन किया गया जिनका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र.सं. | जिला | पंचायत समिति |
|---|---|---|
| 1. | बारां | शाहबाद |
| | | किशनगंज |
| 2. | झालावाड़ | झालरापाटन |
| | | डग |
| 3. | चूरू | सरदारशहर |
| | | चूरू |
| 4. | दौसा | लालसोट |
| | | बाँदीकुई |

3. **तृतीय स्तर पर** चयनित पंचायत समितियों से ग्रामों का चयन उद्देश्यात्मक पद्धति (Deliberately Random Sampling Method) से किया गया। परियोजनान्तर्गत सामान्य समूहों एवं महिला समूहों की उप–परियोजनाओं में आय–सृजन आधारित, भूमि आधारित, सामुदायिक ढ़ांचागत आधारित एवं सामाजिक सेवाएं आधारित गतिविधियाँ स्वीकृत की गयी तथा समूह की उप–परियोजनाएं गैर–सरकारी संगठनों, डेयरी संघ, ग्राम पंचायतों इत्यादि के सहयोग से भी करवायी गयी है। इसलिए प्रत्येक चयनित जिले की चयनित पंचायत समितियों में ऐसे तीन–तीन ग्रामों का चयन किया गया जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र में कार्यरत अलग–अलग कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा विभिन्न प्रकार की अधिकतम् उप–परियोजनाओं के संचालन के साथ–साथ महिला समूहों द्वारा भी उप–परियोजनाएं मार्च,2006 तक संचालित की जा रही थी।

(4) **चतुर्थ स्तर पर** प्रत्येक चयनित पंचायत समिति क्षेत्र के चयनित तीन ग्रामों में से न्यूनतम आठ समूहों का चयन किया गया। इन आठ समूहों में से 6 उन समूहों का चयन किया गया जिनकी उप–परियोजनाएं मार्च,2006 तक स्वीकृत हो चुकी थी एवं 2 उन समूहों का चयन किया गया जिनकी उप–परियोजनाएं स्वीकृत नहीं हुई थी। स्वीकृत उप–परियोजना वाले समूहों में से 2 महिला समूहों का एवं उप–परियोजना स्वीकृत नहीं होने वाले 2 समूहों में एक महिला समूह का चयन किया गया।

प्रत्येक चयनित जिले की दो पंचायत समितियों से 12 स्वीकृत एवं 4 स्वीकृत नहीं हुई उप–परियोजना वाले समूहों (कुल 16 समूहों) का एवं चयनित चारों जिलो में 48 स्वीकृत एवं 16 स्वीकृत नहीं उप–परियोजनाओं के समूहों कुल न्यूनतम 64 समूहों का चयन किया जाना था, परन्तु जिला दौसा के क्षेत्रीय कार्य दौरान 12 स्वीकृत समूहों के बजाय 20 समूहों की उप–परियोजना एवं स्वीकृत नहीं हुई 4 उप–परियोजना वाले समूहों के बजाय 2 समूहों का चयन किया गया। चूरू, बारां एवं झालावाड़ में 12–12 स्वीकृत एवं 4–4 स्वीकृत नहीं हुई उप–परियोजनाओं वाले समूहों का चयन किया गया। इस प्रकार मूल्यांकन अध्ययन हेतु 56 स्वीकृत एवं 14 स्वीकृत नहीं हुई उप–परियोजना वाले समूहों कुल 70 समूहों का चयन किया गया।

(5) **अन्तिम स्तर पर** चयनित ग्रामों में संचालित समूह उप–परियोजना के अलावा परियोजनान्तर्गत निर्मित समस्त सामुदायिक ढ़ांचागत कार्यों को भी चयनित मानकर 17 कार्यों का क्षेत्रीय कार्य किया गया।

1.14.0 **चयनित न्यादर्श ईकाइयाँ (Sample Units) एक नजर में :**

| क्र.सं. | न्यादर्श विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | चयनित जिले | चार (बारां, झालावाड़, चूरू, दौसा) |
| 2. | चयनित पंचायत समितियाँ | आठ (शाहबाद, किशनगंज, झालरापाटन, डग, सरदारशहर, चूरू, लालसोट, बांदीकुई) |
| 3. | स्वीकृत उप–परियोजनाओं के समान रूची समूह | 56 (263 स्वरोजगारी सदस्य) |
| 4. | स्वीकृत नहीं उप–परियोजनाओं के समान रूची समूह | 14 |
| 5. | सामुदायिक ढ़ांचागत कार्य | 17 |
| 6. | कार्यकारी उत्तरदाता | 58 |

1.15.0 **अध्ययन उपकरण (Tools) :**

1.15.1 विषयगत शीर्षक का मूल्यांकन, सर्वेक्षण की अनुसंधानात्मक विधा को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन हेतु निम्न वर्णित अनुसूचियाँ(Tools) उपयोग में ली गयी, क्रमशः

(1) **प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची में राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति इत्यादि की सूचनाऐं राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई–डी.पी.आई.पी. एवं चयनित जिलों की सूचनाऐं जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई–डी.पी.आई.पी. कार्यालय से प्राप्त की गयी।

(2) **समूह अनुसूची :**
इस अनुसूची में प्रत्येक चयनित समान रूचि समूह के सदस्यों से परियोजना संचालन सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनाऐं संग्रहित की गयी। समूह के सदस्यों के अतिरिक्त परियोजना से सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी परियोजना संचालक के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा व साक्षात्कार उपरान्त उनकी राय एवं प्रतिक्रियाओं का संकलन करवाया गया।

(3) **समूह स्वरोजगारी अनुसूची :**
इस अनुसूची में समूह के सदस्यों के सामान्य विवरण, प्राप्त संसाधन से व्यक्तिगत आय, संसाधनों की उपलब्धता एवं सामुदायिक ढ़ांचागत कार्यों में प्राप्त स्वरोजगार आदि की सूचनाऐं संकलित करवायी गयी।

(4) **सामुदायिक ढ़ांचागत कार्य अनुसूची :**
इस अनुसूची में चयनित ग्राम में योजनान्तर्गत निर्मित सामुदायिक ढ़ांचागत कार्य से सम्बन्धी विभिन्न सूचनाऐं एकत्रित की गयी।

(5) **कार्यकारी अनुसूची :**
इस अनुसूची में परियोजना क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सम्बन्धित अधिकारी/गैर अधिकारियों एवं रूचि रखने वाले व्यक्तियों से साक्षात्कार कर उनकी अभिव्यक्ति/विचार अंकित किये गये। इसमें प्रमुख रूप से जिला परियोजना प्रबन्धक, राजकीय विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों के अधिकारी/कर्मचारी, सरपंच, वार्ड पंच, समूह के पदाधिकारी इत्यादि से साक्षात्कार कर उनके विचार अंकित किये गये।

(6) **अवलोकन अनुसूची :**
क्षेत्रीय कार्य हेतु नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय कर्मचारी से अध्ययन के उद्देश्य/दिशा–बिन्दुवार क्षेत्रीय कार्य के दौरान अवलोकित किये तथ्यों का विवरण के साथ कठिनाईयाँ एवं सुझाव का टिप्पण प्राप्त किया गया।

1.15.2 कार्यकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राज्य एवं जिला स्तरीय प्रलेखीय सूचनाओं के अतिरिक्त अनुसूचियों में प्राप्त सूचनाओं के साथ समूह के पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय व्यक्तियों से अध्ययन संदर्भ में चर्चा एवं परिचर्चा के साथ अनुसंधानकर्ताओं की अवलोकन टिप्पणी के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन टिप्पण/प्रारूपित किया गया है।

1.16.0 **संदर्भ अवधि :**
1.16.1 चयनित जिलों से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना परियोजना प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2005–06 तक तथा राज्य स्तरीय सूचनाऐं परियोजना प्रारम्भ वर्ष से मार्च,2007 तक की प्राप्त की गयी। परिसम्पत्तियों की भौतिक स्थिति, उपयोगिता, अवलोकित तथ्य, कार्यकारियों/समूहों इत्यादि के विचार सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

————

# अध्याय – द्वितीय

# प्रगति समीक्षा

2.1.0 **परियोजना स्वरूप :**

2.1.1 जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) राज्य के सात गरीबतम् जिलों यथा–बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक में जुलाई,2000 से चलायी जा रही है। परियोजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई एवं जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.आई.पी.) के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियन्त्रण में गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से चयनित गाँवों में किया जाता है। सर्वप्रथम गैर–सरकारी संगठन समुदाय गतिशीलता (Community Mobilization) का कार्य करते हैं। इस कार्य में पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित कर परियोजना के बारे में प्रारम्भिक जानकारी दी जाती है। ग्राम प्रवेश के पश्चात् गैर–सरकारी संगठन गाँव में बी.पी.एल. परिवारों को चिन्हित् कर उनको समान रूचि समूह बनाने के लिए प्रेरित करते है। इच्छुक बी.पी.एल. परिवार के सदस्य (एक बी.पी. एल. कार्ड पर एक सदस्य) 10–15 (न्यूनतम 5 सदस्य) एक समान रूचि समूह गठित करते है। गाँव का अगर कोई सदस्य गरीब तथा उनका नाम बी.पी.एल. सूची में नहीं है तो पी–1 फार्म भरकर समूह की सहमति से ग्राम सभा में अनुमोदन के पश्चात् गैर–चयनित परिवार का सदस्य भी समान रूचि समूह का सदस्य बनाया जाता है। इन गठित समान रूचि समूहों का गैर–सरकारी संगठन उप–परियोजना तैयार करता है तथा जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई से स्वीकृति के उपरान्त उप–परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

2.1.2 परियोजनान्तर्गत व्यक्तिगत, क्षेत्रीय एवं संसाधन गरीबी के कारणों को समाप्त एवं सीमित करने हेतु आय सृजित एवं भूमि आधारित गतिविधियों की उप–परियोजनाओं के साथ–साथ सामुदायिक ढ़ाँचागत कार्य एवं सामाजिक सेवा सम्बन्धी उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। गैर–सरकारी संगठनों की उप–परियोजनाओं के अलावा डेयरी संघ, हाऊसिंग, राहत कार्य एवं ट्यूबवैल एण्ड़ इन्फ्रास्ट्रेक्चर के कार्य की उप–परियोजनाएं स्वीकृत कर उनका भी क्रियान्वयन किया गया।

### 2.2.0 परियोजना स्तरीय प्रगति समीक्षा :

2.2.1 परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई–डी.पी. आई.पी. एवं चयनित जिला कार्यालयों से परियोजना समयावधि, परियोजना लागत, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त की गयी। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर परियोजना की प्रगति का समीक्षात्मक विवरण मदवार क्रमशः निम्न प्रकार है :–

### 2.2.2 परियोजना समयावधि :

2.2.2.1 प्रारम्भ में परियोजना का क्रियान्वयन जून,2000 से दिसम्बर,2005 तक की समयावधि निर्धारित किया गया था, परन्तु परियोजनान्तर्गत उपलब्ध अवशेष राशि के उपयोग के मध्येनजर इस समयावधि को दो वर्ष बढ़ाकर दिसम्बर,2005 से दिसम्बर,2007 तक की गयी।

## 2.3.0 वित्तीय प्रगति :

### 2.3.1 वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं व्यय राशि :

2.3.1.1 राज्य स्तरीय कार्यकारी विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार बाह्य आर्थिक सहायता प्राप्त "जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना" (D.P.I.P.) के तहत विश्व बैंक द्वारा कुल परियोजना लागत रुपये 64363.00 लाख के विपरीत वांछित धनराशि का आवंटन प्रतिवर्ष जरिए केन्द्र व राज्य सरकार के राज्य स्तरीय कार्यकारी विभाग को प्राप्त होता रहा है जिसके विरूद्ध परियोजना संचालन पर मार्च,2007 तक कुल रुपये 46533.64 (72.30 प्रतिशत) लाख का व्यय किया जा चुका है। परियोजना क्रियान्वयन हेतु वर्षवार आवंटन राशि, प्राप्त राशि एवं व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

(रूपये लाखों में)

| क्र. सं. | वर्ष | आवंटन राशि | प्राप्त राशि | व्यय राशि | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आवंटन से प्राप्त राशि | प्राप्त राशि से व्यय राशि |
| 1. | 2000–01 | 600.00 | 529.74 | 160.53 | 88.29 | 30.30 |
| 2. | 2001–02 | 1500.00 | 1108.04 | 513.04 | 73.87 | 46.30 |
| 3. | 2002–03 | 3500.00 | 3490.36 | 1,830.25 | 99.72 | 52.44 |
| 4. | 2003–04 | 10315.00 | 10296.43 | 10,793.89 | 99.82 | 104.83 |
| 5. | 2004–05 | 20000.00 | 13322.53 | 12,973.71 | 66.61 | 97.38 |
| 6. | 2005–06 | 10000.00 | 9869.55 | 6,750.59 | 98.70 | 68.40 |
| 7. | 2006–07 | 10000.00 | 9983.83 | 13,511.63 | 99.84 | 135.34 |
| | **योग** | **55915.00** | **48600.48** | **46,533.64** | **86.92** | **95.75** |

2.3.1.2 उपरोक्त तालिका के समंकों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि :–

(i) परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक आवंटित कुल राशि रुपये 55915.00 लाख रुपये के विपरीत 48600.48 (86.92 प्रतिशत) लाख रुपये प्राप्त किये गये। वर्ष 2004–05 में आवंटित राशि से सबसे कम 66.61 प्रतिशत एवं वर्ष 2006–07 में सबसे ज्यादा 99.84 प्रतिशत राशि प्राप्त की गयी।

(ii) कार्यकारी विभाग ने प्राप्त राशि रुपये 48600.48 लाख रुपये में से मार्च,2007 तक रुपये 46533.64 (95.75 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये गये। परियोजना के प्रारम्भिक तीनों वर्षों 2000–01, 2001–02 एवं 2002–03 में प्राप्त राशि के विपरीत 30.30 प्रतिशत से 52.44 प्रतिशत राशि के बीच एवं वर्ष 2005–06 में 68.40 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। प्राप्त राशि से वर्ष 2003–04 एवं 2006–07 में क्रमशः प्राप्त राशि से अधिक व्यय किया गया जो क्रमशः 104.83 एवं 135.34 प्रतिशत है।

(iii) व्यय की गयी राशि रुपये 46533.64 लाख में से वर्ष 2000–01 में 160.53 (0.35 प्रतिशत) लाख रुपये, वर्ष 2001–02 में 513.04 (1.10 प्रतिशत) लाख रुपये, वर्ष 2002–03 में 1830.25 (3.93 प्रतिशत) लाख रुपये, वर्ष 2003–04 में 10793.89 (23.20 प्रतिशत) लाख रुपये, वर्ष 2004–05 में 12973.71 (27.88 प्रतिशत) लाख रुपये, वर्ष 2005–06 में 6750.59 (14.51 प्रतिशत) लाख रुपये एवं वर्ष 2006–07 में 13511.63 (29.03 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये गये। इस प्रकार परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03 एवं 2005–06 में राशि उपलब्ध होने के पश्चात् भी काफी कम व्यय किया गया केवल वर्ष 2003–04 एवं 2006–07 में प्राप्त राशि से अधिक व्यय किया गया।

(iv) व्यय कम होने के कार्यकारी विभाग एवं चयनित जिलों के प्रभारियों द्वारा मुख्यतः निम्न कारण अवगत कराये गये :–

- समान रूचि समूहों द्वारा लाभार्थी अंशदान जमा नहीं कराने के कारण स्वीकृत उप परियोजनाओं में राशि जारी नहीं होना,
- परियोजना अवधि में विभिन्न चुनाव सम्पन्न होने से राशि जारी नहीं होना,
- परियोजना के कई स्थानों पर गैर सरकारी संगठनों का कार्यरत नहीं होना तथा गैर सरकारी संगठनों की अवधि अनुबन्ध समयानुसार नहीं बढ़ाना,
- राज्य परियोजना प्रबन्ध ईकाई एवं जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयों में पदों का रिक्त रहना तथा पदाधिकारियों का बार–बार परिवर्तन होना,

- कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धीमी गति से कार्य करना यथा व्यय राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर नहीं भिजवाना, उप–परियोजनाएं तैयार कर स्वीकृति हेतु भिजवाने में काफी समय लगाना, समूहों का बार–बार पुनर्गठन करना एवं उप–परियोजनाएं परिवर्तन करना,
- परियोजना क्षेत्र में अकाल की स्थिति से बी.पी.एल. परिवारों का पलायन करना, एवं
- कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आवंटित क्षेत्र/गाँवों में कार्य बन्द करना।

### 2.3.2 व्यय राशि का मदवार उपयोग :

2.3.2.1 परियोजनान्तर्गत प्राप्त राशि को संस्थागत क्षमता निर्माण, सामुदायिक निवेश कोष तथा राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक संचालन मदों पर व्यय किया जाता है। संस्थागत क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण प्रबन्धन, प्रशिक्षण के खर्चे एवं गैर–सरकारी संगठनों की सेवाओं के व्यय, सामाजिक निवेश कोष में कृषि सम्बन्धी ग्रामीण आधारभूत के निर्माण कार्य, सामाजिक सेवाओं, लघु निर्माण एवं लघु उद्यमों के व्यय, प्रशासनिक संचालन में कार्यकारियों के वेतन, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता एवं अन्य खर्चों के व्यय तथा अन्य व्यय में कन्सलटेन्सी इत्यादि सेवाओं के व्यय शामिल हैं। मार्च,2007 तक रुपये 46,533 लाख व्यय किये गये जिनमें रुपये 2560 लाख रिकवरी भी शामिल है। गतिविधि एवं उप मदवार विवरण **परिशिष्ट–क** पर उपलब्ध है। मदवार व्यय राशि की प्राप्त सूचना का वर्षवार संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि रुपये लाखों में)

| क्र. सं. | वर्ष | मदवार व्यय राशि | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संस्थागत क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण, एनजीओ का व्यय) | सामुदायिक निवेश कोष (परिसम्पत्ति सृजित व्यय) | प्रशासनिक संचालन | | अन्य (कन्सलटेन्सी सेवाओं इत्यादि) | योग |
| | | | | राज्य स्तरीय | जिला स्तरीय | | |
| 1. | 2000–01 | 53 | – | 46 | 54 | 7 | 160 |
| 2. | 2001–02 | 119 | 264 | 34 | 93 | 3 | 513 |
| 3. | 2002–03 | 180 | 1483 | 39 | 106 | 22 | 1830 |
| 4. | 2003–04 | 454 | 10079 | 55 | 119 | 87 | 10794 |
| 5. | 2004–05 | 624 | 11938 | 70 | 187 | 155 | 12974 |
| 6. | 2005–06 | 1005 | 5672 | 92 | 200 | –218 | 6751 |
| 7. | 2006–07 | 879 | 12168 | 132 | 276 | 56 | 13511 |
| | **योग** | **3314** | **41604** | **468** | **1035** | **112** | **46533** |
| | **कुल व्यय से प्रतिशत** | **7.12** | **89.41** | **1.01** | **2.22** | **0.24** | **100.0** |

2.3.2.2 उपरोक्त तालिका के समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) परियोजनान्तर्गत मार्च,2007 तक व्यय की गयी राशि में से 7.12 प्रतिशत राशि संस्थागत क्षमता निर्माण में, 89.41 प्रतिशत राशि सामुदायिक निवेश कोष (परिसम्पत्तियाँ सृजित करने), 1.01 प्रतिशत राज्य स्तरीय प्रशासनिक संचालन, 2.22 प्रतिशत जिला स्तरीय प्रशासनिक संचालन एवं शेष 0.24 प्रतिशत राशि अन्य विविध खर्चों पर व्यय की गयी।

(ii) वर्ष 2000–01 में केवल राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक संचालन सम्बन्धी मद पर व्यय किया गया। वास्तविक रूप से योजना अन्तर्गत विकासीय कार्य यथा– संस्थागत क्षमता निर्माण एवं सामुदायिक निवेश कोष पर व्यय वर्ष 2001–02 में किया गया एवं वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में इन दोनों मदों पर कम राशि ही व्यय की गयी। इस प्रकार परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2000–01, 2001–02 एवं 2002–03 में काफी धीमी गति से किया गया। व्यय कम होने का मुख्य कारण गैर–सरकारी संगठनों की परियोजना क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अनुबन्ध नहीं होना एवं कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धीमी गति से कार्य करना अवगत कराया गया।

(iii) राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक संचालन तथा अन्य विविध मद में वर्ष 2000–01 से प्रतिवर्ष व्यय राशि में बढ़ोत्तरी हुई जहाँ राज्य स्तरीय प्रशासनिक संचालन, जिला स्तरीय प्रशासनिक संचालन एवं अन्य विविध खर्चों की व्यय राशि वर्ष 2000–01 में क्रमशः राशि रुपये 46, 54 एवं 7 लाख रुपये हुये थे जो बढ़कर वर्ष 2006–07 में क्रमशः राशि रुपये 132, 276 एवं 56 लाख हो गये।

(iv) संस्थागत क्षमता निर्माण में वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04 में कम राशि व्यय की गयी जो क्रमशः रुपये 53, 119, 180 एवं 454 लाख है एवं वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 में क्रमशः रुपये 624, 1005, 879 लाख व्यय किये गये।

(v) सामुदायिक निवेश कोष मद (परिसम्पत्तियाँ सृजित करने में) में भी वर्ष 2000–01 में कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2001–02, 2002–03 में क्रमशः रुपये 264 एवं 1483 लाख एवं वर्ष 2005–06 में रुपये 5672 लाख तथा वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 में रुपये 10079, 11938 एवं 12168 लाख रुपये व्यय किये गये।

(vi) समेकित निष्कर्ष है कि परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में केवल संस्थागत क्षमता निर्माण राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक संचालन मद पर ही व्यय हुआ है एवं विकासीय कार्यों में वर्ष 2001–02 से प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 2001–02, 2002–03 में काफी कम राशि व्यय की गयी तथा वर्ष 2003–04, 2004–05 में व्यय राशि में बढ़ोत्तरी हुई, परन्तु वर्ष 2005–06 में व्यय की गयी राशि वर्ष 2003–04, 2004–05 से कम रही। वर्ष 2006–07 में सबसे ज्यादा व्यय विकासीय कार्यों अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ सृजित करने एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक निवेश कोष मद पर व्यय कर वित्तीय प्रगति अर्जित की गयी। परियोजनान्तर्गत निर्धारित वित्तीय मद (बजट हैड) के अनुसार व्यय राशि का विवरण **परिशिष्ट–ख** पर उपलब्ध है।

### 2.3.3 जिलेवार एवं वर्षवार व्यय राशि :

2.3.3.1 परियोजना के प्रारम्भ वर्ष से मार्च,2007 तक व्यय की गयी राशि रुपये 46533.64 लाख में से वर्षवार एवं जिलेवार व्यय की गयी राशि का संकलित विवरण निम्न तालिका में उपदर्शित किया जा रहा है :–

**(रुपये लाखों में)**

| क्र. सं. | वर्षवार व्यय राशि | | | जिलेवार व्यय राशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष | व्यय राशि | प्रतिशत | जिला | व्यय राशि | प्रतिशत |
| 1. | 2000–01 | 160.53 | 0.35 | बारां | 5830.09 | 12.53 |
| 2. | 2001–02 | 513.04 | 1.10 | चूरू | 4290.00 | 9.22 |
| 3. | 2002–03 | 1830.25 | 3.93 | दौसा | 6278.62 | 13.49 |
| 4. | 2003–04 | 10793.89 | 23.20 | धौलपुर | 5354.16 | 11.50 |
| 5. | 2004–05 | 12973.71 | 27.88 | झालावाड़ | 7663.21 | 16.47 |
| 6. | 2005–06 | 6750.59 | 14.51 | राजसमन्द | 7365.72 | 15.83 |
| 7. | 2006–07 | 13511.63 | 29.03 | टोंक | 7715.46 | 16.58 |
| 8. | | | | राज्य स्तरीय इकाई | 2036.38 | 4.38 |
| | **योग** | **46533.64** | **100.00** | | **46533.64** | **100.00** |

2.3.3.2 उपरोक्त तालिका के समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) परियोजना अन्तर्गत मार्च,2007 तक व्यय की राशि रुपये 46533.64 लाख में से परियोजना आरम्भ के तीन वर्षों अर्थात् मार्च,2003 तक केवल रुपये 2503.82 (5.38 प्रतिशत) लाख ही व्यय किये गये एवं शेष राशि रुपये 44029.82 (94.62 प्रतिशत) लाख अन्तिम चार वर्षों अर्थात् अप्रेल,2003 से मार्च,2007 तक किये गये। इन चार वर्षों में भी वर्ष 2005–06 में कम राशि व्यय की गयी जो 14.51 प्रतिशत है। सात वर्षों में से केवल तीन वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2006–07 में 80.11 प्रतिशत राशि व्यय की गयी तथा शेष चार वर्ष्ज्ञ में 19.89 प्रतिशत राशि व्यय की गयी।

(ii) मार्च,2007 तक व्यय की गयी राशि में से 4.38 प्रतिशत राशि राज्य स्तरीय इकाई द्वारा एवं शेष 95.62 प्रतिशत राशि जिला स्तरीय ईकाइयों द्वारा व्यय की गयी। सबसे कम राशि जिला चूरू एवं धौलपुर में क्रमशः 9.22 एवं 11.50 प्रतिशत तथा सबसे ज्यादा राशि जिला टोंक एवं झालावाड़ में क्रमशः 16.58 एवं 16.47 प्रतिशत राशि व्यय की गयी, शेष तीनों यथा– राजसमन्द, दौसा एवं बारां में क्रमशः 15.83, 13.49 एवं 12.53 प्रतिशत राशि व्यय की गयी।

### 2.3.4 उपयोगिता एवं कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र (UC & CCs) प्रगति :

2.3.4.1 परियोजना प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से वर्ष 2006–07 तक व्यय की गयी राशि के भिजवाये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि की प्राप्त सूचना विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि रुपये लाखों में)

| वर्ष | व्यय राशि | उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2000–01 | 160.53 | 140.18 | 87.32 |
| 2001–02 | 513.04 | 448.34 | 87.39 |
| 2002–03 | 1830.25 | 1553.10 | 84.86 |
| 2003–04 | 10793.89 | 9203.52 | 85.27 |
| 2004–05 | 12973.71 | 10967.12 | 84.53 |
| 2005–06 | 6750.59 | 5724.59 | 84.80 |
| 2006–07 | 13511.63 | 7276.70 | 53.86 |
| **योग** | **46533.64** | **35313.55** | **75.89** |

2.3.4.2 उपरोक्त तालिका के समंकों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि :–

(i) परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक व्यय की गयी राशि में 75.89 प्रतिशत राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवाये गये।

(ii) वर्ष 2006–07 में सबसे ज्यादा राशि रुपये 13511.63 लाख व्यय किये गये परन्तु इस वर्ष सबसे कम 53.86 प्रतिशत राशि के एवं वर्ष 2000–01 से 2005–06 तक 84.53 प्रतिशत से 87.39 प्रतिशत राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवाये गये।

(iii) परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक प्रत्येक वर्ष में व्यय की गयी राशि में किसी भी वर्ष के मार्च,2007 तक शत–प्रतिशत राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भिजवाये गये। अतः विभाग द्वारा व्यय की गयी शत–प्रतिशत राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु समुचित कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

## पूर्ण कार्यों के प्रमाण–पत्र (Completation Certificate) की स्थिति

2.3.4.3 मार्च,2007 तक स्वीकृत उप–परियोजनाओं में से कार्य पूर्ण उप–परियोजनाओं सम्बन्धित प्राप्त सूचना का जिलेवार संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| क्र. सं. | जिला | मार्च,2007 तक स्वीकृत एवं कार्य पूर्ण की गयी उप–परियोजनाओं की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कुल स्वीकृत उप–परियोजनाओं की संख्या | कार्य पूर्ण की गयी (C.C.) उप–परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत |
| 1. | बारां | 3179 | 956 | 30.07 |
| 2. | चूरू | 3219 | 943 | 29.29 |
| 3. | दौसा | 2720 | 654 | 24.04 |
| 4. | धौलपुर | 1667 | 690 | 41.39 |
| 5. | झालावाड़ | 3873 | 1416 | 36.56 |
| 6. | राजसमन्द | 2871 | 831 | 28.94 |
| 7. | टोंक | 2948 | 460 | 15.60 |
| | **योग** | **20477** | **5950** | **29.06** |

2.3.4.4 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मार्च,2007 तक कुल स्वीकृत 20477 उप–परियोजनाओं में से 5950 (29.06 प्रतिशत) उप–परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण कर तत्सम्बन्धित व्यय की गयी राशि का समायोजन कर कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र (Completation Certificate) जारी किये जा चुके हैं। जिला धौलपुर एवं झालावाड़ में सबसे ज्यादा क्रमशः 41.39 एवं 36.56 प्रतिशत तथा जिला टोंक एवं दौसा में सबसे कम 15.60 एवं 24.04 प्रतिशत एवं शेष तीन जिलों राजसमन्द, चूरू एवं बारां में क्रमशः 28.94, 29.29 एवं 30.07 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण कर व्यय राशि का समायोजन किया गया। स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र जारी करने सम्बन्धी कार्य की प्रगति धीमी रही है। विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करवाने एवं व्यय राशि के समायोजन सम्बन्धी कार्य हेतु समुचित कार्य योजना तैयार की जानी चाहिये।

2.3.5 **स्वीकृत उप–परियोजनाओं की वर्षवार वित्तीय प्रगति :**

2.3.5.1 परियोजना के तहत स्वीकृत उप–परियोजनाओं की लागत, उसमें डी.पी.आई.पी. का हिस्सा एवं स्वीकृत राशि में से डी.पी.आई.पी. द्वारा जारी राशि एवं व्यय राशि सम्बन्धी प्राप्त सूचना का वर्षवार संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

**(राशि रुपये लाखों में)**

| **वर्ष** | **स्वीकृत उप–परियोजनाओं की लागत राशि** | **स्वीकृत लागत राशि में से डीपीआईपी की हिस्सा राशि *** | **डी.पी.आई.पी. की हिस्सा राशि के विपरित व्यय की गयी राशि #** |
|---|---|---|---|
| 2000–01 | 31.64 | 25.98<br>(82.11) | – |
| 2001–02 | 1081.85 | 961.79<br>(88.90) | 264<br>(27.47) |
| 2002–03 | 1351.84 | 1176.93<br>(87.06) | 1483<br>(89.41) |
| 2003–04 | 14693.26 | 12068.91<br>(82.14) | 10079<br>(126.00) |
| 2004–05 | 20606.23 | 17069.96<br>(82.84) | 11938<br>(69.94) |
| 2005–06 | 7561.55 | 6556.71<br>(86.71) | 5672<br>(86.52) |
| 2006–07 | 16315.56 | 14325.72<br>(87.88) | 12168<br>(84.94) |
| निरस्त की गई | (–) 1625.14 | (–) 1228.52 | – |
| **योग** | **60016.79** | **50957.48<br>(84.91)** | **41604<br>(81.65)** |

**कोष्ठक ( ) में प्रतिशत अंकित है।**

***** *– लागत राशि से डी.पी.आई.पी. का हिस्सा राशि का प्रतिशत*

**#** *– डीपीआईपी हिस्सा राशि से व्यय की गयी राशि का प्रतिशत*

2.3.5.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि :–

(i) वर्ष 2000–01 में उप–परियोजनाएं स्वीकृत कर डी.पी.आई.पी. द्वारा राशि जारी की गयी परन्तु इस वर्ष स्वीकृत उप–परियोजनाओं में राशि व्यय नहीं की गयी।

(ii) मार्च,2007 तक उप–परियोजनाओं की स्वीकृत राशि में से डी.पी.आई.पी. का हिस्सा 84.91 प्रतिशत रहा।

(iii) डी.पी.आई.पी. हिस्सा राशि में से मार्च,2007 तक 81.65 प्रतिशत व्यय किये गये।

(iv) समेकित निष्कर्ष है कि परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत उप–परियोजनाओं में मार्च,2007 तक डी.पी.आई.पी. द्वारा अपनी हिस्सा राशि रुपये 50957.48 लाख में से रुपये 41604 (81.65 प्रतिशत) लाख का ही उपयोग किया गया है। इससे स्पष्ट है कि स्वीकृत उप–परियोजनाओं में स्वीकृत राशि व्यय नहीं किये जाने के कारण शत–प्रतिशत परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं हुआ है। परियोजनान्तर्गत सामुदायिक निवेश कोष द्वारा समान रूचि समूहों का परिसम्पत्तियाँ सृजित करवाने का ही मुख्य उद्देश्य था। अतः विभाग द्वारा स्वीकृत उप–परियोजनाओं में स्वीकृत शत–प्रतिशत राशि का उपयोग कर शत–प्रतिशत सम्पत्तियाँ सृजित करवाने हेतु समुचित प्रबोधन व्यवस्था की जानी चाहिये।

## 2.4.0 परियोजना स्तरीय भौतिक प्रगति :

### 2.4.1 वर्षवार गठित समान रूचि समूह की प्रगति एवं महिला सहभागिता :

2.4.1.1 परियोजना प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से वर्ष 2006–07 तक वर्षवार कुल गठित समान रूचि समूहों, महिला समूहों का गठन एवं समूहों में सदस्यों की संख्या सम्बन्धी प्राप्त सूचना का संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| वर्ष | कुल गठित समान रूचि समूह संख्या | गठित समूहों की कुल सदस्य संख्या (प्रति समूह औसतन सदस्य) | महिला समान रूचि समूहों के गठन की संख्या (कुल समूहों से महिला समूहों का प्रतिशत) | कुल महिला सदस्य संख्या (प्रति समूह औसतन सदस्य) | महिला अध्यक्षों की संख्या (महिला समूहों से अध्यक्षों का प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | 360 | 3654<br>(10) | 26<br>(7.22) | 365<br>(1) | 27<br>(103.85) |
| 2001–02 | 606 | 5890<br>(10) | 133<br>(21.95) | 2838<br>(5) | 204<br>(153.38) |
| 2002–03 | 2323 | 19632<br>(8) | 821<br>(35.34) | 8532<br>(4) | 853<br>(103.90) |
| 2003–04 | 6364 | 67021<br>(11) | 2698<br>(42.39) | 33673<br>(5) | 2870<br>(106.38) |
| 2004–05 | 8950 | 96144<br>(11) | 3442<br>(38.46) | 47583<br>(5) | 3675<br>(106.77) |
| 2005–06 | 2559 | 32325<br>(13) | 568<br>(22.22) | 12446<br>(5) | 746<br>(131.34) |
| 2006–07 | 1790 | 21664<br>(12) | 370<br>(20.67) | 6398<br>(4) | 553<br>(149.46) |
| **योग** | **22952** | **246330<br>(11)** | **8058<br>(35.11)** | **111835<br>(5)** | **8928<br>(110.80)** |

2.4.1.2 उपरोक्त तालिका के समंको के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(i) परियोजना अन्तर्गत गठित समान रूचि समूहों में औसतन सदस्यों की संख्या 11 पायी गयी।

(ii) गठित 22952 समान रूचि समूहों में 8058 (35.11 प्रतिशत) महिला समूह गठित किये गये।

(iii) गठित 22952 समूहों में कुल 246330 सदस्य बनाये गये जिनमें से 111835 (45.40 प्रतिशत) महिला सदस्य बनाये गये।

(iv) गठित 22952 समूहों में से 8928 (38.90 प्रतिशत) समूहों में महिला अध्यक्ष बनाये गये। 8058 महिला समूहों के विपरीत 8928 (110.80 प्रतिशत) समूहों में महिला अध्यक्ष बनाये गये अर्थात् 10.81 प्रतिशत सामान्य समूहों की अध्यक्ष भी महिलाएं है।

(v) समेकित निष्कर्ष है कि परियोजना प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक गठित समूहों में से 35.11 प्रतिशत महिला समूह बनाये गये, जबकि महिला सदस्यों की सहभागिता कुल गठित समूहों में 45.40 प्रतिशत सदस्यों एवं 38.90 प्रतिशत समूहों की महिला अध्यक्षों की सहभागिता है। इससे स्पष्ट है कि सामान्य समान रूचि समूहों में भी 10.29 प्रतिशत महिला सदस्य एवं 10.80 प्रतिशत सामान्य समूहों में महिला अध्यक्ष है।

### 2.4.2 जिलेवार समान रूचि समूहों की प्रगति एवं महिला सहभागिता :

2.4.2.1 परियोजना प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक जिलेवार कुल गठित समूहों, गठित महिला समूह एवं समूहों के सदस्यों सम्बन्धी प्राप्त सूचना का संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| क्र. सं. | जिला | कुल गठित समान रूचि समूहों की संख्या | गठित समूहों की कुल सदस्य संख्या (प्रति समूह औसतन सदस्य) | महिला समान रूचि समूहों के गठन संख्या (कुल समूहों से महिला समूहों का प्रतिशत) | कुल महिला सदस्य संख्या (प्रति समूह औसतन सदस्य) | महिला अध्यक्षों की संख्या (महिला समूहों से अध्यक्षों का प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बारां | 3387 | 39688<br>(12) | 1229<br>(36.29) | 16680<br>(5) | 1281<br>(104.23) |
| 2. | चूरू | 3475 | 38204<br>(11) | 1241<br>(35.71) | 17849<br>(5) | 1456<br>(117.32) |
| 3. | दौसा | 3802 | 38030<br>(10) | 1281<br>(33.69) | 17767<br>(5) | 1358<br>(106.01) |
| 4. | धौलपुर | 1755 | 20327<br>(12) | 757<br>(43.13) | 12290<br>(7) | 885<br>(116.91) |
| 5. | झालावाड़ | 3919 | 40247<br>(10) | 1414<br>(36.08) | 18080<br>(5) | 1582<br>(111.88) |
| 6. | राजसमन्द | 3071 | 32514<br>(11) | 782<br>(25.46) | 11896<br>(4) | 995<br>(127.24) |
| 7. | टोंक | 3543 | 37320<br>(11) | 1354<br>(38.22) | 17273<br>(5) | 1371<br>(101.25) |
| | **योग** | **22952** | **246330**<br>**(11)** | **8058**<br>**(35.11)** | **111835**<br>**(5)** | **8928**<br>**(110.80)** |

2.4.2.2 उपरोक्त तालिका में जिलेवार समंकों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि :–

(i) परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक गठित समूहों की औसतन सदस्य संख्या 11 है। जिला बारां एवं धौलपुर में सदस्य संख्या 12 है, जबकि दौसा एवं झालावाड़ जिले में औसतन सदस्य संख्या 10 है।

(ii) जिला धौलपुर, टोंक, बारां, झालावाड़ एवं चूरू में महिला समूहों के गठन की भागीदारी 35.11 प्रतिशत से ज्यादा है जो क्रमशः 43.13, 38.22, 36.29, 36.08 एवं 35.71 प्रतिशत है एवं जिला राजसमन्द एवं दौसा में महिला समूह के गठन की भागीदारी कम है जो क्रमशः 25.46 एवं 33.69 प्रतिशत है।

(iii) जिला धौलपुर में महिला समूह गठन एवं कुल गठित समूहों में महिला सदस्य की भागीदारी सबसे ज्यादा है एवं जिला राजसमन्द में सबसे कम है।

(iv) समस्त सातों जिलों में सामान्य समूहों में भी महिला अध्यक्ष बनायी गयी है। जिला राजसमन्द में महिला समूहों के गठन एवं सामान्य समूहों में महिला सदस्य कम होने के बावजूद भी सामान्य समूहों में महिला अध्यक्ष सबसे ज्यादा 27.24 प्रतिशत समूहों में बनाये गये जबकि जिला चूरू एवं धौलपुर क्रमशः 17. 32 एवं 16.91 प्रतिशत सामान्य समूहों में महिला अध्यक्ष बनाये गये हैं, शेष चार जिलों में महिला अध्यक्षों की भागीदारी 1.25 प्रतिशत से 11.88 प्रतिशत के बीच रही।

(v) इस प्रकार राज्य सरकार की जेन्डर परिदृश्य की प्राथमिकता देखते हुए परियोजनान्तर्गत महिलाओं को आर्थिक विकास की धारा में जोड़ने में परियोजनान्तर्गत विभाग का उपयोगी प्रयास रहा है।

### 2.4.3 वर्षवार स्वीकृत उप–परियोजनाओं की प्रगति :

2.4.3.1 परियोजना अन्तर्गत गैर–सरकारी संगठनों, डेयरी संघों, आवासीय प्रोजेक्ट, ग्राम पंचायतों के माध्यम से ट्यूव–बैल एवं ढ़ाँचागत कार्य तथा राहत कार्यों की उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है। वर्षवार स्वीकृत उप–परियोजनाओं का संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| वर्ष | स्वीकृत उप–परियोजनाओं की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–सरकारी संगठन | डेयरी संघ | आवासीय प्रोजेक्ट | ट्यूव–बैल एवं ढ़ांचागत कार्य | राहत कार्य | योग |
| 2000–01 | 21 | – | – | – | – | 21 |
| 2001–02 | 378 | – | – | – | – | 378 |
| 2002–03 | 284 | 2 | – | 89 | 104 | 479 |
| 2003–04 | 3158 | 478 | 35 | 745 | 1628 | 6045 |
| 2004–05 | 5379 | 658 | 263 | 41 | (–)68 | 6274 |
| 2005–06 | 1974 | 268 | 113 | 109 | 178 | 2640 |
| 2006–07 | 4853 | 238 | 7 | 98 | 170 | 5362 |
| निरस्त की गयी (–) | (–)499 | (–)148 | (–)1 | (–)48 | (–)30 | (–)726 |
| **योग** | **15548** | **1496** | **417** | **1034** | **1982** | **20477** |
| **प्रतिशत** | **75.93** | **7.31** | **2.03** | **5.05** | **9.68** | **100.00** |

**(–) में स्वीकृत परियोजनाओं में से निरस्त की गयी उप–परियोजनाओं की संख्या है।**

2.4.3.2 उपरोक्त तालिका के समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 में केवल गैर–सरकारी संगठनों की उप–परियोजना ही स्वीकृत की गयी। वर्ष 2002–03 से गैर–सरकारी संगठनों के अलावा ग्राम पंचायतों के माध्यम से राहत कार्य, डेयरी संघों तथा ट्यूव–बैल एवं ढांचागत कार्यों की उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी तथा अगले प्रत्येक वर्ष 2003–04 से आवासीय परियोजनाएं भी स्वीकृत की गयी।

(ii) परियोजना प्रारम्भ वर्ष से मार्च,2007 तक कुल 21271 उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी थी जिनमें से 794 (3.73 प्रतिशत) उप–परियोजनाओं की स्वीकृतियाँ, अंशदान जमा नहीं कराने एवं अन्य कारणों से निरस्त की गयी एवं शेष 20477 (96.27 प्रतिशत) उप–परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत रही।

(iii) निरस्त की गयी 794 उप–परियोजनाओं में 499 (62.85 प्रतिशत) उप–परियोजनाएं गैर–सरकारी संगठनों, 148 (18.64 प्रतिशत) डेयरी संघों, 98 (12.34 प्रतिशत) राहत कार्यों, 48 (6.04 प्रतिशत) ट्यूव–बैल एवं ढ़ांचागत कार्यों एवं शेष 1 (0.13 प्रतिशत) उप–परियोजना आवासीय प्रोजेक्ट की निरस्त की गयी।

(iv) मार्च,2007 तक कुल 20477 उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी जिनमें से 15548 (75.93 प्रतिशत) उप–परियोजनाएं गैर–सरकारी संगठनों, 1496 (7.31 प्रतिशत) उप–परियोजनाएं डेयरी संघो, 417 (2.03 प्रतिशत) आवासी, 1034 (5.05 प्रतिशत) ट्यूव–बैल एवं ढ़ांचागत कार्य एवं शेष (9.68 प्रतिशत) राहत कार्यों की उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी।

(v) स्वीकृत 20477 उप–परियोजनाओं में 17044 (83.23 प्रतिशत) उप–परियोजनाएं गैर–सरकारी संगठनों एवं डेयरी संघों द्वारा स्वीकृत करवायी गयी जो आय सृजित एवं भूमि आधारित उप–परियोजनाएं है एवं शेष 3433 (16.77 प्रतिशत) उप–परियोजनाएं सामुदायिक निर्माण कार्य की उप–परियोजनाएं है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश आय सृजित उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। इससे ज्ञात होता है कि परियोजनान्तर्गत व्यक्तिगत, क्षेत्रीय एवं संसाधन गरीबी को दूर करने हेतु सबसे ज्यादा आय सृजित उप–परियोजनाएं स्वीकृत करने के साथ–साथ भूमि आधारित एवं सामुदायिक निर्माण कार्य की उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी जिससे व्यक्तिगत आय में वृद्धि के साथ–साथ परियोजना क्षेत्र में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये गये तथा सामुदायिक निर्माण कार्य सम्पन्न हुए।

### 2.4.4 जिलेवार स्वीकृत उप–परियोजनाओं की प्रगति :

2.4.4.1 जिलेवार परियोजना प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से वर्ष 2006–07 तक स्वीकृत उप–परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

| जिला | स्वीकृत उप–परियोजनाओं की संख्या | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–सरकारी संगठन | डेयरी संघ | आवासीय प्रोजेक्ट | ट्यूव–बैल एवं ढ़ांचागत कार्य | राहत कार्य | योग | प्रतिशत |
| बारां | 1885 | 208 | 270 | 702 | 114 | 3179 | 15.53 |
| चूरू | 2126 | 225 | – | – | 868 | 3219 | 15.72 |
| दौसा | 2330 | 221 | – | – | 169 | 2720 | 13.28 |
| धौलपुर | 1163 | 232 | – | 174 | 98 | 1667 | 8.14 |
| झालावाड़ | 2996 | 212 | 147 | 140 | 378 | 3873 | 18.91 |
| राजसमन्द | 2339 | 217 | – | – | 315 | 2871 | 14.02 |
| टोंक | 2709 | 181 | – | 18 | 40 | 2948 | 14.40 |
| **योग** | **15548** | **1496** | **417** | **1034** | **1982** | **20477** | **100.00** |

2.4.4.2 उपरोक्त तालिका के जिलेवार समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) मार्च,2007 तक परियोजनान्तर्गत स्वीकृत 20477 परियोजनाओं में सबसे ज्यादा जिला झालावाड़ की 18.91 प्रतिशत एवं सबसे कम धौलपुर जिले की 8.14 प्रतिशत उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी, शेष पाँच जिलों में 13.28 प्रतिशत से 15.72 प्रतिशत के बीच स्वीकृत की गयी।

(ii) परियोजना के समस्त सात जिलों में गैर–सरकारी संगठन, डेयरी संघों एवं राहत कार्यों की उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी जबकि चूरू, दौसा एवं राजसमन्द में ट्यूव–बैल एवं ढ़ांचागत कार्यों की उप–परियोजना स्वीकृत नहीं की गयी, शेष चार जिलों यथा–बारां, धौलपुर, झालावाड़ एवं टोंक में ही ये उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। आवासी प्रोजेक्ट केवल बारां एवं झालावाड़ में ही स्वीकृत किये गये।

(iii) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सबसे ज्यादा जिला झालावाड़ एवं टोंक में क्रमशः 2996 एवं 2709 उप–परियोजनाएं एवं सबसे कम जिला धौलपुर में 1163 उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी तथा शेष चार जिलों में 1885 से 2339 के बची उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी।

(iv) डेयरी संघों द्वारा सातों जिलों में 181 से 232 के बीच उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। आवासीय प्रोजेक्ट की उप–परियोजनाएं केवल दो जिलों यथा बारां एवं झालावाड़ में क्रमशः 270 एवं 147 स्वीकृत की गयी। ट्यूव–बैल एवं एवं ढांचागत कार्यों की उप–परियोजनाएं केवल चार जिलों में यथा जिला बारां में सबसे ज्यादा 702, जिला टोंक में सबसे कम 18 उप–परियोजनाएं एवं शेष दो जिलों धौलपुर एवं झालावाड़ में क्रमशः 174 एवं 140 उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी।

(v) इसी प्रकार राहत कार्य सबसे ज्यादा चूरू जिले में 868 एवं टोंक जिले में सबसे कम 40 तथा शेष पाँच जिलों में 98 से 378 के बची उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी।

### 2.4.5 उप परियोजनाओं के प्रकार (Category-wise) अनुसार प्रगति विवरण :

2.4.5.1 परियोजनान्तर्गत उप परियोजनाओं के कार्य गैर सरकारी संगठनों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाये गये। स्वीकृत 20477 उप परियोजनाओं में से 17461 (85.27 प्रतिशत) उप परियोजनाऐं गैर सरकारी संगठनों एवं शेष 3016(14.23 प्रतिशत) उप परियोजनाऐं ग्राम पंचायतों की स्वीकृत की गयी। गैर सरकारी संगठनों द्वारा समान रूचि समूहों के आय सृजित, भूमि आधारित, सामुदायिक ढांचागत एवं सामाजिक सेवाओं के कार्य एवं ग्राम पंचायतों द्वारा पेयजल ट्यूब वैल एवं ढांचागत कार्य तथा राहत कार्य स्वीकृत करवाये गये। परियोजना जिलों में सरकारी गैर संगठनों एवं ग्राम पंचायतों की स्वीकृत उप परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

क. **गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से समान रूचि समूहों की स्वीकृत उप–परियोजनाओं के कार्य :**

2.4.5.2 गैर सरकारी संगठनों द्वारा समान रूचि समूहों के 17461 कार्य स्वीकृत करवाये गये। परियोजना जिलों में आय सृजित, भूमि आधारित, सामुदायिक ढांचागत एवं सामाजिक सेवाओं के कार्यकलाप/गतिविधि का विवरण **परिशिष्ट–ग** पर उपलब्ध है। जिलेवार संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

**(संख्या)**

| क्र. सं. | जिला | उप परियोजनाओं के प्रकार अनुसार स्वीकृत उप परियोजनाओं की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आय सृजित कार्य | भूमि आधारित कार्य | सामुदायिक ढ़ांचागत कार्य | सामाजिक सेवा कार्य | योग |
| 1. | बारां | 1750 (74.06) | 55 (2.33) | 504 (21.33) | 54 (2.28) | 2363 (100.0) |
| 2. | चूरू | 1617 (68.78) | 353 (15.02) | 92 (3.91) | 289 (12.29) | 2351 (100.0) |
| 3. | दौसा | 1730 (67.82) | 552 (21.64) | 269 (10.54) | – | 2551 (100.0) |
| 4. | धौलपुर | 1265 (90.68) | 95 (6.81) | 35 (2.51) | – | 1395 (100.0) |
| 5. | झालावाड़ | 2567 (76.51) | 214 (6.38) | 573 (17.08) | 1 (0.03) | 3355 (100.0) |
| 6. | राजसमन्द | 1977 (77.35) | 474 (18.54) | 104 (4.07) | 1 (0.04) | 2556 (100.0) |
| 7. | टोंक | 2547 (88.13) | 296 (10.24) | 45 (1.56) | 2 (0.07) | 2890 (100.0) |
| | योग | 13453 (77.04) | 2039 (11.68) | 1622 (9.29) | 347 (1.99) | 17461 (100.0) |

**नोट– कोष्ठक ( ) में कुल स्वीकृत उप परियोजनाओं से उप परियोजना प्रकार अनुसार प्रतिशत अंकित है।**

2.4.5.3 उपरोक्त तालिका के समंकों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि :

(i) परियोजना क्षेत्र के जिलों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा समान रूचि समूहों की स्वीकृत 17461 उप परियोजनाओं में से 13453(77.04 प्रतिशत) उप परियोजनाऐं आय सृजित, 2039(11.68 प्रतिशत) भूमि आधारित, 1622(9.29 प्रतिशत) सामुदायिक ढांचागत एवं शेष 347(1.99 प्रतिशत) उप परियोजनाऐं सामाजिक सेवा कार्यों की है। इसमें आय सृजित गतिविधियों सम्बन्धित उप परियोजनाओं(77.04 प्रतिशत) की प्रधानता तथा सामाजिक सेवा कार्यों (1.99 प्रतिशत) की न्यूनता रही है।

(ii) आय सृजित उप परियोजनाऐं सबसे ज्यादा धौलपुर एवं टोंक जिले में क्रमशः 90.68 एवं 88.13 प्रतिशत एवं सबसे कम जिला चूरू एवं दौसा में क्रमशः 68.78 एवं 67.82 प्रतिशत एवं शेष जिलें में 74.06 से 77.35 प्रतिशत के बीच उप परियोजनाऐं स्वीकृत हुई है।

भूमि आधारित उप परियोजनाऐं सबसे ज्यादा दौसा, राजसमन्द एवं चूरू जिले में क्रमशः 21.64, 18.54, 15.02 प्रतिशत एवं सबसे कम बारां जिले में 2.33 प्रतिशत एवं शेष जिलों में 6.38 से 10.24 प्रतिशत के बीच स्वीकृत की गयी।

सामुदायिक ढांचागत कार्य सबसे ज्यादा बारां एवं झालावाड़ जिलों में क्रमशः21.33 एवं 17.08 प्रतिशत एवं सबसे कम टोंक एवं धौलपुर जिलों में क्रमशः 1.56 एवं 2.51 प्रतिशत एवं शेष जिलों में 3.91 से 10.54 प्रतिशत के बीच स्वीकृत किये गये।

सामाजिक सेवा कार्य सबसे ज्यादा चूरू जिले में 12.29 प्रतिशत कार्य एवं जिला बारां में 2.28 प्रतिशत तथा शेष तीन जिलों यथा–टोंक, झालावाड़ एवं राजसमन्द में क्रमशः 2, 1, 1 कार्य स्वीकृत किये गये। इससे स्पष्ट है कि परियोजना क्षेत्र में चूरू जिले के अलावा ज्यादातार जिलों में सामाजिक सेवा क्षेत्र के कार्य बहुत ही कम स्वीकृत किये गये हैं।

ख. **ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये राहत एवं सामुदायिक ढांचागत कार्य :**

2.4.5.4 परियोजना क्षेत्र में डी.पी.आई.पी. की आर्थिक सहायता मद से ग्राम पंचायतों के माध्यम से 3016 कार्य करवाये गये, जिनमें से 1034 कार्य ट्यूब वैल एवं सामूहिक ढांचागत तथा 1982 राहत कार्य है। जिलेवार विवरण उपरोक्त वर्णित मद 2.4.4.1 में अंकित है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से पेयजल ट्यूब वैल, सामुदायिक भवन, आंगनबाडी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयों के कमरे निर्माण, खरंजा निर्माण, खुर्रा निर्माण, पानी का हौद निर्माण, नाली निर्माण, जोहड़ निर्माण एवं मरम्मत इत्यादि सामुदायिक उपयोग के कार्य करवाये गये।

## 2.5.0 प्रति समूह निवेश :

2.5.1 परियोजना आरम्भ वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक स्वीकृत उप–परियोजनाओं की इकाई लागत एवं डी.पी.आई.पी. के हिस्से राशि का जिलेवार संकलन कर प्रति समूह निवेश का आंकलन विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि रुपये लाखों में)

| जिला | स्वीकृत उप–परियोजनाओं की संख्या | स्वीकृत इकाई लागत राशि | डीपीआईपी हिस्सा राशि | प्रति समूह औसतन राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | इकाई लागत राशि | डीपीआईपी निवेश राशि |
| बारां | 3179 | 9315.07 | 7520.96 (80.74) | 2.93 | 2.37 |
| चूरू | 3219 | 9148.71 | 8105.82 (88.60) | 2.84 | 2.52 |
| दौसा | 2720 | 7429.66 | 6374.74 (85.80) | 2.73 | 2.34 |
| धौलपुर | 1667 | 6016.74 | 5065.65 (84.19) | 3.61 | 3.04 |
| झालावाड़ | 3873 | 9509.25 | 7779.33 (81.80) | 2.46 | 2.01 |
| राजसमन्द | 2871 | 9404.87 | 8139.60 (86.55) | 3.28 | 2.84 |
| टोंक | 2948 | 9192.49 | 7971.38 (86.72) | 3.12 | 2.70 |
| **योग** | **20477** | **60016.79** | **50957.48 (84.91)** | **2.93** | **2.49** |

2.5.1.1 उपरोक्त तालिका के समंकों से ज्ञात होता है कि :–

(i) मार्च,2007 तक औसतन इकाई लागत रुपये 2.93 लाख की स्वीकृत की गयी जिनमें से डी.पी.आई.पी. की निवेश राशि रुपये 2.49 (84.91 प्रतिशत) लाख स्वीकृत की गयी।

(ii) जिला झालावाड़, चूरू एवं बारां सबसे ज्यादा उप–परियोजनाएं क्रमशः 3873, 3219 एवं 3179 स्वीकृत की गयी जिनकी औसतन इकाई लागत अन्य जिलों की औसतन इकाई लागत से कम है जो क्रमशः रुपये 2.46, 2.84 एवं 2.93 लाख रुपये है जिसमें डी.पी.आई.पी. की निवेश राशि रुपये क्रमशः 2.01 (81.80 प्रतिशत) लाख, 2.52 (88.60 प्रतिशत) लाख एवं 2.37 (80.74 प्रतिशत) लाख रुपये है जबकि सबसे कम 1667 उप–परियोजनाएं धौलपुर जिले में स्वीकृत की गयी जिनकी औसतन इकाई लागत सबसे ज्यादा रुपये 3.61 लाख है जिसमें डी.पी.आई.पी. की निवेश राशि रुपये 3.04 लाख है।

### 2.5.2 उप–परियोजनाओं की स्वीकृत राशि एवं समूह संख्या का वर्गीकरण :

2.5.2.1 परियोजनान्तर्गत मार्च,2007 तक कुल 20477 उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी जिनमें से 17461 उप–परियोजनाएं गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से समूहों एवं शेष 3016 उप–परियोजनाएं ग्राम पंचायतों की स्वीकृत की गयी। समान रूची समूहों की उप–परियोजनाओं हेतु स्वीकृत राशि के अनुसार 17061 समूहों की प्राप्त सूचना का संकलित विवरण जिलेवार निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| क्र. सं. | जिला | स्वीकृत राशि अनुसार समूहों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 लाख रुपये तक | 5–10 लाख रुपये तक | 10 लाख से 13.50 लाख रुपये तक | 13.50 लाख से ऊपर | योग |
| 1. | बारां | 1724 | 524 | 109 | – | 2357 |
| 2. | चूरू | 1593 | 757 | 1 | – | 2351 |
| 3. | दौसा | 2254 | 244 | 2 | – | 2500 |
| 4. | धौलपुर | 1013 | 373 | 1 | – | 1387 |
| 5. | झालावाड़ | 2908 | 294 | 2 | – | 3204 |
| 6. | राजसमन्द | 2072 | 360 | 18 | – | 2450 |
| 7. | टोंक | 2518 | 293 | 1 | – | 2812 |
| | **योग** | **14082** | **2845** | **134** | **–** | **17061** |
| | **प्रतिशत** | **82.54** | **16.68** | **0.78** | **–** | **100.0** |

2.5.2.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से निम्न तथ्य उजागर होते हैं, क्रमशः :–

(i) 17061 समूहों में से 14082 (82.54 प्रतिशत) समूहों की 5 लाख रुपये तक, 2845 (16.68 प्रतिशत) समूहों की 5–10 लाख रुपये तक एवं शेष 134 (0.78 प्रतिशत) समूहों की उप–परियोजनाएं 10–13.50 लाख रुपये के बीच स्वीकृत की गयी। किसी भी समूह की 13.50 लाख रुपये से ज्यादा राशि की स्वीकृति जारी नहीं की गयी।

(ii) 10 लाख रुपये से ज्यादा स्वीकृत राशि वाले सबसे ज्यादा 109 समूह जिला बारां के हैं। जिला बारां के इन समूहों की मुख्य गतिविधियाँ सहरिया क्षेत्र में यथा वन जन–शक्ति सहरिया आवास, डेयरी, टेलरिंग एवं कसीदा इत्यादि कार्यकलाप से सम्बन्धी है। इनके कार्यकलापों के अतिरिक्त बारां एवं अन्य जिलों में गलीचा, लिंक रोड़, कृषि सम्बन्धी कार्य, पुलिया निर्माण एवं कॉजवे निर्माण कार्य है।

(iii) परियोजनान्तर्गत 13.50 लाख रुपये से ज्यादा राशि की उप–परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गयी है। जिला राजसमन्द से दो समूहों की उप–परियोजनाएं स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई थी उनमें से एक कॉजवे निर्माण राशि रुपये 23.25 लाख एवं दूसरी पुलिया निर्माण राशि रुपये 43.25 लाख की प्राप्त होना अवगत कराया गया, परन्तु राज्य स्तरीय कार्यकारी विभाग द्वारा दोनों उप–परियोजनाओं की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है।

2.6.0 **कार्यशील पूँजी हेतु वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धता :**

2.6.1 परियोजना में समान रूचि समूहों की उप–परियोजना में अचल परिसम्पत्तियों के लिए ही राशि उपलब्ध करायी जाती है। कार्यशील पूँजी व चल सम्पत्तियों की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह द्वारा की जाती है। समूह की उप–परियोजनाओं के निरन्तरित (सतत्) संचालन हेतु कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है। समूहों को कार्यशील पूँजी वित्तीय संस्थाओं/बैकों से स्वीकृत करवानी होती है। मार्च,2007 तक जिलेवार समूहों को बैकों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी कार्यशील पूँजी राशि की प्राप्त सूचना का संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं. | जिला | समूहों की संख्या जिनको बैकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया | उपलब्ध करवायी गयी ऋण राशि (रुपये लाखों में) | औसतन प्रति समूह उपलब्ध राशि (रुपये) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बारां | 240 | 12.88 | 5367 |
| 2. | चूरू | 106 | 12.02 | 11340 |
| 3. | दौसा | 53 | 20.66 | 38981 |
| 4. | धौलपुर | 172 | 124.02 | 72105 |
| 5. | झालावाड़ | 1344 | 243.13 | 18090 |
| 6. | राजसमन्द | 384 | 154.28 | 40177 |
| 7. | टोंक | 225 | 8.53 | 3791 |
| | **योग** | **2524** | **575.52** | **22802** |

2.6.1.1 उपरोक्त तालिका के समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) मार्च,2007 तक केवल 2524 समान रूचि समूहों को बैकों से कार्यशील पूँजी हेतु रुपये 575.52 लाख ऋण उपलब्ध हुआ है जो प्रति समूह औसतन 22802 रुपये है।

(ii) ऋण उपलब्ध करवाये गये 2524 समूहों में से सबसे ज्यादा 1344 (53.25 प्रतिशत) समूहों को केवल जिला झालावाड़ में ऋण उपलब्ध करवाया गया एवं शेष 1180 (46.75 प्रतिशत) समूहों को शेष छः जिलों में कार्यशील पूँजी हेतु ऋण उपलब्ध करवाया गया।

(iii) जिला धौलपुर में औसतन प्रति समूह सबसे ज्यादा रुपये 72105 उपलब्ध करवाये गये तथा सबसे कम जिला टोंक, बारां, चूरू, झालावाड़ में क्रमशः रुपये 3791, 5367, 11340, 18090 रुपये ऋण उपलब्ध करवाया गया एवं शेष दो जिलों दौसा एवं राजसमन्द में क्रमशः रुपये 38981 एवं 40177 का ऋण कार्यशील पूँजी हेतु उपलब्ध कराया गया।

(iv) उपरोक्त विश्लेषणों से स्पष्ट है कि कार्यशील पूँजी हेतु बैकों से सम्बन्धता की प्रगति काफी कम है तथा समूहों को उपलब्ध करवाये औसतन ऋण राशि में काफी अन्तर है। अतः व्यष्टि लघु उद्यमों (माइक्रो एन्टरप्राईजेज) की ईकाइयों के सतत् संचालन हेतु समूहों को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है तथा ज्यादा से ज्यादा समूहों को ऋण दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि व्यष्टि लघु उद्यमों की सफलता विशेष तौर से कार्यशील पूँजी की उपलब्धता पर ज्यादा निर्भर रहती है।

### 2.7.0 परियोजना समावेशित क्षेत्र में उपलब्धि :

2.7.1 परियोजनान्तर्गत निर्धारित समयावधि में गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से सात जिलों के 42 उपखण्ड़ों के 7039 गाँवों को लाभान्वित किया जाना था। इस हेतु गैर–सरकारी संगठनों को परियोजना की गतिविधियाँ संचालित करने हेतु परियोजना क्षेत्र के गाँवों का आवंटन किया जाना था। राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई डी.पी.आई. पी. से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना आरम्भ वर्ष 2000–01 से वर्ष 2006–07 तक परियोजना क्षेत्र के 7039 गाँवों में 5885 (83.61 प्रतिशत) गाँवों को गैर–सरकारी संगठनों एवं 2170 (30.83 प्रतिशत) गाँवों को राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फैडरेशन (आर.सी.डी.एफ.) को आवंटित किये गये। इससे स्पष्ट है कि :–

(i) उपरोक्त वर्णित गाँवों के आवंटन के अनुसार 83.61 प्रतिशत गाँवों में गैर–सरकारी संगठन एवं शेष 16.39 प्रतिशत गाँवों में आर.सी.डी.एफ. के माध्यम से एवं 14.44 प्रतिशत ग्रामों को गैर–सरकारी संगठनों एवं आर.सी.डी.एफ. दोनों को आवंटन किया गया।

(ii) आर.सी.डी.एफ. को आवंटित 16.39 प्रतिशत गाँवों में उनके द्वारा केवल डेयरी सम्बन्धी गतिविधियाँ ही संचालित किये जाने के कारण ये ग्राम अन्य प्रकार की उप–परियोजनाओं में लाभ लेने से वंचित रहने की संभावना है, क्योंकि परियोजनान्तर्गत समावेशित ग्रामों में सभी प्रकार की गतिविधियाँ यथा आय सृजित, भूमि आधारित, सामुदायिक कार्य एवं सामाजिक सेवा की गतिविधियाँ संचालित कर परियोजना क्षेत्र में व्यक्तिगत, क्षेत्रीय एवं संसाधन गरीबी दूर करना था। आय सृजित उप–परियोजनाओं में डेयरी के अलावा अन्य व्यवसायों यथा चर्म, लकड़ी, सीमेन्ट, कागज–पत्थर एवं लोहे आधारित निर्माण एवं उत्पादन कार्य, शहद, मुर्गी, फल–सब्जी एवं विभिन्न रिपेयरिंग एवं सर्विस के साथ–साथ लघु उद्योग के व्यवसाय की उप–परियोजनाएं के साथ भूमि आधारित, सामुदायिक आधारभूत सुविधाओं के निर्माण कार्यों की उप–परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है। अतः जिन गाँवों को केवल आर.सी.डी. एफ. को आवंटित किया गया है उन ग्रामों में परियोजना की अवधारण के अनुरूप गैर–सरकारी संगठनों को भी आवंटित किया जाना उपयुक्त रहेगा।

## 2.8.0 चयनित जिलों में समावेशित स्थिति :

### 2.8.1 समावेशित गाँवों की स्थिति :

2.8.1.1 मूल्यांकन के क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित चार जिलों से परियोजना प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से 2005–06 तक वर्षवार समावेशित ग्रामों की प्राप्त सूचना का संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| चयनित जिला | परियोजना के कुल गाँव | वर्षवार समावेशित गाँवों की संख्या | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | मार्च,2006 तक |
| बारां | 1070 | 62 | 155 | – | 361 | 130 | 124 | 832 |
| झालावाड़ | 1448 | 104 | – | 63 | 677 | 92 | 60 | 996 |
| चूरू | 926 | – | 37 | 82 | 733 | – | – | 852 |
| दौसा | 1009 | 100 | – | 230 | 622 | – | – | 952 |
| **योग** | **4453** | **266** | **192** | **375** | **2393** | **222** | **184** | **3632** |
| **प्रतिशत** | **100.00** | **5.97** | **4.31** | **8.42** | **53.74** | **4.99** | **4.13** | **81.56** |

2.8.1.2 उपरोक्त तालिका के विवेचन पर निष्कर्ष निकलता है कि :–

(i) चयनित जिलों में मार्च,2006 तक परियोजना क्षेत्र के 4453 गाँवों में से 3632 (81.56 प्रतिशत) गाँवों में परियोजना क्रियान्वयन कार्य आरम्भ किया गया एवं शेष 821 (18.44 प्रतिशत) गाँव समावेशित नहीं किये गये।

(ii) परियोजना के प्रारम्भिक तीनों वर्षों वर्ष 2000–01, 2002–03 तक 18.70 प्रतिशत गाँवों को, वर्ष 2003–04 में 53.74 प्रतिशत ग्रामों को एवं शेष दो वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में 9.12 प्रतिशत गाँवों को समावेशित किया गया। इससे स्पष्ट है केवल वर्ष 2003–04 में सबसे अधिक 53.74 प्रतिशत गाँवों को समावेशित किया गया।

(iii) चयनित जिला बारां, झालावाड़, चूरू एवं दौसा में क्रमशः 77.75, 68.78, 92.01, 94.35 प्रतिशत गाँवों को परियोजनान्तर्गत समावेशित किया गया है।

(iv) किसी भी जिले में शत–प्रतिशत गाँवों का समावेश नहीं हुआ है।

### 2.8.2 लाभान्वित बी.पी.एल. परिवारों की स्थिति :

2.8.2.1 चयनित जिलों से कुल बी.पी.एल. परिवारों में से मार्च,2006 तक लाभान्वित परिवारों की प्राप्त सूचना का संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| चयनित जिला | जिले में चयनित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या | मार्च,2006 तक लाभान्वित परिवारों की संख्या | कुल बी.पी.एल. परिवारों से लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| बारां | 45684 | 36068 | 78.95 |
| झालावाड़ | 55190 | 38800 | 70.31 |
| चूरू | 63654 | 28811 | 45.26 |
| दौसा | 38439 | 30416 | 79.13 |
| **योग** | **202967** | **134095** | **66.07** |

2.8.2.2 उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि :–

(i) मार्च,2006 तक 66.07 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को चयनित जिलों में लाभान्वित किया गया।

(ii) चूरू जिले में सबसे कम 45.26 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को एवं शेष तीन जिलों में 70.31 से 79.13 प्रतिशत के बीच बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया।

2.8.3 सामयिकी निष्कर्ष है कि चयनित जिलों मार्च,2006 तक 81.56 प्रतिशत गाँवों को परियोजनान्तर्गत समावेशित कर 66.07 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया। इससे स्पष्ट है कि जिन ग्रामों को परियोजना में समावेशित किया गया है उन ग्रामों में भी बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया जाना शेष है। जिला चूरू में जहाँ 92.91 प्रतिशत गाँवों को समावेशित कर 45.26 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को, दौसा जिले में 94.35 प्रतिशत गाँवों को समावेशित कर 79.13 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों जिलों में कम गैर–सरकारी संगठन कार्यरत है तथा कार्यरत गैर–सरकारी संगठन सक्रिय नहीं एवं कार्य धीमी गति से कर रहे हैं जबकि बारां एवं झालावाड़ में समावेशित गाँवों एवं लाभान्वित परिवारों के प्रतिशत में विशेष अन्तर नहीं है।

2.8.4 शत–प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों एवं गाँवों के समावेशित नहीं किये जाने के मुख्यतः निम्न कारण अवगत कराये गये :–

- पर्याप्त संख्या में गैर–सरकारी संगठनों का अनुबन्धित नहीं होना,
- अकाल के कारण बी.पी.एल. परिवारों का पलायन करना,
- अनुबन्धित गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्य धीमी गति से करना,
- परियोजना अवधि में चुनाव सम्पन्न होने के कारण पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होना,
- स्वीकृत पदों का रिक्त रहना एवं पदाधिकारियों का बार–बार परिवर्तन होना,

- कुछ ग्रामों में आवागमन/यातायात के साधनों की कमी के कारण गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्य में रूची नहीं लेना, एवं
- कई गाँवों के बी.पी.एल. परिवारों द्वारा काफी प्रयासों के बावजूद समूहों के गठन के प्रस्ताव नहीं भेजना।

2.8.5 परियोजना क्रियान्वयन से प्राप्त आर्थिक लाभ से कितने परिवार गरीबी रेखा की सीमा को पार कर गये की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण उनका विश्लेषण करना संभव नहीं हो सका है।

## 2.9.0 परियोजना के निर्धारित समग्र लक्ष्य एवं उपलब्धि :

2.9.1 परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि पाँच वर्ष में राज्य के चिन्हित् सात गरीब–गरीब जिलों के 42 विकास खण्ड़ों के 7039 गाँवों में राशि 64363.00 लाख रुपये चरणबद्ध व्यय कर 3.50 लाख बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना था। परियोजना के क्रियान्वयन में 2 वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि के बाद भी योजना आरम्भ से वर्ष 2006–07 तक अर्जित उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. | निर्धारित लक्ष्य | वास्तविक उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1. | राशि रुपये 64363.00 लाख रुपये व्यय किये जाने थे। | राशि रुपये 46533.64 (72.30 प्रतिशत) लाख व्यय किये गये। |
| 2. | 3.50 लाख बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों के समूह गठित किये जाने थे। | 2.46 (70.29 प्रतिशत) लाख बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों के समूह गठित किये गये। |

2.9.1.1 उपरोक्त वर्णित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विश्लेषण करने पर एक नजर में निम्न निष्कर्ष परिलक्षित होते है :–

(i) परियोजना आरम्भ वर्ष से मार्च,2007 तक निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत 72.30 प्रतिशत वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गयी, 70.29 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

(ii) मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित चार जिलों में मार्च,2006 तक 81.56 प्रतिशत गाँवों को समावेशित कर 66.07 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका था, जबकि राज्य परियोजना स्तर पर मार्च,2007 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि क्रमशः 72.30 एवं 70.29 प्रतिशत रही है इससे ज्ञात होता है कि वर्ष 2005–06 में चयनित जिलों में लाभान्वित परिवारों में प्रगति की गयी है, फिर भी मार्च,2007 तक समावेशित गाँवों में शत–प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित नहीं किया गया है।

(iii) अतः विभाग को बढ़ायी गयी दो वर्ष की समयावधि दिसम्बर,2007 तक शत–प्रतिशत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु परियोजना के समस्त गाँवों को गैर–सरकारी संगठनों को आवंटित कर समस्त गरीब परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु कार्य योजना बनाकर त्वरित गति से प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए।

2.10.0 **प्रबोधन व्यवस्था :**

2.10.1 परियोजनान्तर्गत संचालित गतिविधियों/कार्यों की निगरानी हेतु प्रबोधन व्यवस्था निम्न प्रकार है :–

(i) राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबन्ध इकाई–डी.पी.आई.पी. के एक–एक अधिकारियों को परियोजना क्षेत्र के एक जिले का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर रखा है जिनके द्वारा माह में कम से कम एक समान रूचि समूह का निरीक्षण किया जाना निर्धारित है।

(ii) जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्धक, डी.पी.आई.पी. के अलावा डी.पी.आई.पी. के कार्यरत प्रबन्धकों द्वारा आवंटित क्षेत्र में भ्रमण के दौरान एवं कार्य प्रगति (यू.सी./सी.सी.) के सत्यापन के दौरान समूहों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है।

(iii) जिला स्तर पर उप–परियोजनाओं की गतिविधि से सम्बन्धित गैर–सरकारी संगठनों एवं विभागों के विषय विशेषज्ञ यथा–उद्योग, कृषि, सिंचाई, पंचायत समिति, पशुपालन, डेयरी इत्यादि के अधिकारियों द्वारा भी गतिविधियों/कार्यों की निगरानी एवं देख–रेख की जाती है।

(iv) क्षेत्रीय अवलोकन में पाया गया कि ज्यादा समूहों के सदस्य परिसम्पत्तियाँ सृजित/संसाधन उपलब्ध होने तक सक्रिय रहते हैं उसके बाद उनमें सहभागिता की कमी हो जाती है। गैर–सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों/सामुदायिक सहजकर्त्ताओं द्वारा भी संसाधन उपलब्ध होने के बाद समूहों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देना पाया गया जबकि गैर–सरकारी संगठनों का दायित्व समूहों के स्वयं–धारणीय/उप–परियोजना का प्रबन्धन स्वयं करने योग्य हो जाने तक का है। गैर–सरकारी संगठनों की उदासीनता एवं सहजकर्त्ताओं की कमी एवं नियमित सम्पर्क नहीं करने के कारण संसाधन उपलब्ध के बाद समूहों की प्रबोधन व्यवस्था समुचित नहीं है। अतः विभाग द्वारा संसाधन उपलब्ध करवाने के पश्चात् समूहों की प्रबोधन व्यवस्था को समुचित करने पर बल दिया जाना चाहिये तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न चरणों पर लगाये जाने वाले समय को कम करवाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

————

# अध्याय – तृतीय

## सर्वेक्षण परिणाम

3.1.0 **न्यादर्श स्वरूप :**

3.1.1 जैसाकि पूर्व में वर्णित किया गया है कि जिला गरीबी उन्मूलन परियोजनान्तर्गत संचालित समान रूचि समूहों को उपलब्ध करायी गयी सहायता के प्रभावों को ज्ञात करने हेतु अध्याय प्रथम में वर्णित मूल्यांकन संरचना के अनुसार चार जिलों यथा–बारां, झालावाड़, दौसा एवं चूरू का चयन कर परियोजना के आरम्भ वर्ष 2000–01 से 2005–06 तक समूहों की स्वीकृत उप–परियोजनाओं की अधिकतम संख्या के आधार पर दो–दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। इन पंचायत समितियों में उद्देशात्मक प्रणाली से ग्रामों का चयन किया गया तथा चयनित ग्रामों से सामान्य एवं महिला वर्ग के स्वीकृत उप–परियोजनाआओं वाले समूहों एवं स्वीकृत नहीं हुई उप–परियोजना का चयन कर क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न किया गया। चयनित समूहों, चयनित समूहों के गाँवों में निर्मित सामुदायिक ढ़ाँचागत निर्माण कार्यों की प्रलेख सूचनाओं के साथ–साथ सर्वे दिनांक को समूह की वास्तविक स्थिति तथा गैर–सरकारी संगठनों, कार्यकारियों, समूहों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साक्षात्कार कर संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। चयनित जिलों में क्षेत्रीय कार्य के दौरान भरी गयी अनुसूचियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| क्र. सं. | चयनित जिला | क्षेत्रीय कार्य के दौरान भरी गयी अनुसचियों की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | समूह अनुसूची | | समूह स्वरोजगारी अनुसूची | ढ़ाँचागत निर्माण कार्य अनुसूची | कार्यकारी अनुसूची | योग |
| | | स्वीकृत उप–परियोजनाएं | उप–परियोजनाएं स्वीकृत नहीं हुई | | | | |
| 1. | बारां | 12 | 4 | 12 | 5 | 16 | 49 |
| 2. | झालावाड़ | 12 | 4 | 12 | 3 | 15 | 46 |
| 3. | चूरू | 12 | 4 | 12 | 3 | 11 | 42 |
| 4. | दौसा | 20 | 2 | 20 | 2 | 16 | 60 |
| | **योग** | **56** | **14** | **56** | **13** | **58** | **197** |

3.1.2 उपरोक्त वर्णित अनुसूचियों के माध्यम से प्राप्त समंक, तथ्य, विचार एवं भौतिक स्थिति इत्यादि प्रलेख सूचनाओं, अवलोकन एवं साक्षात्कार पर आधारित है। प्राप्त प्रलेख सूचनाओं, भौतिक स्थिति, अवलोकित तथ्यों एवं साक्षात्कार के दौरान प्राप्त विचार/अभिव्यक्ति का संकलन कर विश्लेषण किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है :–

### 3.2.0 सामान्य विवरण :

3.2.1 मूल्यांकन कार्य हेतु स्वीकृत उप–परियोजनाओं के चयनित 56 समूहों के वर्ग, गठन वर्ष, उप–परियोजनाओं के प्रकार, कार्यरत एजेन्सी, स्वीकृत गतिविधियों इत्यादि का सामान्य विवरण निम्न प्रकार है :–

### 3.2.2 समूह वर्ग :

3.2.2.1 अध्ययन हेतु चयनित 56 समूहों में से 22 (39.29 प्रतिशत) महिला समूह एवं शेष 34 (60.71 प्रतिशत) समूह सामान्य वर्ग के हैं।

### 3.2.3 समूह सदस्य संख्या :

3.2.3.1 चयनित 56 समूहों में 623 सदस्य है जो औसतन 11 सदस्य प्रति समूह है। महिला वर्ग के 22 समूहों की सदस्य संख्या 223 जो औसतन 10 सदस्य है एवं सामान्य वर्ग 34 समूहों की सदस्य संख्या 400 है जो औसतन 12 सदस्य प्रति समूह है। इससे ज्ञात होता है कि सामान्य समूह में औसतन सदस्य संख्या महिला समूहों से ज्यादा है।

### 3.2.4 महिला सदस्य सहभागिता :

3.2.4.1 चयनित समूह वर्गवार सदस्यों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं. | मद | समूह संख्या | सदस्यों की संख्या | | | महिला सदस्यों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पुरूष | महिला | योग | |
| 1. | कुल चयनित समूह | 56 | 360 | 263 | 623 | 42.22 |
| 2. | महिला समूह | 22 | – | 223 | 223 | 100.00 |
| 3. | सामान्य समूह | 34 | 360 | 40 | 400 | 10.00 |

3.2.4.2 चयनित समूहों के कुल 623 सदस्यों में से 263 (42.22 प्रतिशत) महिला सदस्य जो महिला समूहों में 223 (35.80 प्रतिशत) एवं शेष 40 (6.42 प्रतिशत) महिला सदस्य सामान्य वर्ग के समूहों की है। इस प्रकार चयनित समूहों से महिलाओं की सहभागिता 42.22 प्रतिशत है।

### 3.2.5 समूह सदस्यों की श्रेणी :

3.2.5.1 चयनित समूहों के कुल 623 सदस्यों में से 129 (20.71 प्रतिशत) सदस्य अनुसूचित जाति, 133 (21.35 प्रतिशत) सदस्य अनुसूचित जनजाति एवं शेष 361 (57.94 प्रतिशत) सदस्य सामान्य वर्ग के हैं। कुल 623 सदस्यों में 11 (1.77 प्रतिशत) विकलांग श्रेणी के सदस्य है। इस प्रकार परियोजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग श्रेणी के गरीब परिवारों के सदस्यों को भी समूह गठन में प्राथमिकता देखी गयी।

### 3.2.6 समूह गठन वर्ष :

3.2.6.1 चयनित 56 में से 15 (26.79 प्रतिशत) समूहों का गठन वर्ष 2001–02, 16 (28.57 प्रतिशत) समूहों का वर्ष 2002–03, 23 (41.07 प्रतिशत) समूहों का वर्ष 2003–04 एवं शेष 2 (3.57 प्रतिशत) समूहों में से एक–एक समूह का वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में किया गया। इस प्रकार चयनित समूहों में से 96.43 प्रतिशत समूहों का गठन मार्च,2004 तक किया गया एवं शेष 3.57 प्रतिशत समूहों का गठन मार्च,2004 के बाद किया गया।

### 3.2.7 समूहों की स्वीकृत उप–परियोजनाओं का प्रकार :

3.2.7.1 चयनित समूहों की स्वीकृत उप–परियोजनाओं के प्रकार का विवरण चयनित जिलेवार निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | चयनित उप–परियोजना संख्या | उप–परियोजना के प्रकार अनुसार संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | आय सृजित | भूमि आधारित | सामुदायिक ढ़ांचागत एवं अन्य निर्माण कार्य |
| 1. | बारां | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 2. | झालावाड़ | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 3. | चूरू | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 4. | दौसा | 20 | 13 | 5 | 2 |
| | **योग** | **56** | **39** | **8** | **9** |

3.2.7.2 उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि :–

(i) चयनित 56 समूहों में से 39 (69.64 प्रतिशत) समूहों की आय सृजित उप–परियोजनाएं, 8 (14.29 प्रतिशत) समूहों की भूमि आधारित एवं शेष 9 (16.07 प्रतिशत) समूहों की सामुदायिक ढ़ांचागत एवं अन्य निर्माण कार्यों की उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी।

(ii) आय सृजित 39 समूहों की उप–परियोजनाओं में 11 उप–परियोजनाएं पशुपालन यथा–भैस, गाय एवं बकरी, 8 टेन्ट हाऊस, 5 सिलाई कार्य, 3 गलीचा, 2–2 साबुन निर्माण एवं बैण्डबाजा तथा 1–1 उप–परियोजनाएं साईकिल, आर.सी.सी. शटरिंग, मसाला उद्योग, कसीदा, बुनाई, हाथकरघा, बैलगाड़ी एवं फैन्सी बैग/फाईल निर्माण की है।

(iii) भूमि आधारित 8 उप–परियोजनाओं में 6 फव्बारा सिंचाई, 1 कुण्ड बागवानी एवं 1 वन प्लानटेशन की उप–परियोजनाएं हैं।

(iv) सामुदायिक ढ़ाँचा व अन्य निर्माण की 9 उप–परियोजनाओं में 5 शौचालय एवं स्नानघर, 3 आवास निर्माण एवं 1 विद्यालय कमरा निर्माण की उप–परियोजनाएं है।

### 3.2.8 समूहों की कार्यकारी एजेन्सी :

3.2.8.1 चयनित 56 समूहों में से 50 समूहों की कार्यकारी एजेन्सी विभिन्न गैर–सरकारी संगठन, 4 समूहों की डेयरी संघ एवं शेष 2 समूहों की उप–परियोजनाओं का कार्य पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा किया गया।

### 3.2.9 समूहों का पंजीकरण :

3.2.9.1 56 समूहों में से केवल 4 समूहों का पंजीकरण करवाया जाना अवगत कराया एवं शेष 52 समूह अपंजीकृत है। पंजीकृत 4 समूहों में से 3 समूहों की उप–परियोजनाएं चूरू जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड सरदार शहर की है एवं 1 समूह दौसा जिले का पंजीकृत है।

### 3.3.0 चयनित समान रूचि समूहों के सदस्यों की पात्रता :

3.3.1 परियोजनान्तर्गत समूह सदस्य गरीब वर्ग का होना चाहिए या तो वह गरीब परिवारों की सूची में सम्मिलित होना चाहिये या अन्य छूटे गये गरीब व्यक्ति जो विशेष चयन की निर्धारित मानदण्ड़ों की पूर्ति करता हो उनको समूहों के सदस्यों की सहमति पर ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् समूहों में सम्मिलित किया जाता है। एक समूह में एक परिवार का केवल एक ही सदस्य हो सकता है। एक समूह का सदस्य एक से अधिक समान रूचि समूह का सदस्य नहीं हो सकता। चयनित समूहों से पात्रता के निर्धारित मानदण्ड़ों के बारे में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) चयनित 56 समूहों के 623 सदस्यों में से 580 (93.10 प्रतिशत) सदस्य गरीब परिवारों (बी.पी.एल.) की चयन सूची में शामिल है एवं शेष 43 (6.90 प्रतिशत) सदस्य वंचित रहे अन्य गरीब परिवारों के सदस्य है। इससे स्पष्ट है कि समूहों के ज्यादातर सदस्य बी.पी.एल. चयन सूची में ही शामिल किये गये।

(ii) समूहों के शत–प्रतिशत सदस्य एक ही समान रूचि समूह के सदस्य है किसी दूसरे समूह के सदस्य नहीं है।

(iii) शत–प्रतिशत समूहों में एक परिवार का एक ही सदस्य समूह में शामिल है, परिवार का दूसरा सदस्य उस समूह का सदस्य नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से जाहिर है कि समूहों के सदस्य परियोजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार ही बनाये गये हैं।

### 3.3.2 परिवार के अन्य सदस्यों के अन्य समूहों में भागीदारी (Overlaps) :

3.3.2.1 परियोजना अन्तर्गत लाभान्वितों की निर्धारित पात्रता के अनुसार पति व पत्नि अलग–अलग समान रूचि समूहों के सदस्य हो सकते हैं परन्तु एक समान रूचि समूह में एक परिवार के एक से अधिक सदस्य सम्मिलित नहीं हो सकते। चयनित समूहों से उनके सदस्य परिवार के अन्य व्यक्तियों के अन्य समूहों में शामिल की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| क्र. सं. | जिला | चयनित समूह | सदस्य संख्या | समूहों की संख्या जिनमें परिवार के अन्य सदस्य दूसरे समूहों में शामिल हुए | दूसरे समूहों में शामिल हुए सदस्यों की संख्या (Overlapping) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बारां | 12 | 159 | – | – |
| 2. | झालावाड़ | 12 | 136 | 6 | 38 |
| 3. | चूरू | 12 | 139 | 2 | 8 |
| 4. | दौसा | 20 | 189 | 9 | 27 |
| | **योग** | **56** | **623** | **17** | **73** |

3.3.2.2 उपरोक्त तालिका के समंकों के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि –

(i) चयनित 56 समूहों में से 17(30.36 प्रतिशत) समूहों में एक परिवार के अन्य व्यक्ति अन्य समूहों में सदस्य बनकर परियोजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) चयनित समूहों के 623 सदस्य परिवारों के 73(12.72 प्रतिशत) अन्य व्यक्ति अन्य समूहों के सदस्य है।

(iii) बारां जिले के चयनित समूहों के किसी भी सदस्य परिवार के अन्य व्यक्ति अन्य समूहों के सदस्य नहीं है।

3.3.2.3 क्षेत्रीय कार्य के दौरान मूल्यांकन दल के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा ग्रामवासियों से विचार विनिमय करने पर ज्ञात हुआ कि कई परिवारों में एक से ज्यादा व्यक्तियों को अलग–अलग समूहों के माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं एवं कई परिवारों के सदस्य को भी लाभान्वित नहीं किया गया है। परियोजना में निर्धारित व्यवस्था के कारण कई प्रभावी/सक्रिय/जागरूक परिवारों के व्यक्ति अलग–अलग समूहों के सदस्य बनकर लाभान्वित हो जाते हैं तथा कई चयनित बी.पी.एल. परिवार का कोई भी व्यक्ति पहुँच के अभाव में लाभान्वित नहीं हो पाता है।

3.3.2.4 समूह परिवार के अन्य व्यक्ति के अन्य समूह में शामिल किये जाने सम्बन्धी परियोजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता के कारण एक परिवार के एक व्यक्ति से ज्यादा लाभ प्राप्त कर लेते हैं एवं कई गरीब परिवार शासकीय आर्थिक सहायता/अनुदान से वंचित रहने से उनको आर्थिक उन्नयन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में समस्त गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के पश्चात् के परिवार के अन्य सदस्यों को दूसरे समूहों में सदस्य बनाया जाना चाहिए।

3.3.2.5 उल्लेखनीय है कि यह अध्ययन प्रतिदर्श आधार पर सम्पादित किया गया है जिसके परिणाम समग्र (यूनीवर्स) को दर्शाते हैं। अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि गरीब परिवारों के लगभग 13 प्रतिशत व्यक्ति अन्य समूहों में सम्मिलित होकर (Overlapping) लाभार्जन कर रहे हैं।

### 3.4.0 उप–परियोजनाओं का चयन :

3.4.1 उप–परियोजनाओं के चयन के बार में जानकारी प्राप्त करने पर शत–प्रतिशत समूहों ने उप–परियोजनाओं का चयन कार्यरत गैर–सरकारी संगठन, डेयरी संघों एवं अन्य विभागों के विषय विशेषज्ञों/कार्यकारियों के मार्गदर्शन पर समूहों के सदस्यों द्वारा ही किया जाना अवगत कराया गया। उप–परियोजना के निर्माण में सहयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर उप–परियोजना के सम्बन्धित कार्यकारी विभाग यथा कृषि, वन, पंचायत समिति, पंचायत समिति सचिव, डी.पी.आई.पी. के कार्यकारियों, डेयरी संघ के अतिरिक्त गैर–सरकारी संगठन के सामुदायिक सहजकर्ता, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय परियोजना समन्वयक तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सहयोग/मार्गदर्शन दिया जाना अवगत कराया गया।

3.4.2 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि उप–परियोजनाओं का चयन क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार समूह के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। चयन के समय प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बी.पी.एल. परिवारों का परम्परागत व्यवसाय, कार्यदक्षता एवं माँग को ध्यान में रखना अवगत कराया गया। कार्यकारी उत्तरदाताओं ने समूहों की उप–परियोजनाओं की प्राथमिकता के बारे में अवगत कराया कि कृषि व्यवसाय में जुड़े सदस्यों के समूहों द्वारा सिंचाई हेतु फव्बारा पाईप मय पम्प सैट एवं अन्य लघु संयंत्रों, कुण्ड़ एवं बागवानी इत्यादि, कम भूमि वाले समूहों द्वारा पशुपालन की उप–परियोजनाएं, भूमिहीन सदस्यों के समूहों की प्राथमिकता सिलाई, कसीदा, हैण्डलूम, टेन्ट हाऊस, चर्म, लकड़ी, लोह आधारित निर्माण, उत्पादन एवं रिपेयर व्यवसायों, खुदरा सामान की दुकाने इत्यादि के साथ–साथ ज्यादा गरीब सदस्यों के समूहों की प्राथमिकता आवास निर्माण, शौचालय एवं स्नानघर निर्माण की रही है।

3.4.3 क्षेत्रीय कार्य के दौरान समूह के पदाधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकारियों से विचार–विमर्श के दौरान यह तथ्य भी अवलोकित किया गया कि समूह के सदस्य बैठकों में उप–परियोजनाओं के चयन तो कर लेते हैं, परन्तु अशिक्षित एवं गतिविधियों के सफल नहीं होने के भय के कारण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने से डरते है जिसके कारण गठित समूहों में विवाद की स्थिति हो जाती है ऐसे समूहों का या तो विघटन हो जाता है या फिर लम्बी अवधि के बाद समूह का पुनर्गठन कर दूसरी उप–परियोजना चयन करते हैं। उप–परियोजनाओं के चयन में क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर समूह को ऐसी उप–परियोजनाएं भी चयनित करवा दी जाती है जिनके संचालन की अनिश्चितता रहती है उदाहरणार्थ– महिला समूह की टेन्ट हाऊस की परियोजना चयन करना जबकि ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं अशिक्षित होने से यह व्यवसाय नहीं कर सकती। उप–परियोजनाओं के चयन में क्षेत्रीय आवश्यकता के साथ–साथ समूह के सदस्यों की व्यवसाय संचालन क्षमता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, चूंकि ग्रामीण अशिक्षित वर्ग के गरीब व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक जोखिम उठाने से डरते हैं।

### 3.5.0 समूह की बचत :

### 3.5.1 समूह बचत बैंक खाता :

3.5.1.1 समूहों की बचत एवं सर्वे दिनांक को बैकों में जमा राशि के बारे में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) शत–प्रतिशत समूहों द्वारा समूहों के गठन के समय पर बचत कर बैकों में बचत खाता खुलवाया गया। चयनित 56 समूहों में से 3 समूहों ने वर्ष 2001–02, 16 समूहों ने वर्ष 2002–03, 25 समूहों ने वर्ष 2003–04, 9 समूहों ने वर्ष 2004–05, 2 समूहों ने वर्ष 2005–06 में बचत बैंक खाता खुलवाया एवं शेष 1 समूह की सूचना अप्राप्त रही।

(ii) समूह के गठन के आरम्भ में ज्यादातर समूहों द्वारा 20 रुपये से 50 रुपये के बीच प्रतिमाह बचत अभिलिखित की गयी है।

### 3.5.2 सर्वे दिनांक को बचत :

3.5.2.1 सर्वे दिनांक को समूहों की बचत राशि की प्राप्त सूचना का संकलित विवरण जिलेवार निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| जिला | सर्वे दिनांक बचत राशि अनुसार समूहों की संख्या | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5000 रुपये तक | 5001 से 10000 रुपये तक | 10001 से 15000 रुपये तक | 15001 से 20000 रुपये तक | 20001 रुपये से ज्यादा | सूचना अप्राप्त | योग |
| बारां | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | 12 |
| झालावाड़ | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — | 12 |
| चूरू | 9 | — | — | — | 3 | — | 12 |
| दौसा | 15 | 3 | — | — | — | 2 | 20 |
| **योग** | **33** | **8** | **3** | **4** | **6** | **2** | **56** |
| **प्रतिशत** | **58.93** | **14.29** | **5.36** | **7.14** | **10.71** | **3.57** | **100.00** |

3.5.2.2 उपरोक्त समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) सर्वे दिनांक को चयनित 56 समूहों में से 58.93 प्रतिशत समूहों की बचत राशि 5000 रुपये तक, 14.29 प्रतिशत समूहों की 5001–10000 रुपये तक, 5.36 प्रतिशत समूहों की 10001 से 15000 रुपये तक, 7.14 प्रतिशत समूहों की 15001 से 20000 रुपये तक एवं 10.71 प्रतिशत समूहों की बचत राशि 20000 रुपये से ज्यादा थी एवं शेष 3.57 प्रतिशत समूहों की बचत राशि की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ii) जिन 33 (58.93 प्रतिशत) समूहों की बचत राशि 5000 रुपये तक थी उनमें से भी 22 समूहों की बचत राशि 2500 रुपये तक पायी गयी। कम राशि बचत करने वाले समूह ज्यादातर चूरू एवं दौसा जिले के हैं। इससे स्पष्ट है कि इन समूहों द्वारा केवल समूह गठन के समय बचत खाता खुलवाने हेतु ही बचत की गयी एवं उसके बाद नियमित बचत नहीं की गयी। नियमित बचत नहीं करने का मुख्य कारण अकाल एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होना अवगत कराया गया।

(iii) जिन 6 समूहों की बचत राशि 20000 रुपये से ज्यादा है उनमें से 5 समूहों की बचत राशि 60034 रुपये से 246000 रुपये के बीच है। इन 5 समूहों में से 4 समूह पशुपालन (भैस एवं गाय) एवं 1 समूह टेन्ट हाऊस गतिविधि संचालन के हैं। पशुपालन के 4 समूहों में से 3 समूह चूरू जिला उत्पादक सहकारी संघ सरदारशहर एवं 1 समूह कोटा डेयरी का है। इन समूहों द्वारा गतिविधि संचालन से सृजित आय को बैकों में जमा करवाया जा रहा है। टेन्ट हाऊस की परियोजना झालावाड़ जिले की है इस समूह के सदस्यों द्वारा भी आय बचत खाते में जमा करवायी जा रही है। यदि ऐसे प्रयास अन्य समूहों में भी किये जावें तो उप–परियोजनाओं अन्तर्गत संचालित गतिविधि संचालन में निरन्तरता बनी रहेगी तथा सदस्यों में सहभागिता रहेगी। विभाग द्वारा जिन समूहों का संचालन सफल रहा है उन समूह की आय को बचत खाते में जमा करवाने हेतु प्रेरित करना चाहिए जिससे समूह के सदस्यों में सामुहिकता/सहभागिता में बढ़ोत्तरी एवं उप–परियोजना की गतिविधि संचालन में टिकाऊपन आकर लम्बी अवधि तक समूह की आय में बढ़ोत्तरी सम्भव हो सकेगी।

### 3.6.0 चयनित समूहों की उप–परियोजनाओं में स्वीकृत एवं वितरित राशि :

3.6.1 चयनित समूहों से उनकी उप–परियोजनाओं की स्वीकृत राशि, प्राप्त राशि एवं व्यय की गयी राशि की प्राप्त सूचना का संकलित विवरण उप–परियोजनाओं के प्रकार अनुसार निम्न प्रकार है :–

(रुपये लाखों में)

| उप–परियोजना का प्रकार | समूह संख्या | समूहों में कुल सदस्य | उप–परियोजनाओं की राशि (लाखों में) | | | स्वीकृत राशि से प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत राशि | प्राप्त राशि | व्यय राशि | प्राप्त राशि | व्यय राशि |
| आय सृजित | 39 | 417 | 96.76 | 96.76 | 96.51 | 100.00 | 99.74 |
| भूमि आधारित | 8 | 110 | 29.26 | 28.63 | 23.35 | 97.85 | 79.80 |
| सामुदायिक एवं अन्य निर्माण कार्य | 9 | 96 | 20.12 | 20.10 | 20.08 | 100.00 | 99.80 |
| **योग** | **56** | **623** | **146.14** | **145.49** | **139.94** | **99.56** | **95.76** |

3.6.1.1 उपरोक्त तालिका के समंकों पर नजर रखने से दृष्टव्य है कि :–

(i) चयनित 56 समूहों की उप–परियोजनाओं हेतु रुपये 146.14 लाख रुपये स्वीकृत किये गये जो औसतन प्रतिसमूह रुपये 2.61 लाख रुपये है। इन समूहों में कुल 623 सदस्य है अतः प्रति सदस्य औसतन रुपये 23457 स्वीकृत किये गये। इसी प्रकार चयनित समूहों में औसतन प्रति समूह रुपये 2.50 लाख एवं औसतन प्रति सदस्य रुपये 22,463 व्यय/उपलब्ध करवाये गये।

(ii) चयनित उप–परियोजनाओं में स्वीकृत राशि से समूहों द्वारा 99.56 प्रतिशत राशि प्राप्त कर 95.76 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। आयसृजित एवं निर्माण कार्यों की उप–परियोजनाओं के समूहों द्वारा शत–प्रतिशत राशि प्राप्त कर करीब–करीब सम्पूर्ण राशि व्यय की गयी जबकि भूमि आधारित उप–परियोजनाओं में 97.85 प्रतिशत राशि प्राप्त कर सबसे कम 79.80 प्रतिशत राशि ही व्यय की गयी। भूमि आधारित 8 उप–परियोजनाओं में से एक वन प्लान्टेशन उप–परियोजना जिला बारां में रुपये 10.68 लाख की स्वीकृत की गयी जिसमें से केवल 5.40 लाख रुपये ही व्यय किये गये हैं। इस उप–परियोजना के स्वीकृत सम्पूर्ण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए है एवं उप–परियोजना के कार्य किये जा रहे है। वन वृक्षारोपण कार्य अलग प्रवृति का होने के कारण ज्यादा समय लगना पूर्व निर्धारित था।

3.6.2 चयनित समूहों से स्वीकृत राशि, प्राप्त राशि एवं व्यय की गयी राशि की प्राप्त सूचना से स्वीकृत राशि से प्राप्त राशि एवं प्राप्त राशि से व्यय राशि के प्रतिशत का आकलन किया गया, जिलेवार संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| चयनित जिला | कुल समूह संख्या | प्रतिशत अनुसार समूहों की संख्या | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत राशि से प्राप्त राशि के प्रतिशत अनुसार | | | प्राप्त राशि से व्यय की गयी राशि के प्रतिशत अनुसार | | | |
| | | 95 प्रतिशत से कम | 95– 100 से कम प्रतिशत | 100 प्रतिशत | 95 प्रतिशत से कम | 95– 100 से कम प्रतिशत | 100 प्रतिशत | 100 प्रतिशत से ज्यादा |
| बारां | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | – | 9 | – |
| झालावाड़ | 12 | – | – | 12 | – | 3 | 9 | – |
| चूरू | 12 | 1 | 2 | 9 | – | 5 | 5 | 2 |
| दौसा | 20 | – | 1 | 19 | – | 1 | 19 | – |
| **योग** | **56** | **2** | **4** | **50** | **3** | **9** | **42** | **2** |

3.6.2.1 उपरोक्त तालिका के समंक दर्शाते है कि :–

(i) चयनित 56 समूहों से 50 (89.29 प्रतिशत) समूहों द्वारा शत–प्रतिशत स्वीकृत राशि, 4 (7.14 प्रतिशत) समूहों द्वारा 95–100 से कम प्रतिशत एवं शेष 2 (3.57 प्रतिशत) समूहों द्वारा 95 प्रतिशत से कम स्वीकृत राशि प्राप्त की गयी। जिला झालावाड़ के सभी 12 समूहों द्वारा स्वीकृत शत–प्रतिशत प्राप्त की गयी एवं चूरू जिले के 12 समूहों में 9 (75.00 प्रतिशत) ने शत–प्रतिशत एवं 3 (25.00 प्रतिशत) ने शत–प्रतिशत से कम राशि प्राप्त की। इस प्रकार ज्यादातर चयनित समूहों द्वारा स्वीकृत राशि के लगभग राशि प्राप्त की गयी, केवल दो समूहों द्वारा क्रमशः 59.61 एवं 86.50 प्रतिशत स्वीकृत राशि प्राप्त की गयी जिनमें एक बारां जिला का सिलाई केन्द्र है जिसमें अभी तक 59.61 प्रतिशत राशि प्राप्त कर मशीन खरीदी गयी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण कच्चा माल एवं प्रशिक्षण आदि की राशि प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी उप–परियोजना जिला चूरू की कुण्ड़–बागवानी की है जिसमें 86.50 प्रतिशत राशि प्राप्त कर स्वीकृत सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया।

(ii) इसी प्रकार चयनित 56 समूहों में से 42 (75.00 प्रतिशत) समूहों ने शत–प्रतिशत, 2 (3.57 प्रतिशत) समूहों ने शत–प्रतिशत से ज्यादा, 9 (16.07 प्रतिशत) समूहों ने 95 से 100 प्रतिशत से कम एवं शेष 3 (5.36 प्रतिशत) समूहों ने 95 प्रतिशत से कम राशि व्यय की। इससे ज्ञात होता है कि 53 समूहों द्वारा प्राप्त राशि में से 95.00 प्रतिशत से ज्यादा राशि व्यय की गयी। इनमें से 2 समूहों में प्राप्त राशि से 101.68 एवं 104.88 प्रतिशत व्यय की गयी, यह राशि

समूहों द्वारा अपनी बचत से व्यय किया जाना अवगत कराया गया। जिन तीन समूहों में प्राप्त राशि से 95 प्रतिशत से कम राशि व्यय की है उनमें एक उप–परियोजना वन प्लानेटेशन की जिला बारां की है जिनमें प्राप्त राशि से 50.66 प्रतिशत राशि व्यय की गयी उप–परियोजना के स्वीकृत कार्य चालू है। दो उप–परियोजनाएं जिला–बारां की क्रमशः कम्प्रेशर साईकिल शॉप एवं मसाला उद्योग की है। कम्प्रेशर साईकिल शॉप उप–परियोजना में प्राप्त राशि से अभी तक साईकिले खरीदकर 67.43 प्रतिशत राशि व्यय की गयी है जिसकी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समायोजन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है एवं कम्प्रेशर मशीन अभी खरीदी जानी है। दूसरी मसाला उद्योग परियोजना में 90.00 प्रतिशत राशि व्यय की गयी है, भवन निर्माण के स्थल को लेकर समूह सदस्यों में विवाद होने के कारण कार्य अपूर्ण बताये गये है।

### 3.6.3 चयनित जिलेवार समूह उप–परियोजनाओं की स्वीकृत राशि :

3.6.3.1 चयनित 56 समूहों की उप–परियोजनाओं की स्वीकृत राशि सम्बन्धी एकत्रित की गयी सूचना से रुपये 15.00 लाख तक, 5–10 लाख एवं 10.00 लाख से ज्यादा स्वीकृत राशि वाले समूहों का आकलन किया गया। जिलेवार संकलित सूचना विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि रुपये लाखों में)

| क्र. सं. | जिला | चयनित समूह | कुल स्वीकृत राशि | स्वीकृत राशि अनुसार समूहों की संख्या एवं स्वीकृत राशि | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 लाख रुपये तक | | 5–10 लाख रुपये तक | | 10 लाख से ज्यादा | |
| | | | | समूह | राशि | समूह | राशि | समूह | राशि |
| 1. | बारां | 12 | 39.77 | 8 | 9.02 | 3 | 20.07 | 1 | 10.68 |
| 2. | झालावाड़ | 12 | 24.14 | 12 | 24.14 | – | – | – | – |
| 3. | चूरू | 12 | 33.67 | 8 | 11.01 | 4 | 22.66 | – | – |
| 4. | दौसा | 20 | 48.56 | 20 | 48.56 | – | – | – | – |
| | **योग** | **56** | **146.14** | **48** | **92.73** | **7** | **42.73** | **1** | **10.68** |
| | समूह संख्या एवं औसतन प्रति समूह स्वीकृत राशि (लाखा में) | 56 | 2.61 | 48 | 1.97 | 7 | 6.10 | 1 | 10.68 |
| | समूहों में सदस्य संख्या एवं औसतन प्रति सदस्य स्वीकृत राशि (लाखों में) | 623 | 0.23 | 483 | 0.19 | 90 | 0.47 | 50 | 0.21 |

3.6.3.2 उपरोक्त तालिका के समंकों के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि :–

(i) चयनित 56 समूहों में से 48 (85.7 प्रतिशत) समूहों को 5.00 लाख रुपये तक, 7 (12.50 प्रतिशत) समूहों को 5–10 लाख रुपये के बीच एवं शेष 1 (1.79 प्रतिशत) समूह जो वन प्लान्टेशन कार्य का है को 10.68 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। 5–10 लाख रुपये के बीच स्वीकृत 7 समूहों में से 5 समूह डेयरी (भैस/गाय) एवं शेष 2 समूह आवास निर्माण कार्य के है।

(ii) चयनित 56 समूहों को औसतन रुपये 2.61 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। 5.00 लाख रुपये तक, 5–10 लाख रुपये के बीच वाले समूहों को क्रमशः 1.97 एवं 6.10 लाख रुपये प्रति समूह औसतन राशि स्वीकृत किये गये तथा शेष एक समूह में 10.68 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(iii) चयनित समूहों के 623 सदस्यों को औसतन प्रति सदस्य 0.23 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इन 623 सदस्यों में 483 (77.53 प्रतिशत) सदस्यों को 0.19 लाख रुपये, 90 (14.45 प्रतिशत) सदस्यों को 0.47 लाख रुपये एवं शेष 50 (8.02 प्रतिशत) सदस्यों को 0.21 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(iv) 10.68 लाख रुपये स्वीकृत एक समूह में 50 सदस्य है। इस समूह की उप–परियोजना वन प्लान्टेशन कार्य की है।

(v) उपरोक्त वर्णित विश्लेषण से स्पष्ट है कि डेयरी एवं आवासीय उप–परियोजना वाले समूहों को क्रमशः 6.10 लाख एवं 0.47 लाख रुपये औसतन प्रति समूह सदस्य को स्वीकृत किये गये हैं।

### 3.7.0 समूह गठन से परिसम्पत्ति सृजित होने की समयावधि :

3.7.1 समूहों से समूह गठन की दिनांक, स्वीकृति हेतु उप–परियोजना प्रस्तुत करने की दिनांक, उप–परियोजना स्वीकृति की दिनांक, राशि की प्रथम किश्त एवं अन्तिम किश्त प्राप्त होने की दिनांक की सूचना प्राप्त की गयी। प्राप्त सूचना का समयावधि अनुसार संकलन कर आंकलन किया गया जो निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| समयावधि (माहों में) | समूहों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | समूह गठन से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत उप–परियोजना | उप–परियोजना प्रस्तुति से स्वीकृति | स्वीकृति से प्रथम किश्त | स्वीकृति से परिसम्पत्ति सृजन/अन्तिम किश्त का भुगतान |
| 2 माह | 6 (10.72) | 33 (58.93) | 25 (44.64) | 14 (25.00) |
| 4 माह | 15 (26.79) | 17 (30.36) | 17 (30.36) | 15 (26.79) |
| 4 से 8 माह | 15 (26.79) | 3 (5.36) | 10 (17.86) | 9 (16.07) |
| 8 से 12 माह | 10 (17.85) | 2 (3.57) | 2 (3.57) | 8 (14.28) |
| 12 माह से अधिक | 10 (17.85) | 1 (1.78) | 2 (3.57) | 10 (17.86) |
| **योग** | **56 (100.00)** | **56 (100.00)** | **56 (100.00)** | **56 (100.00)** |

**नोट – कोष्ठक में कुल समूहों से प्रतिशत अंकित है।**

3.7.1.1 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(i) चयनित समूहों के गठन से 37.51 प्रतिशत समूहों की उप–परियोजनाएं 4 माह तक की अवधि में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी, 44.64 प्रतिशत समूहों द्वारा 4–8 माह की अवधि में एवं शेष 17.85 प्रतिशत समूहों द्वारा 8 से 25 माह तक की अवधि में उप–परियोजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी। इससे स्पष्ट है कि ज्यादातर समूहों की उप–परियोजनाएं समूह गठन से लम्बी समयावधि के बाद स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी। उप–परियोजना देरी से भिजवाने का मुख्य कारण विषय विशेषज्ञों द्वारा उप–परियोजनाओं में संशोधन करवाने से समय लगाना, सदस्यों द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी करना, उप–परियोजना के प्रति सदस्यों में संदेह होना, सदस्यों द्वारा नियमित बचत नहीं करना एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धीमी गति से कार्य करना रहा।

(ii) 58.93 प्रतिशत समूहों की उप–परियोजनाओं की स्वीकृति दो माह में, 30.36 प्रतिशत की 2–4 माह में एवं शेष 10.71 प्रतिशत समूहों की उप–परियोजनाओं की स्वीकृति 4 माह से ज्यादा लगाये गये। इस प्रकार 89.29 प्रतिशत समूहों की स्वीकृतियाँ 4 माह में ही जारी की गयी। इससे स्पष्ट है कि समूह गठन से उप–परियोजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने की समयावधि ज्यादा है जबकि डी.पी.आई.पी. द्वारा उप–परियोजनाओं की स्वीकृतियाँ कम समय में जारी की गयी। कुछ उप–परियोजनाओं में कमियाँ रहने, निर्धारित मानदण्ड़ के अनुसार नहीं होने, विवादित होने इत्यादि के कारण स्वीकृतियों में समय लगना रहा।

(iii) 44.64 प्रतिशत समूहों द्वारा उप–परियोजनाओं की स्वीकृति के 2 माह में 30.36 प्रतिशत समूहों द्वारा 2–4 माह में स्वीकृति राशि की प्रथम किश्त प्राप्त कर ली गयी एवं शेष 25.00 प्रतिशत समूहों द्वारा 4 माह के ज्यादा समय बाद प्रथम किश्त प्राप्त की गयी। इससे ज्ञात होता है कि तीन–चौथाई समूहों द्वारा 4 माह में प्रथम किश्त प्राप्त की गयी। प्रथम किश्त के देरी से प्राप्त करने के कारण समूहों में बचत नहीं होने से सदस्यों का अंशदान देरी से जमा कराना एवं समूहों के सदस्यों द्वारा गतिविधि के संचालन के प्रति एक मत नहीं होने/ विवाद के कारण देरी होना अवगत कराया गया।

(iv) इसी प्रकार उप–परियोजना स्वीकृति से अन्तिम किश्त प्राप्त करने में 25.00 प्रतिशत समूहों ने दो माह, 26.79 प्रतिशत समूहों ने 2–4 माह, 16.07 प्रतिशत समूहों ने 4–8 माह, 14.28 प्रतिशत समूहों ने 8–12 माह एवं शेष 17.86 प्रतिशत समूहों ने 12 माह से ज्यादा समय लगाया गया। इस प्रकार 51.79 प्रतिशत समूहों द्वारा 4 माह में स्वीकृत राशि का उपयोग कर परिसम्पत्तियाँ सृजित की गयी एवं शेष समूहों द्वारा 4 माह से ज्यादा समय लगाया गया। 12 माह से अधिक समय लगाने वाले 10 समूहों में से 5 समूहों द्वारा 2 वर्ष से 3 वर्ष तक समय लगाया। इन 5 समूहों में 1 पशुपालन जिला बारां, 1 कुण्ड़ बागवानी जिला–चूरू,2 फब्बारा संयंत्र एवं अन्य सामग्री जिला दौसा एवं 1 समूह की उप–परियोजना शौचालय एवं स्नानघर निर्माण कार्य जिला चूरू की है। इन परियोजनाओं में ज्यादा समय लगने के मुख्यतः कारण प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र देरी से प्रस्तुत करना, अंशदान जमा कराने में समय लगाना एवं विभिन्न प्रकार के कार्य अलग–अलग प्रवृति के कार्य होना उदाहरणार्थ– कुण्ड़ का निर्माण, भूमि में खड्डे खोदना एवं वृक्षारोपण करना, फब्बारा संयंत्र, डीजल पम्प सैट इत्यादि। संयंत्रों/मशीन इत्यादि किस कम्पनी के खरीदने हेतु सदस्यों में आम सहमति बनाने में समय लगाना, गैर–सरकारी संगठनों की रूची का अभाव, निर्माण स्थल का चयन में देरी करना इत्यादि रहे।

(v) सामयिकी निष्कर्ष है कि समूह गठन से उप–परियोजना स्वीकृत प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति के पश्चात् परिसम्पत्ति सृजित करने में ज्यादातर समूहों में 4 माह से ज्यादा समय लगाया गया। उप–परियोजनाएं प्रस्तुत करने पर ज्यादातर उप–परियोजनाओं की स्वीकृतियाँ 4 माह से कम समय में की गयी एवं स्वीकृति के पश्चात् प्रथम किश्त ज्यादातर समूहों द्वारा चार माह में प्राप्त की गयी। इस प्रकार समूह गठन से उप–परियोजना प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति से परिसम्पत्तियाँ सृजित होने की समयावधि काफी ज्यादा है। गैर–सरकारी संगठनों का दायित्व है कि वे कुल समयावधि में चरणबद्ध तरीके से कार्यों का संचालन करावें। इस सम्बन्ध में सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धीमी गति से कार्य करवाये जाते हैं उनके कार्यों की प्रबोधन व्यवस्था की जावें जिससे समय पर कार्य हो सके।

### 3.8.0 पूँजीगत एवं कार्यशील राशि की उपलब्धता :

3.8.1 चयनित समूहों से उप–परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत पूँजीगत राशि की पर्याप्तता के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर 56 समूहों में से 53 (94.64 प्रतिशत) समूहों ने राशि की पर्याप्त एवं शेष 3 (5.36 प्रतिशत) समूहों ने राशि का अपर्याप्त होना अवगत कराया। अपर्याप्त राशि अवगत करवाने वाले तीन समूहों से दो समूहों की डेयरी एवं एक आवास निर्माण की उप–परियोजना है। डेयरी उप–परियोजना के समूहों ने अवगत कराया है कि राज्य के बाहर से अच्छी नस्ल एवं ज्यादा दूधवाली भैसें/गायों की कीमत स्वीकृत राशि से ज्यादा होती है। एक आवास निर्माण समूह ने भी आवास निर्माण में ज्यादा राशि की आवश्यकता अवगत करायी। समूहों का सुझाव था कि डेयरी एवं आवासीय उप–परियोजनाओं में इकाई लागत को बढ़ाया जाना चाहिये।

### 3.8.2 कार्यशील राशि :

3.8.2.1 आय सृजित उप–परियोजनाओं के चयनित 39 समूहों में से 11 (28.21 प्रतिशत) समूहों ने सर्वे दिनांक को कार्यशील राशि की आवश्यकता अवगत करायी। कार्यशील राशि की आवश्यकता अवगत कराने वाले ज्यादातर समूह लघु उद्यमों के आय सृजित गतिविधियों से सम्बन्धित है। इन 11 समूहों में से केवल 2 (18.18 प्रतिशत) समूहों ने बैकों से कार्यशील राशि हेतु ऋण लेकर, 4 (36.36 प्रतिशत) समूहों द्वारा समूह की बचत एवं अन्य स्त्रोतों से आवश्यक राशि प्राप्त कर गतिविधि का संचालन किया जाना अवगत कराया, शेष 5 (45.56 प्रतिशत) समूहों ने कार्यशील राशि की किसी भी स्त्रोत से व्यवस्था नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि आय सृजित समूहों को कार्यशील राशि हेतु बैकों से जोड़ा जाकर ऋण उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये, क्योंकि व्यष्टि लघु (माइक्रो) उद्यमों की सफलता में कार्यशील राशि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अतः समूहों को बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत जोड़ा जावें जिससे वे लम्बी समयावधि तक लघु वित्त चरण से लाभान्वित हो सकेंगे एवं उनके द्वारा संचालित उप–परियोजना की गतिविधि/लघु उद्यम (माइक्रो एन्टरप्राइजेज) विकास में भी निरन्तरता बनी रहेगी।

3.8.3 सरकारी/गैर–सरकारी 58 उत्तरदाताओं में से 3 उत्तरदाताओं ने भी पूँजीगत राशि को अपर्याप्त अवगत कराते हुए सुझाव दिया कि आवासीय उप–परियोजना में इकाई लागत बढ़ायी जावें। कार्यशील पूँजी के बारे में ज्यादातर उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि परियोजनान्तर्गत उप–परियोजनाओं की ज्यादातर गतिविधि/व्यवसायों का संचालन शुरू ही हुआ है उनको भविष्य में कार्यशील पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी परन्तु जिन गतिविधियों का उत्पादन आरम्भ हो चुका है उनको बैकों से कार्यशील पूँजी हेतु ऋण स्वीकृति आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कार्यशील ऋण के प्रति बैकों का असहयोगात्मक रवैया रहता है। बैकों को कार्यशील पूँजी ऋण उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित करवाया जाना चाहिए।

### 3.9.0 उप–परियोजना स्थल की उपयुक्तता :

3.9.1 उप–परियोजना की गतिविधि का संचालन चयनित 56 समूहों में से 48 समूहों का संचालन ग्राम में एवं ग्राम सड़क तथा शेष 8 समूहों के संचालन ग्राम से बाहर ढ़ाणियों/बस्तियों/कृषकों की भूमि/सरकारी भूमि चारागाह इत्यादि पर किया जा रहा है। इस प्रकार ज्यादातर गतिविधियों का संचालन ग्राम से नजदीक ही हो रहा है। केवल भूमि आधारित यथा फब्बारा पाईप, वन वृक्षारोपण, कुण्ड़ बागवानी इत्यादि उप–परियोजना ग्राम से 1 से 3 किलोमीटर दूरी तक संचालित की जा रही है।

3.9.2 56 उप–परियोजनाओं के कार्य स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर 56 समूहों में से 45 समूहों की कार्य स्थल समूहों की निजी भूमि पर, 5 का किराये की दुकानों में एवं 6 उप–परियोजनाओं का संचालन सरकारी, वन विभाग एवं ग्राम पंचायत भूमि पर संचालन किये जा रहे हैं।

3.9.3 56 उप–परियोजनाओं में से 21 उप–परियोजनाओं की गतिविधियाँ एक स्थान पर, 16 की बिखरी हुई यथा खेतों पर एवं घर से बाहर एवं शेष 19 समूहों की गतिविधियों का कार्यस्थल घर पर ही होना अवगत कराया गया।

3.9.4 क्षेत्रीय कार्य के दौरान उप–परियोजनाओं के कार्य स्थलों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि टेन्ट हाऊस, साबुन निर्माण, मसाला उद्योग इत्यादि गतिविधियाँ एक जगह पर तथा शौचालय, स्नानघर सदस्यों की भूमि पर, भूमि आधारित सभी गतिविधियाँ कृषकों की भूमि अलग–अलग जगह होने के कारण 1–2 किलोमीटर की परिधि में संचालित की जा रही है। सिलाई, कशीदा इत्यादि कार्य समूह के सदस्य अपने घरों पर ही कर रहे हैं। निजी भूमियों/घरों पर संचालित करने वाले समूहों के सदस्य परिसम्पत्तियाँ सृजित होने तक समूह में सहभागिता से कार्य करते रहे हैं, बाद में उन सदस्यों का समूह के दायित्व के प्रति रूझान की कमी अवलोकित की गयी। ज्यादातर समूहों के सदस्यों का कार्यकलाप एक तरह से व्यक्तिगत सदस्य/स्वरोजगारी के रूप में ही है अर्थात् समूहों के सदस्यों ने केवल समूह के रूप में परिसम्पत्तियाँ सृजित की है एवं परिसम्पत्तियाँ का संचालन व्यक्तिगत सदस्य के रूप में कर रहे है।

### 3.10.0 स्वीकृत उप–परियोजनाओं की क्रियान्वयन स्थिति :

3.10.1 सर्वे दिनांक को उप–परियोजना के कार्यों/परिसम्पत्तियों की जानकारी प्राप्त की गयी कि स्वीकृत कार्य/परिसम्पत्तियाँ पूर्ण सृजित कर ली गयी है या आंशिक रूप से ही सृजित हुई है। उप–परियोजनाओं के प्रकारवार एवं जिलेवार संकलित सूचना का विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| जिला | समूह संख्या | उप–परियोजनावार भौतिक स्थिति | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आय सृजित | | भूमि आधारित | | सामुदायिक एवं अन्य निर्माण | | योग | |
| | | पूर्ण | अपूर्ण | पूर्ण | अपूर्ण | पूर्ण | अपूर्ण | पूर्ण | अपूर्ण |
| बारां | 12 | 5 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| झालावाड़ | 12 | 10 | – | 1 | – | 1 | – | 12 | – |
| चूरू | 12 | 7 | – | 1 | – | 4 | – | 12 | – |
| दौसा | 20 | 10 | 3 | 5 | – | 2 | – | 17 | 3 |
| **योग** | **56** | **32** | **7** | **7** | **1** | **8** | **1** | **47** | **9** |

3.10.2 उपरोक्त तालिका के समंकों से ज्ञात होता है कि :–

(i) चयनित 56 उप–परियोजनाओं में से 47 (83.93 प्रतिशत) के स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिये गये एवं शेष 9 (16.07 प्रतिशत) के कार्य/परिसम्पत्तियाँ अपूर्ण है। अपूर्ण रहे 9 कार्यों में से 6 कार्य जिला बारां एवं 3 कार्य जिला दौसा के है। जिला झालावाड़ एवं चूरू में समस्त चयनित उप–परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये। अपूर्ण रहे कार्यों में 7 कार्य आय सृजित, 1 भूमि आधारित एवं 1 निर्माण कार्य की उप–परियोजनाएं है।

(ii) 9 अपूर्ण कार्यों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

- 3 उप–परियोजना यथा वन प्लानटेशन, कम्प्रेशर साईकिल सोप एवं मसाला उद्योग के अपूर्ण है इनमें स्वीकृत राशि प्राप्त कर शेष रहे स्वीकृत कार्य पूर्ण करवाने है। वन प्लानटेशन का कार्य चालू है, मसाला उद्योग का भवन स्थल विवादित एवं राशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अभाव में अपूर्ण है एवं कम्प्रेशर साईकिल सोप में कम्प्रेशर क्रय किया जाना है।
- 1 सिलाई कार्य इकाई में प्रशिक्षण नहीं दिया गया जिससे अभी उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- शेष 5 उप–परियोजनाओं यथा–बकरी पालन, भैंस पालन, गलीचा निर्माण, टेन्ट हाऊस एवं साबुन निर्माण में व्यय की गयी राशि का समायोजन करवाया जाना एवं गतिविधियाँ संचालित की जानी अवशेष है। गलीचा निर्माण का प्रशिक्षण चलना, टेन्ट हाऊस, बकरी एवं भैंस इकाईयों में पशु क्रय किया जाने का कार्य किया जा रहा है तथा आवास निर्माण में प्लास्टर, आंगन इत्यादि का काम अवशेष रिकार्ड किया गया।

(iii) भैंस इकाई एवं आवास निर्माण के समूहों ने स्वीकृत राशि अपर्याप्त रहने के कारण अपूर्ण होना अवगत कराया उनका सुझाव था कि अच्छी नस्ल के दुधारू पशु क्रय एवं आवास के सम्पूर्ण करवाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से इन गतिविधियों में इकाई लागत बढ़ायी जावें।

3.11.0 **परिसम्पत्तियों/संसाधनों की उपलब्धता :**

3.11.1 चयनित 56 समूहों में सृजित परिसम्पत्तियों एवं संसाधनों की सर्वे दिनांक को भौतिक उपलब्धता का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) 56 समूहों में से 53 समूहों के पास परियोजना अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियाँ एवं उपलब्ध कराये गये संसाधन उपलब्ध पाये गये। शेष 3 समूहों के सदस्यों में आपसी विवाद के कारण संसाधनों का बंटवारा कर निवास स्थल पर ले जाना अवगत कराया गया। इन समूहों में 2 समूह साबुन निर्माण एवं 1 समूह मसाला उद्योग गतिविधि उप–परियोजनाओं के है।

(ii) 56 समूहों के 623 सदस्यों में से 587 (94.22 प्रतिशत) सदस्यों के पास संसाधन/परिसम्पत्तियाँ सर्वे दिनांक को उपलब्ध, 6 (0.96 प्रतिशत) सदस्यों के पास आंशिक संसाधन उपलब्ध होना एवं शेष 30 (4.82 प्रतिशत) सदस्यों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं होना पाया गया। भूमि आधारित एवं निर्माण कार्यों की शत–प्रतिशत परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध थी, केवल आय सृजित उप–परियोजना वाले समूहों के कुल 417 सदस्यों में से 30 (7.19 प्रतिशत) सदस्यों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे एवं 6 (1.44 प्रतिशत) सदस्यों के पास आंशिक रूप से उपलब्ध कराये गये पशु उपलब्ध थे। संसाधन उपलब्ध नहीं होने के मुख्य कारण समूहों के सदस्यों में विवाद होने से संसाधनों का बटवारा कर खुर्द–फुर्द कर देना रहा है।

3.12.0 **परिसम्पत्तियों/संसाधनों की उपयोगिता :**

3.12.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित समूहों की उप–परियोजनाओं की सर्वे दिनांक को गतिविधि के संचालन एवं संसाधनों/परि–सम्पत्तियों के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी जो निम्न प्रकार है :–

(i) चयनित 56 समूहों में से 46 (82.14 प्रतिशत) समूहों के संसाधन उपयोग में लिए जाना, 3 (5.36 प्रतिशत) समूहों के संसाधन आंशिक रूप से उपयोग में लिया जाना एवं शेष 7 (12.50 प्रतिशत) समूहों द्वारा गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा रहे थी जिसके कारण उनकी सृजित परिसम्पत्तियाँ एवं संसाधन उपयोग में नहीं लिया जाना पाया गया।

(ii) जिन 3 समूहों के संसाधन आंशिक रूप से काम में लिये जाना पाया गया वे सिलाई कार्य, बुनाई कार्य एवं वन वृक्षारोपण कार्य गतिविधियों के हैं जिनमें वन वृक्षारोपण कार्य सर्वे दिनांक को अपूर्ण था एवं शेष स्वीकृत कार्य किये जाने बाकी थे। सिलाई कार्य एवं बुनाई कार्य की मशीने समूहों में विवाद के कारण

आपस में बांटकर विस्थापित कर ली गयी। कपड़ा बुनाई गतिविधि में शेड निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं होने के कारण बरसात से बचाव हेतु मशीनों को घरों पर ले जाना एवं सिलाई कार्य की माँग नहीं होने के कारण गतिविधि नियमित रूप से संचालित नहीं होना अवगत कराया गया। बुनाई कार्य के समूह का सुझाव था कि शेड निर्माण कार्य हेतु राशि उपलब्ध करवायी जानी चाहिये।

(iii) जिन सात समूहों द्वारा पूर्णतया गतिविधि संचालित नहीं की जा रही थी उनमें से 2 गतिविधियाँ साबुन निर्माण, 2 गलीचा निर्माण, 1 टेन्ट हाऊस, 1 मसाला उद्योग एवं 1 कम्प्रेशर साईकिल व्यवसाय की है। संसाधन उपयोग में नहीं लिये जाने के निम्न कारण अवगत कराये गये :–

- 4 गतिविधियाँ यथा–साबुन निर्माण–2, गलीचा निर्माण–2 के संचालन हेतु कच्चे माल एवं उत्पादन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण समूहों के सदस्यों को धन्धा नहीं चलने का भय था जिसके कारण गतिविधि के संसाधनों के उपयोग में लेने हेतु एक मत नहीं होने से कार्य संचालन नहीं किया जा रहा था। एक साबुन निर्माण के सदस्यों ने प्रशिक्षण नहीं दिलवाया जाना अवगत कराया। उनका सुझाव था कि कच्चे माल की उपलब्धता के साथ–साथ उत्पादन की विपणन व्यवस्था की जावें तथा कार्यशील राशि बैकों से उपलब्ध करवायी जावें एवं संसाधन क्रय के साथ ही समय पर प्रशिक्षण दिलवाया जावें।
- 2 गतिविधियाँ यथा साईकिल कम्प्रेशर मशीन एवं मसाला उद्योग के स्वीकृत कार्य अपूर्ण होने के कारण सृजित परिसम्पत्तियाँ एवं संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। मसाला उद्योग में कार्यस्थल भूमि के विवाद के कारण भवन निर्माण कार्य अपूर्ण है, जबकि कम्प्रेशर साईकिल गतिविधि में साईकिले क्रय की गयी है उनकी राशि का समायोजन नहीं होने के कारण कम्प्रेशर मशीन नहीं खरीदी जा सकी है। उनका सुझाव था कि व्यय की गयी राशि का समायोजन कर कम्प्रेशर मशीन खरीदवायी जावें।
- 1 टेन्ट हाऊस गतिविधि समूह के सदस्यों में आपसी विवाद के कारण संचालित नहीं किया जाना पाया गया।

(iv) 56 चयनित समूहों के 623 सदस्यों में से 532 (85.39 प्रतिशत) सदस्य सर्वे दिनांक को संसाधनों का उपयोग कर रहे थे एवं शेष 91 (14.61 प्रतिशत) सदस्य संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे थे। संसाधन उपयोग नहीं करने के मुख्य कारण स्वीकृत गतिविधि के कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण संचालन नहीं करना, सदस्यों में विवाद एवं संसाधनों का बटवारा करना, कच्चे माल एवं उत्पादन की विपणन व्यवस्था नहीं होने के कारण सदस्यों द्वारा आर्थिक जोखिम से डरना एवं कार्यशील राशि का अभाव रहा।

3.13.0 **प्रशिक्षण व्यवस्था :**

3.13.1 समूह के सदस्यों को गतिविधि/उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने हेतु उनकी क्षमता के उन्नयन हेतु दिये गये प्राथमिक अभिविन्यास एवं कौशल प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर 56 समूहों में से 25 समूहों ने प्रशिक्षण दिया जाना अवगत कराया। कुछ प्रशिक्षण 2 दिवस से 15 दिवस के एवं कुछ प्रशिक्षण 2 माह से 4 माह की अवधि के दिये गये। अल्प अवधि में प्रशिक्षणों में पशु प्रबन्धन, आमुखीकरण, आधारभूत सुविधाओं का रख–रखाव, कृषि प्रबन्धन, बागवानी इत्यादि प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराये गये। कौशल विकास प्रशिक्षण की अवधि कार्यकलापों के आधार पर निर्धारित है। जिन कार्यकलापों/गतिविधियों के संचालन हेतु अतिरिक्त कौशल विकास/कौशल उन्नयन की आवश्यकता थी उन समूहों को कार्यकलाप यथा– कशीदा, गलीचा, सिलाई, साबुन निर्माण, फैन्सी बैग निर्माण इत्यादि गतिविधियों में 2 माह से 4 माह तक के प्रशिक्षण डेयरी, रूड़ा, बाईफ इत्यादि संस्थाओं द्वारा आयोजित करवाये गये।

3.13.2 क्षेत्रीय कार्य के दौरान सरकारी/गैर–सरकारी, समूह के सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि सिलाई, गलीचा, कशीदा एवं निर्माण कार्यों की गतिविधियों में संसाधन उपलब्ध होने के काफी समय बाद प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है जिसके कारण समूह द्वारा संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन करने में काफी विलम्ब हो जाता है। प्रशिक्षण देरी से होने के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर अवगत कराया गया कि संसाधन क्रय करने के पश्चात् व्यय राशि के समायोजन के पश्चात् ही प्रशिक्षण हेतु राशि जारी की जाती है। समूहों द्वारा राशि समायोजन का कार्य विलम्ब से प्रस्तुत किया जाता है जिससे प्रशिक्षण की राशि देरी से जारी हो पाती है। इस सम्बन्ध में सरकारी/गैर–सरकारी एवं समूह सदस्यों ने प्रशिक्षण व्यवस्था को उपयोगी बताते हुए प्रशिक्षण संसाधन क्रय के साथ ही दिलवाने की आवश्यकता अवगत करायी। इस हेतु गैर–सरकारी संगठनों को संसाधनों के क्रय में व्यय की गयी राशि का समायोजन शीघ्र ही करवाने एवं प्रशिक्षण संसाधन क्रय के साथ ही करवाने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए।

3.14.0 **कच्चे माल की उपलब्धता एवं विपणन व्यवस्था :**

3.14.1 चयनित समूहों में से सिलाई, गलीचा, कशीदा, मसाला उद्योग, साबुन निर्माण, कपड़ा बुनाई, फैन्सी बैग इत्यादि गतिविधि संचालित करने वाले 15 समूहों में से 10 समूहों ने कच्चे माल की उपलब्धता एवं 12 समूहों ने विपणन व्यवस्था समुचित नहीं होना अवगत कराया। ग्रामीण क्षेत्र के इन व्यवसायों में ज्यादातर में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है एवं उत्पादन की क्षेत्र में माँग भी काफी कम है। इसके अतिरिक्त पशुपालन गतिविधियों में भी अकाल के कारण चारा एवं पशु आहार की उपलब्धता होने पर भी क्रय करने की क्षमता नहीं होना पाया गया। ऐसी परिस्थितियों में गतिविधियों के

संचालन से आर्थिक उपादेयता कम होने की संभावना रहती है एवं समूह के सदस्यों में आर्थिक जोखिम उठाने का डर रहता है। क्षेत्रीय अवलोकन में पाया गया कि पशुपालन की उपलब्ध करायी गयी ईकाइयों में से कई सदस्यों द्वारा अकाल के कारण चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण/मंहगा होने के कारण आंशिक पशुओं का विक्रय किया गया तथा साबुन निर्माण एवं गलीचा निर्माण सम्बन्धी चार समूहों के सदस्यों की गतिविधि संचालन हेतु एक राय नहीं होने एवं विवाद के कारण गतिविधियों का संचालन प्रारम्भ ही नहीं किया गया जिसके कारण उनके संसाधनों/परिसम्पत्तियाँ अनुपयोगी है एवं शेष संचालित गतिविधियों में उत्पादित माल यथा–दूध, रेडिमेड कपड़े, साबुन, गलीचा इत्यादि का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकारी/गैर–सरकारी एवं समूह उत्तरदाताओं में इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव अवगत कराये :–

(i) कच्चा माल क्रय करने हेतु पर्याप्त कार्यशील राशि की व्यवस्था बैकों से करवायी जानी चाहिये।

(ii) गैर–सरकारी संगठनों का परिसंघ बनाकर कच्चे माल एवं विपणन व्यवस्था का कार्य उनके माध्यम से करवाया जाना चाहिये।

(iii) क्षेत्रीय स्तरीय व्यापारियों से समूहों का कच्चा माल उपलब्ध करवाने एवं उत्पादित माल खरीदने हेतु अनुबन्ध किया जाना चाहिये।

(iv) ग्रामीण क्षेत्र की ईकाइयों को व्यवस्थित बाजार से नियमित रूप से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(v) अकाल की स्थिति में पशुपालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रियायती दर पर चारा एवं पशु आहार उपलब्ध करवाया जाना चाहिये।

### 3.15.0 सृजित परिसम्पत्तियों एवं उपलब्ध कराये गये संसाधनों के प्रभाव :

3.15.1 परियोजना अन्तर्गत आय सृजित, भूमि आधारित एवं सामुदायिक आधारभूत सुविधाओं के निर्माण कार्यों की उप–परियोजना स्वीकृत कर समान रूची समूहों के सदस्यों को परिसम्पत्तियाँ एवं संसाधन उपलब्ध करवाये गये। समूहों द्वारा स्वीकृत उप–परियोजनाओं की गतिविधियाँ, संचालन से पड़े प्रभावों की जानकारी प्राप्त की गयी जिनका संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

3.15.2 **आय पर प्रभाव :**

3.15.2.1 आय सृजित एवं भूमि आधारित उप–परियोजनाओं की गतिविधियों से समूहों एवं समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत आय पर पड़े प्रभाव ज्ञात करने हेतु चयनित 39 आय सृजित समूह, 8 भूमि आधारित समूहों एवं समूहों के सदस्यों से परिसम्पत्ति सृजित एवं संसाधन उपलब्ध होने के पूर्व की आय एवं बाद की आय की सूचना प्राप्त की गयी। आय सृजित एक समूह की सूचनाएं समूह के विघटन, अभिलेख उपलब्ध नहीं होने एवं पदाधिकारियों से सम्पर्क नहीं होने के कारण 38 समूहों की ही सूचना प्राप्त हो पायी। प्राप्त सूचनाओं का संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

| जिला | आय सृजित | | | | भूमि आधारित | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सदस्य संख्या | वार्षिक आय (रुपये) | | आय बढ़ोत्तरी का प्रतिशत | सदस्य संख्या | वार्षिक आय (रुपये) | | आय बढ़ोत्तरी का प्रतिशत |
| | | पूर्व | पश्चात् | | | पूर्व | पश्चात् | |
| बारां | 81 | 974700 | 1446500 | 48.40 | 63 | 293000 | 393000 | 34.13 |
| झालावाड़ | 113 | 1247000 | 2061000 | 65.28 | 12 | 99000 | 205500 | 107.58 |
| चूरू | 94 | 852900 | 1296800 | 52.05 | 6 | 61500 | 61500 | Nil |
| दौसा | 118 | 768100 | 987600 | 28.57 | 42 | 324600 | 378900 | 16.73 |
| **योग** | **406** | **3842700** | **5791900** | **50.72** | **123** | **778100** | **1038900** | **33.52** |

3.15.2.2 उपरोक्त तालिका के समंकों से ज्ञात होता है कि :–

(i) चयनित आय सृजित उप–परियोजनाओं में समूहों की उपलब्ध करायी गयी परिसम्पत्तियाँ एवं संसाधनों से आय में 50.72 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। सबसे ज्यादा झालावाड़ जिले में 65.28 प्रतिशत एवं सबसे कम 28.57 प्रतिशत बढ़ोत्तरी जिला दौसा में हुई। झालावाड़ जिले में हाथकरघा एवं बकरी पालन ईकाइयों की सफलता एवं असफल गतिविधियाँ नहीं होने के कारण सभी चयनित समूहों में आय वृद्धि होने के कारण आय में ज्यादा बढ़ोत्तरी होना पाया गया।

(ii) चयनित भूमि आधारित उप–परियोजनाओं में 33.52 प्रतिशत आय में बढ़ोत्तरी पायी गयी। जिला चूरू में कुण्ड़ बागवानी का संचालन प्रारम्भ ही होने एवं फलदार वृक्ष छोटे होने के कारण अभी आय सृजन नहीं हो पाया है वहीं पर जिला झालावाड़ में फव्बारा संयंत्र एवं अन्य मशीन/औजार उपलब्ध कराने से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण आय में 107.58 प्रतिशत की आय होना पाया गया।

(iii) आय सृजित उप–परियोजना वाले समूहों एवं भूमि आधारित समूहों में क्रमशः 50.72 एवं 33.52 प्रतिशत आय में वृद्धि पायी गयी। इससे ज्ञात होता है कि आय सृजित उप–परियोजनाओं में भूमि आधारित उप–परियोजनाओं से 17.20 प्रतिशत ज्यादा वृद्धि हुई है।

3.15.2.3 चयनित समूहों एवं उनके सदस्यों की आय में वृद्धि ज्ञात करने हेतु परिसम्पत्तियाँ सृजित होने एवं संसाधन उपलब्ध करवाने के पूर्व एवं बाद की प्राप्त आय की सूचनाओं के प्रतिशत का आकलन किया गया जिसका जिलेवार संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| जिला | आय वृद्धि के प्रतिशत वर्ग अनुसार समूह संख्या एवं कोष्ठक में सदस्य संख्या | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आय सृजित | | | | | | | भूमि आधारित | | | | | | |
| | शून्य | 25% तक | 25–50% तक | 50–75% तक | 75–100% तक | 100% से ज्यादा | योग | शून्य | 25% तक | 25–50% तक | 50–75% तक | 75–100% तक | 100% से ज्यादा | योग |
| बारां | 4 (31) | – | 1 (12) | – | 1 (7) | 3 (31) | 9 (81) | – | – | 1 (63) | – | – | – | 1 (63) |
| झालावाड़ | – | – | 4 (51) | 3 (33) | 1 (11) | 2 (18) | 10 (113) | – | – | – | – | – | 1 (12) | 1 (12) |
| चूरू | 3 (32) | 1 (15) | 1 (16) | – | – | 2 (31) | 7 (94) | 1 (6) | – | – | – | – | – | 1 (6) |
| दौसा | 5 (51) | 2 (20) | 3 (29) | 2 (18) | – | – | 12 (118) | – | 4 (31) | 1 (11) | – | – | – | 5 (42) |
| **योग** | **12 (114)** | **3 (35)** | **9 (108)** | **5 (51)** | **2 (18)** | **7 (80)** | **38 (406)** | **1 (6)** | **4 (31)** | **2 (74)** | **–** | **–** | **1 (12)** | **8 (123)** |

3.15.2.4 उपरोक्त तालिका के समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

अ. **आय सृजित :**

(i) आय सृजित 38 समूहों में से 12 (31.58 प्रतिशत) समूहों की आय में कोई वृद्धि नहीं पायी गयी एवं शेष 26 (68.42 प्रतिशत) समूहों की आय में वृद्धि पायी गयी। इन 38 समूहों में 12 समूहों की 50 प्रतिशत तक, 7 समूहों की 50–100 प्रतिशत तक एवं 7 समूहों की 100 प्रतिशत से भी ज्यादा पायी गयी। 100 प्रतिशत से ज्यादा आय वृद्धि वाले समूहों की उप–परियोजनाएं टेन्ट हाऊस, बैण्ड़ बाजा, भैंस पालन, हाथकरघा, बकरी पालन एवं गाय पालन गतिविधियों की है।

(ii) जिन 12 समूहों की आय में वृद्धि शून्य रही उनमें कम्प्रेशर साईकिल, टेन्ट हाऊस, कशीदा, सिलाई, गलीचा, बैग मैकिंग, मसाला, साबुन इत्यादि गतिविधियों की ईकाइयाँ है। इन 12 ईकाइयों में से 3 ईकाइयों के कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण, एक गतिविधि का स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण, एक समूह का विघटन होने के कारण एवं 7 ईकाइयाँ कार्यशील राशि, कच्चे माल एवं विपणन की समुचित व्यवस्था के साथ–साथ उत्पादन की माँग नहीं होना एवं सदस्यों में आपसी विवाद होना पाया गया।

(iii) इन समूहों के कुल 406 सदस्यों में 114 (28.08 प्रतिशत) सदस्य की आय में कोई वृद्धि नहीं पायी गयी, 143 (35.22 प्रतिशत) सदस्यों की आय में 50 प्रतिशत तक, 69 (17.00 प्रतिशत) सदस्यों की 50–100 एवं शेष 80 (19.70 प्रतिशत) सदस्यों की आय में शत–प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि पायी गयी।

(iv) जिला झालावाड़ में किसी भी समूह की 25 प्रतिशत से कम आय में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि जिला झालावाड़ के चयनित समूहों का संचालन सफलतापूर्वक चल रहा है।

ब. **भूमि आधारित :**

(i) भूमि आधारित 8 समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों से 1 समूह द्वारा कुण्ड़ बागवानी गतिविधि से सर्वे दिनांक को आय नहीं हो पा रही थी क्योंकि बागवानी के वृक्ष अभी तक फल नहीं देने लगे है, 6 समूहों की 50 प्रतिशत तक एवं 1 समूह की आय में 100 प्रतिशत से ज्यादा आय में वृद्धि सिंचित क्षेत्रफल बढ़ने के कारण से हुई है। इन समूहों के कुल 123 सदस्यों में से 6 (4.88 प्रतिशत) सदस्यों की आय में कोई वृद्धि नहीं पायी गयी, 105 (85.37 प्रतिशत) सदस्यों की 50 प्रतिशत तक एवं शेष 12 (9.75 प्रतिशत) सदस्यों की शत–प्रतिशत से ज्यादा आय में वृद्धि हुई है।

3.15.2.5 चयनित समूहों के सदस्यों से परियोजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये संसाधन/सृजित परिसम्पत्तियों की गतिविधि को संचालित करने के बाद उनके परिवार की प्राप्त वार्षिक आय की सूचना से 20,000 रुपये तक एवं 20,000 रुपये से ज्यादा आय सृजित करने वाले सदस्यों की समूहवार गणना की गयी। कई समूहों के स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उनकी गतिविधियाँ संचालित नहीं हुई एवं कई समूहों द्वारा गतिविधि तो संचालित कर दी गयी परन्तु अल्प अवधि के कारण सदस्यों की आय में वृद्धि नहीं हो पायी है, इनके अलावा शेष समूहों के सदस्यों की वार्षिक आय का आकलन किया गया है। आय सृजित एवं भूमि आधारित उप–परियोजनावार संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

| जिला | आय सृजित समूहों की उप–परियोजनाओं के समूह एवं सदस्यों की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल समूह संख्या (सदस्य संख्या) | आय में वृद्धि अपेक्षित नहीं वाले समूह एवं सदस्य संख्या | | आय में वृद्धि अपेक्षित समूह संख्या, सदस्य संख्या | सदस्य संख्या | |
| | | अपूर्ण कार्य/संसाधन के कारण गतिविधि संचालित नहीं | गतिविधि संचालित किये हुए कम समय के कारण | | 20,000 रुपये तक आय | 20,000 रुपये से ज्यादा आय |
| बारां | 9 (81) | 4 (31) | – | 5 (50) | 15 | 35 |
| झालावाड़ | 10 (113) | – | – | 10 (113) | 59 | 54 |
| चूरू | 7 (94) | – | 3 (32) | 4 (62) | 39 | 23 |
| दौसा | 12 (118) | 3 (30) | – | 9 (88) | 88 | – |
| **योग** | **38 (406)** | **7 (61)** | **3 (32)** | **28 (313)** | **201** | **112** |

3.15.2.6 उपरोक्त तालिका के समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आय सृजित 38 समूहों के 406 सदस्यों में से 10 (26.32 प्रतिशत) समूहों के सदस्यों की आय का आकलन नहीं किया गया है क्योंकि इनमें से 7 समूहों के 61 सदस्यों के स्वीकृत संसाधन उपलब्ध नहीं होने/कार्य अपूर्ण होने के कारण गतिविधि प्रारम्भ नहीं की गयी तथा 3 समूहों के 32 सदस्यों द्वारा गतिविधि कुछ माह पूर्व ही प्रारम्भ करने के कारण अभी तक आय में वृद्धि नहीं हो पायी है। शेष 28 समूहों के 313 सदस्यों की आय का आकलन किया गया। इन 313 सदस्यों में 112 (35.78 प्रतिशत) सदस्य की आय 20,000 रुपये से ज्यादा है एवं शेष 201 (64.22 प्रतिशत) सदस्यों की आय 20,000 रुपये से कम है। इस प्रकार से चयनित समूहों को उपलब्ध करवाये गये संसाधनों/परिसम्पत्तियों से गतिविधि संचालित करने वाले 35.78 प्रतिशत सदस्यों की आय 20,000 रुपये से अधिक होना पाया गया।

3.15.2.7 भूमि आधारित उप–परियोजनाओं अन्तर्गत कृषकों/ग्रामवासियों को उपलब्ध कराये संसाधनों/सुविधाओं में से उनकी आय में वृद्धि तो हुई है परन्तु किसी भी सदस्य की आय 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो पायी। इससे स्पष्ट है कि भूमि आधारित उप–परियोजनाओं में आय में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर उनकी आय वृद्धि में केवल सहायक रही।

3.15.2.8 उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सम्पूर्ण समूहों को पूर्ण आर्थिक इकाई/संसाधन उपलब्ध करवाने से लाभान्वित व्यक्तियों में से लगभग 35.00 प्रतिशत गरीब सदस्य 20,000 रुपये से ज्यादा आय सृजित करने से सफल होकर समाज के अन्य साधारण स्तर के व्यक्तियों तक पहुँच पाने में समर्थ रहे है इसे सापेक्षित रूप में लिया जावें।

3.15.2.9 परियोजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये संसाधनों से कितने प्रतिशत सदस्यों की व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर 58 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं में से 18 (31.03 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 50 प्रतिशत तक, 24 (41.38 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक एवं शेष 16 (27.59 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 75 प्रतिशत से ज्यादा सदस्यों की आय में वृद्धि होना अवगत कराया। इसी प्रकार उनसे सदस्यों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि के प्रतिशत के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर 29 (50.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 25 प्रतिशत तक 8 (13.79 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 25 से 50 प्रतिशत तक एवं शेष 21 (36.21 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 50 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्तिगत आय में वृद्धि होना अवगत कराया।

### 3.15.3 सामुदायिक आधारभूत सुविधा निर्माण कार्यो के प्रभाव :

3.15.3.1 चयनित समान रूची समूहों को सामुदायिक एवं सामाजिक सेवाओं की उप–परियोजनाएं यथा शौचालय एवं स्नागृह निर्माण, आवास निर्माण के कार्य करवाये गये है। इन निर्माण कार्यों को समूहों के सदस्यों की आवास भूमि पर करवाया गया। इन निर्माण कार्यों से पड़े प्रभाव यथा– दूषित वातावरण एवं गन्दगी से बचना एवं स्वच्छता पर अनुकूल प्रभाव पड़ना, आवास सुविधा होना, स्थायी परिसम्पत्ति सृजित होना, सामाजिक स्तर बढ़ना, बच्चों की पढ़ाई में सुविधा, निर्माण के समय रोजगार मिलना, समूह के सदस्य सम्पर्क में आने से सद्भावना में बढ़ोत्तरी होना इत्यादि अवगत कराये गये। इससे ज्ञात होता है कि समूहों के सदस्यों को निर्माण कार्यों से स्थायी परिसम्पत्ति उपलब्ध होने से पर्यावरण के साथ–साथ रोजगार, रहन–सहन, सामाजिक स्तर एवं शैक्षणिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

### 3.16.0 मासिक बैठकें एवं अभिलेख संधारण :

### 3.16.1 मासिक बैठकें :

3.16.1.1 परियोजनान्तर्गत गठित समूहों की सामुदायिक सहजकर्त्ता द्वारा मासिक बैठक आयोजित कर प्रति माह मासिक प्रतिवेदन भिजवाना निर्धारित है। चयनित 56 समूहों में से 39 (69.64 प्रतिशत) समूहों द्वारा नियमित, 11 (19.64 प्रतिशत) द्वारा अनियमित एवं शेष 6 (10.72 प्रतिशत) समूहों द्वारा मासिक बैठकें आयोजित नहीं किया जाना पाया गया। मासिक बैठकें आयोजित नहीं होने वाले समूहों द्वारा सर्वे दिनांक को गतिविधियाँ संचालित नहीं किया जाना भी पाया गया।

### 3.16.2 **बैंक खाते :**

3.16.2.1 चयनित समस्त 56 समूहों के दो प्रकार के बैंक खाते यथा समान रूचि समूह रख–रखाव बैंक बचत खाता एवं परियोजना खाते खुलवाये गये। इनमें से 51 (91.07 प्रतिशत) समूहों के खातों का संचालन नियमित होना एवं शेष 5 (8.93 प्रतिशत) समूहों का संचालन अनियमित होना अवगत कराया गया। समूह बचत खातों की पास बुक के अवलोकन करने पर पाया गया कि ज्यादातर समूहों द्वारा गठन के समय बचत कर खाता खुलवाया था उसके बाद कम समूहों द्वारा ही नियमित बचत की जा रही है। परियोजना खाते के संचालन की पास बुकों के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि ज्यादातर समूहों द्वारा अंशदान बचत खाते के बजाय उप–परियोजना स्वीकृति के समय राशि एकत्रित कर सीधे ही खाते में जमा करवाकर स्वीकृति राशि की प्रथम किश्त प्राप्त की गयी। इससे स्पष्ट है कि परियोजनान्तर्गत ज्यादातर समूहों के सदस्यों द्वारा नियमित बचत नहीं की जा रही है।

### 3.16.3 **अभिलेख संधारण :**

3.16.3.1 परियोजना अन्तर्गत समूहों द्वारा लेखे एवं रोकड़ बही, लाभार्थी अंशदान, रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, लेखे सम्बन्धी सदस्यवार अभिलेख, प्राप्ति एवं भुगतान एवं मासिक प्रतिवेदन पत्रावलियाँ संधारित की जानी थी। अभिलेखों के संधारण के बारे में 56 समूहों में से 47 से 49 (83.93 से 87.50 प्रतिशत) समूहों द्वारा इन अभिलेखों का संधारण किया जाना अवगत कराया। चयनित समूहों से लेखों की नियमित संधारण के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर केवल लेखे एवं रोकड़ बही तथा भुगतानों के अभिलेख 47 (83.93 प्रतिशत) समूहों द्वारा नियमित संधारण किया जाना एवं शेष अभिलेखों का संधारण 41 से 44 (73.21 से 78.57 प्रतिशत) समूहों द्वारा ही किया जाना अवगत कराया गया। नियमित अभिलेख संधारण नहीं करने के मुख्य कारण सामुदायिक सहजकर्त्ताओं की नियमित उपस्थित नहीं होना, समूहों की निष्क्रियता एवं विघटन होना पाया गया। सामुदायिक सहजकर्त्ता की नियमित उपस्थिति के बारे में 33 (58.93 प्रतिशत) समूहों द्वारा नियमित उपस्थित होना, 11 (19.64 प्रतिशत) समूहों द्वारा अनियमित उपस्थित होना एवं शेष 12 (21.43 प्रतिशत) समूहों ने सहजकर्त्ताओं द्वारा समूह से सम्पर्क नहीं करना अवगत कराया। इन 12 समूहों में या तो गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा रही है या समूह सदस्यों में विवाद/निष्क्रिय है।

### 3.17.0 **निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन व्यवस्था :**

3.17.1 समूहों द्वारा संचालित गतिविधि, समूह की निगरानी एवं सृजित परिसम्पत्ति/उपलब्ध कराये गये संसाधनों के भौतिक सत्यापन इत्यादि कार्यों हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर चयनित 56 समूहों में से 45 (80.36 प्रतिशत) समूहों ने गैर–सरकारी संगठन के पदाधिकारियों/

विषय विशेषज्ञों, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा एवं शेष 11 (19.64 प्रतिशत) समूहों ने केवल गैर–सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों एवं जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जना अवगत कराया। 56 समूहों में से उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की सूचना निम्न प्रकार है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई | – | 5 (8.93 प्रतिशत) समूह |
| 2. | जिला कलेक्टर | – | 3 (5.38 प्रतिशत) समूह |
| 3. | विश्व बैंक की टीम | – | 2 (3.57 प्रतिशत) समूह |
| 4. | प्रोजेक्ट फेसिलिटी | – | 1 (1.79 प्रतिशत) समूह |
| 5. | डेयरी एवं वन विभाग के अधिकारी | – | 8 (14.29 प्रतिशत) समूह |
| 6. | राज्य एवं जिला इकाई के अधिकारी | – | 32 (57.14 प्रतिशत) समूह |

3.17.2 इससे ज्ञात होता है कि समय–समय पर जिला स्तरीय अधिकारियों, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी एवं गैर–सरकारी संगठन के पदाधिकारियों के अलावा परियोजना राज्य स्तरीय अधिकारियों, जिला प्रशासन, विश्व बैंक की टीम, प्रोजेक्ट फेसिलिटी की टीम के द्वारा भी पर्यवेक्षण कार्य किया गया।

3.17.3 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि परियोजनान्तर्गत उप–परियोजना क्रियान्वयन का समस्त कार्य गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धीमी गति से कार्य कर उप–परियोजनाओं के क्रियान्वयन में काफी समय लगाते है जिसके कारण अपेक्षित परिणाम यथासमय नहीं आ पाते हैं। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि गैर–सरकारी संगठनों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं सामुदायिक सहजकर्त्ताओं की पर्याप्तता एवं उनके कार्य संचालन की गति इत्यादि की प्रबोधन व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

### 3.18.0 स्वीकृत नहीं हुई उप–परियोजनाओं की स्थिति :

3.18.1 चयनित जिलों से जिन समान रूचि समूहों की परियोजना आरम्भ वर्ष से मार्च,2006 तक स्वीकृति हेतु उप–परियोजनाएं प्रस्तुत करने के उपरान्त स्वीकृति जारी नहीं की गयी उन 14 समूहों से समूह के गठन एवं उप–परियोजना प्रस्तुत करने की दिनांक एवं उप–परियोजना स्वीकृत नहीं होने के कारणों की सूचना प्राप्त की गयी। समूह गठन से उप–परियोजना प्रस्तुत करने की समयावधि का आकलन कर समूह के गठन की वर्षवार संकलित सूचना का विवरण निम्न प्रकार है :–

(संख्या)

| समूह का गठन वर्ष | समूहों की संख्या | स्वीकृति हेतु प्रस्तुत उप–परियोजना संख्या | गठन से उप–परियोजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने की समयावधि (माह में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 माह | 3–6 माह | 6–9 माह | 9 माह से ज्यादा | योग |
| 2002–03 | 5 | – | – | 3 | 2 | – | 5 |
| 2003–04 | 3 | 7 | 2 | 1 | – | – | 3 |
| 2004–05 | 5 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2005–06 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2006–07 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| **योग** | **14** | **14** | **3** | **6** | **3** | **2** | **14** |

3.18.1.1 उपरोक्त समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत 14 उप–परियोजना के समूहों का गठन वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 में क्रमशः 5, 3, 5, 1 समूहों का किया गया। इन समूहों की उप–परियोजनाएं स्वीकृति हेतु वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 में क्रमशः 6, 4, 2, 2 प्रस्तुत की गयी। वर्ष 2002–03 में गठित 5 समूहों का गठन नवम्बर,2002 से मार्च,2003 के बीच में हुआ था जिनकी उप–परियोजनाएं 2002–03 में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

(ii) इन 14 समूहों में से वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06 में क्रमशः 2, 2, एवं 1 कुल 5 गठित समूहों की उसी वित्तीय वर्ष में 7 समूहों की उप–परियोजनाएं गठन के अगले वर्ष में एवं शेष 2 समूहों की उप–परियोजनाएं अगले दूसरे वित्तीय वर्ष में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी।

(iii) 14 समूहों में से 3, 6, 3, 2 समूहों की समूहों की उप–परियोजनाएं समूह गठन के पश्चात् क्रमशः 3 माह, 3–6 माह, 6–9 माह एवं 9 माह से ज्यादा समयावधि में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी। 9 माह से ज्यादा समयावधि वाली दो समूहों की उप–परियोजनाएं समूह गठन के 18 एवं 20 माह बाद प्रस्तुत किया जाना अवगत कराया गया। ये दोनों परियोजना पशुपालन डेयरी एवं विडियोग्राफी गतिविधियों की है। ज्यादा समयावधि लगने के निम्न कारण अवगत कराये गये :–

- पशुपालन डेयरी की उप–परियोजना उसी ग्राम में दूसरे समूह को स्वीकृत करने के कारण इस समूह को अन्य उप–परियोजना चयन करने हेतु प्रेरित किया गया, परन्तु समूह ने डेयरी की गतिविधि का चयन किया।
- विडियोग्राफी की उप–परियोजना नोडल के रूप में तैयार नहीं थी जिसको तकनीकी / विषय विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार करवाने में विलम्ब हुआ।

3.18.1.2 इन 14 समूहों की उप–परियोजनाओं की सर्वे दिनांक को स्वीकृति की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) **वर्ष 2002–03 में गठित 5 समूहों की उप–परियोजनाएं :**

- 1 समूह की डेयरी उप–परियोजना समूह के सदस्यों में बिखराव होने एवं दूसरे समूहों में सदस्य बन जाने के कारण स्वीकृत नहीं हुई समूह निष्क्रीय है।
- आर.सी.सी., शटरिंग एवं सिलाई केन्द्र गतिविधियों के दो समूहों की उदासीनता एवं नियमित बचत नहीं करने के कारण स्वीकृत नहीं हुई। दोनों गतिविधियाँ दूसरे समूहों द्वारा भी संचालित की जा रही थी जिसके कारण समूह सदस्य सक्रिय नहीं हुए। दोनों समूहों की उप–परियोजनाएं स्वीकृति स्तर पर है।
- एक समूह की मसाला उद्योग की उप–परियोजना स्वीकृति हेतु तैयार की थी परन्तु क्षेत्र में माँग कम होने एवं विपणन व्यवस्था की आशंका से सदस्य निष्क्रीय होने के कारण स्वीकृत नहीं की गयी। उप–परियोजना स्वीकृति स्तर पर है।
- एक समूह की मुर्गीपालन उप–परियोजना सदस्यों में विवाद के कारण स्वीकृत नहीं हुई। समूह का पुनर्गठन कर बकरी पालन की परियोजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की हुई है, जो स्वीकृति स्तर पर है।

(ii) **वर्ष 2003–04 में गठित 3 समूहों की परियोजनाएं :**

- दो समूहों की उप–परियोजनाएं विद्यालय कमरा निर्माण एवं सांडशाला की थी जो आधारभूत सुविधा की उप–परियोजनाएं होने के कारण निरस्त की गयी। एक समूह द्वारा वर्ष 2006–07 में कुण्ड व बागवानी की उप–परियोजना स्वीकृति हेतु भिजवायी है जो स्वीकृति स्तर पर है एवं दूसरा समूह निष्क्रीय है।
- एक समूह की मुर्गीपालन गतिविधि थी जो आवश्यक दस्तावेज यथा किरायानामा इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण लम्बित है।

(iii) **वर्ष 2004–05 में गठित 5 समूहों की परियोजनाएं :**

- एक महिला समूह की टेन्ट हाऊस उप–परियोजना थी। समूह की उदासीनता एवं बचत नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं की गयी।
- विडियोग्राफी एवं थ्रेसर गतिविधि की दो उप–परियोजनाएं जिला डीपीआईपी के चाहेनुसार संशोधित कर स्वीकृति हेतु पुनः भिजवायी है।
- एक समूह की डेयरी उप–परियोजना स्वीकृति स्तर पर है। दूसरे समूह की गतिविधि भी डेयरी होने के कारण इस उप–परियोजना को लम्बित रखा गया।

(iv) **वर्ष 2005–06 में गठित 1 समूह :**

- एक समूह द्वारा कुण्ड़ एवं बागवानी की उप–परियोजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की थी। डीपीआईपी द्वारा चाहे गये आवश्यक दस्तावेजन प्रस्तुत नहीं होने के कारण स्वीकृति लम्बित है।

3.18.1.3 उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार समन्वित निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

(i) 7 समूहों की परियोजनाएं स्वीकृति स्तर में है, पूर्व में वांछित दस्तावेजों की कमी, नियमित बचत नहीं करने, सदस्यों में उप–परियोजना की गतिविधि संचालन में संदेह के कारण उदासीन रहना इत्यादि के कारण उप–परियोजनाएं लम्बित थी।

(ii) 3 समूहों की उप–परियोजनाएं समूहों के निष्क्रीय रहने, नियमित बचत नहीं करने, दूसरे समूहों में सदस्य बनने इत्यादि के कारण बिखराव की स्थिति में है।

(iii) 2 समूहों ने समूहों का पुनर्गठन कर उप–परियोजना परिवर्तन कर स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की गयी जो स्वीकृति स्तर पर है।

(iv) 2 समूह द्वारा डीपीआईपी के निर्देशानुसार उप–परियोजना में संशोधन कर वांछित दस्तावेज पुनः प्रस्तुत नहीं किये गये।

3.18.2 गठित समूहों की उप–परियोजनाएं स्वीकृत नहीं होने के मुख्य कारण सदस्यों में गतिविधि संचालन हेतु एक मत नहीं होने के कारण विवाद होना अर्थात् उप–परियोजना का सही चयन नहीं होना एवं नियमित बचत नहीं करना रहा है। अतः विभाग द्वारा गठन के साथ ही उप–परियोजना का चयन समूहों की सहमति से क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए एवं नियमित बचत करवाने पर बल दिया जाना चाहिये।

3.19.0 **सामुदायिक ढ़ाँचागत कार्य :**

3.19.1 डी.पी.आई.पी. अन्तर्गत समूहों की उप–परियोजनाओं के अलावा सामुदायिक ढ़ाँचागत निर्माण कार्य भी करवाये गये। मूल्यांकन रूपांकन के अनुसार चयनित क्षेत्रों के 13 के ग्रामों में 17 निर्मित कार्यों का चयन किया गया। चयनित कार्यों की व्यय राशि, भौतिक स्थिति, गुणवत्ता के साथ–साथ कार्य की आवश्यकता, कार्य की उपयुक्तता, निर्माण कार्य की उपयोगिता इत्यादि के बारे में वस्तुस्थिति की प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न प्रकार है :–

3.19.2 **सामान्य विवरण :**

(i) चयनित 17 कार्यों में से जिला– बारां, झालावाड़, चूरू एवं दौसा जिले के क्रमशः 8, 3, 4 एवं 2 निर्माण कार्य है।

(ii) वर्ष 2002–03 में 3 कार्य, वर्ष 2003–04 में 8 कार्य एवं वर्ष 2005–06 में 6 कार्यों का निर्माण करवाया गया।

3.19.3 **कार्यों के प्रकारवार व्यय राशि :**

(संख्या)

| क्र. सं. | कार्य का प्रकार | कार्यों की संख्या | व्यय राशि (रुपये लाखों में) | निर्माण स्थल ग्राम के | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | बाहर | बीच में | किनारों पर | बस्ती में |
| 1. | पेयजल कार्य (ट्यूबवैल–2, कुआ–1, हैण्ड़पम्प–1) | 4 | 4.45 | 2 | – | 2 | – |
| 2. | खुरा/खंरजा निर्माण | 4 | 6.99 | – | 4 | – | – |
| 3. | भवन निर्माण (आंगनबाड़ी–2,सामुदायिक भवन–2, उप स्वास्थ्य केन्द्र–1) | 5 | 8.79 | – | 4 | 1 | – |
| 4. | भवन, चारदीवारी (विद्यालय–1, पीएचसी–1) | 2 | 4.44 | 1 | – | 1 | – |
| 5. | अन्य (स्कूल कमरा मय बरामदा–1 एवं शौचालय एवं स्नानघर बस्ती में) | 2 | 2.20 | – | – | 1 | 1 |
| | **योग** | **17** | **26.87** | **3** | **8** | **5** | **1** |

3.19.3.1 उपरोक्त समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) 17 कार्यों में से 4 कार्य पेयजल के, 4 कार्य खुरा/खरंजा निर्माण के, 5 कार्य भवन निर्माण, 2 कार्य भवन चारदीवारी एवं शेष 2 कार्य कमरा निर्माण मय बरामदा तथा शौचालय स्नानघर निर्माण के है।

(ii) 17 कार्यों पर 26.87 लाख रुपये व्यय किये गये जो प्रति कार्य रुपये 1.58 लाख रुपये है।

(iii) 17 कार्यों में से 8 कार्य ग्राम के बीच, 5 कार्य ग्राम के किनारे पर, 3 कार्य ग्राम के बाहर एवं 1 कार्य का निर्माण ग्राम की बस्ती में हुआ है।

### 3.19.4 कार्यों की आवश्यकता :

3.19.4.1 कार्यों की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर शत–प्रतिशत कार्यों की आवश्यकता अवगत करायी गयी तथा कार्यों एवं कार्यस्थल का चयन प्राथमिकता से क्षेत्रीय आवश्यकता एवं आम सहमति से किया जाना अवगत कराया गया। चारदीवारी सुरक्षा की दृष्टि से, खरंजा/खुर्रा कार्य पानी के भराव होने के कारण एवं रास्ते में मिट्टी कटाव रोकने के लिए, पेयजल कार्य ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने, भवन निर्माण ग्राम में समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक थी। इस प्रकार सामुदायिक ढ़ाँचागत कार्यों का चयन ग्रामवासियों की आवश्यकता के अनुरूप ही किया गया है।

### 3.19.5 कार्यों की निर्माण स्थिति, गुणवत्ता एवं उपयोगिता :

3.19.5.1 निर्मित कार्यों की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता एवं उपयोगिता का संकलित विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) 17 कार्यो में से 16 कार्य पूर्ण कर लिये गये है, केवल 1 कार्य कूप निर्माण का अपूर्ण पाया गया। कुए की केवल 12 फीट खुदाई की गयी है उसके बाद में कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया गया। इस कार्य से किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है।

(ii) निर्मित 16 पूर्ण कार्य की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर 5 कार्यों की गुणवत्ता अच्छी एवं शेष 11 कार्यों की ठीक–ठाक अवगत करायी गयी।

(iii) पूर्ण निर्मित 16 कार्यों में से 14 कार्यों का उपयोग किया जाना एवं 2 पेयजल ट्यूवबैलों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया। ट्यूवबैलों का कार्य वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में पूर्ण हो चुका था परन्तु उसके बाद ट्यूवबैलों को चलाने हेतु ग्रामवासियों द्वारा डीजल के पैसों की व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण बन्द पड़े हैं।

(iv) सामयिकी निष्कर्ष है कि 17 कार्यों पर 26.87 लाख रुपये व्यय किये गये जिनमें से 3 कार्यों का उपयोग नहीं हो रहा है जिन पर राशि 4.05 लाख रुपये व्यय की गयी थी। अनुपयोगी तीनों कार्य पेयजल कार्यों के हैं। पेयजल सम्बन्धी कार्यों का पूर्ण नहीं होना एवं अनुपयोगी होना क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप ठीक नहीं है। अतः विभाग द्वारा उपयोग में नहीं लिये जा रहे निर्मित कार्यों को उपयोगी बनाने हेतु कार्यकारी एजेन्सी/ग्राम पंचायत को पाबन्द करना चाहिये तथा कार्यों की उपयोगिता की समुचित प्रबोधन व्यवस्था की जानी चाहिये।

### 3.19.6 रोजगार सृजन :

3.19.6.1 निर्मित कार्यों में बी.पी.एल. परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में अवगत कराया गया कि ज्यादातर कार्यों में 90 से 100 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया। बी.पी.एल. परिवारा सदस्यों की अनुपलब्धता पर ही अन्य गरीब व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इन कार्यों में भी समूहों के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जाना अवगत कराया गया।

### 3.19.7 निर्मित कार्यों के प्रभाव :

3.19.7.1 निर्मित कार्यों से हुए लाभ एवं उनसे पड़े प्रभावों के बारे में निम्न जानकारी अवगत करायी गयी :–

(i) ग्राम के बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों को ग्राम में ही रोजगार उपलब्ध हुआ एवं ग्राम में परिसम्पत्तियों का सृजन हुआ है।

(ii) भवनों की चारदीवारी कार्य करवाये जाने से भवनों की सुरक्षा के साथ–साथ बच्चों एवं रोगियों को चारदीवारी में बैठने की सुविधा हो गयी तथा पशुओं/कुत्तों द्वारा गन्दगी करने एवं उनका प्रवेश बन्द हो गया। साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था हुई है।

(iii) खरंजा/खुर्रा निर्माण कार्यों से रास्तों में मिट्टी के कटने से बन्द होना एवं गाँव में पानी भराव नहीं होने के कारण गन्दगी से बचाव हुआ एवं आवागमन की सुविधा हुई। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

(iv) सामुदायिक भवन से ग्रामवासियों हेतु बैठने की व्यवस्था होने से सम्पर्क बढ़ा है तथा गाँव वालों को सार्वजनिक समारोह/बैठकें करने का स्थान उपलब्ध हुआ है।

(v) विद्यालय/आंगनबाड़ी/उपकेन्द्र इत्यादि निर्माण से वांछित सुविधाएं प्राप्त करने हेतु निश्चित स्थायी व्यवस्था उपलब्ध हुई है एवं बरामदों में बैठने की सुविधा प्राप्त हुई है जिससे बच्चों की पढ़ाई, बीमारी के ईलाज से स्वास्थ्य सुधार में ही अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

(vi) हैण्ड़पम्प से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता रही है।

3.20.0 **ग्राम स्तरीय व्यवस्था :**

3.20.1 ग्रामों में उप–परियोजनाएं एवं गतिविधियाँ संचालन हेतु गैर–सरकारी संगठन के सामुदायिक सहजकर्त्ता एवं समन्वय स्थापित करने, आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं अन्य आवश्यक सहयोग के कार्य हेतु ग्राम विकास संस्था द्वारा किया जाता है। ग्राम विकास संस्था का अध्यक्ष ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव सामुदायिक सहजकर्त्ता होता है। अध्ययन हेतु 24 ग्रामों में क्षेत्रीय कार्य किया गया जिनमें ग्राम स्तरीय व्यवस्था की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) 24 ग्रामों में से 12 (50.00 प्रतिशत) ग्रामों में ग्राम विकास संस्था/समिति गठित की गयी एवं शेष 12 (50.00 प्रतिशत) ग्रामों में ग्राम विकास समितियों का गठन नहीं किया। इन ग्रामों में केवल आवश्यकता पड़ने पर सामुदायिक सहजकर्त्ता द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच से आवश्यक कार्यवाही एवं सहयोग लेकर समन्वय स्थापित कर उप–परियोजनाओं का संचालन करना पाया गया। ज्यादातर गठित समितियों की बैठकें भी नियमित नहीं होना पाया गया केवल ग्राम पंचायत सरपंच से आवश्यक सहयोग लेकर दस्तावेज कार्यवाही पूर्ण करवा ली जाती है।

(ii) क्षेत्रीय अवलोकन में पाया गया कि गैर–सरकारी संगठनों द्वारा एक ही सामुदायिक सहजकर्त्ताओं को गाँवों में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं करते हैं। समय–समय पर सहजकर्त्ताओं का स्थान परिवर्तन करते रहते हैं जिसके कारण परियोजना की गतिविधियाँ नियमित एवं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती है, कार्य भी काफी धीमी गति से हो पाता है। जिन क्षेत्र के गाँवों में समूह संख्या कम है ग्रामों की आपस में दूरी ज्यादा है उन क्षेत्रों में 5–6 ग्रामों में एक ही सहजकर्त्ता को आवंटित कर दिये जाते हैं जिसके कारण सहजकर्त्ता द्वारा समूह से नियमित सम्पर्क नहीं पाने से उप–परियोजनाओं के क्रियान्वयन में काफी समय लगाना अवगत कराया गया। क्षेत्रीय कार्य के दौरान अवगत कराया गया कि गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ग्राम प्रवेश के समय ही नियमित सम्पर्क कर प्रचार–प्रसार, जानकारियाँ देकर समूह का गठन कर उप–परियोजनाओं का चयन कर लेते हैं, परन्तु उसके बाद के कार्यकलापों हेतु कम समय देते है जिसके कारण आगामी कार्य यथा उप–परियोजना स्वीकृति, संसाधन क्रय, परि–सम्पत्तियाँ सृजित करना, प्रशिक्षण, गतिविधि संचालन इत्यादि कार्य काफी धीमी गति से हो पाता है। इस सम्बन्ध में सुझाव है कि उप–परियोजनाओं के कार्य निर्धारित अवधि में ही करवाने हेतु पर्याप्त संख्या में सहजकर्त्ता लगवाये जावें एवं जहाँ तक संभव हो एक बार जिस गाँव/क्षेत्र के सहजकर्त्ता को आवंटित किया जाता है उस सहजकर्त्ता को उसी गाँव/क्षेत्र में रखा जाना चाहिये।

3.21.0 **गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका :**

3.21.1 परियोजना में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि परियोजना में ग्राम प्रवेश से लेकर समूहों की उप–परियोजनाओं के प्रबन्धन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, आदान एवं विपणन हेतु आवश्यक सलंग्नताएं उपलब्ध कराने, कार्यशील पूँजी हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थाओं में सम्पर्क करना एवं समूह के स्वयं धारणीय होने तक अर्थात् समूह उप–परियोजना का प्रबन्धन स्वयं करने तक योग्य हो जावे तब तक का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व गैर–सरकारी संगठनों को सौंपा गया है। प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय कार्य के दौरान अवलोकित तथ्यों के आधार पर वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

(i) ज्यादातर गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ग्राम प्रवेश के पश्चात् समान रूचि समूहों के गठन करने के बाद उप–परियोजना का चयन करने, उप–परियोजनाएं तैयार कर स्वीकृति हेतु भिजवाने में काफी समय लगाया गया।

(ii) समूहों के बचत खाते खुलवाने के बाद समूह के सदस्यों की नियमित बचत पर ध्यान नहीं देने के कारण उप–परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् अंशदान जारी कराने में काफी समय लगाया गया जिससे समूह को प्रथम किश्त काफी देरी से प्राप्त होना पाया गया।

(iii) ग्राम प्रवेश के साथ गैर–सरकारी संगठनों द्वारा नियुक्त सामुदायिक सहजकर्त्ताओं को समय–समय पर बदल दिया गया जिससे सहजकर्त्ताओं का समूहों से सही तालमेल/स्थापित नहीं होने के कारण उप–परियोजना के विभिन्न चरणों के कार्य सम्पादित करवाने में काफी समय लगा।

(iv) क्षेत्र की आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में सामुदायिक सहजकर्ताओं को नहीं लगाया जाना भी पाया गया।

(v) डी.पी.आई.पी. से राशि प्राप्त करने के बाद परिसम्पत्तियाँ/सृजित करने एवं संसाधन क्रय करने की व्यवस्था पर कई समूहों में एवं गैर–सरकारी संगठनों में विवाद होने/समन्वय नहीं होने के कारण लम्बी अवधि तक राशि का उपयोग नहीं किया गया तथा डी.पी.आई.पी. से व्यय राशि का समायोजन नहीं करवाने के कारण द्वितीय किश्त प्राप्त करने में विलम्ब होना पाया गया।

(vi) परिसम्पत्तियाँ सृजित/संसाधन क्रय करवाने के पश्चात् व्यय राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण गतिविधि संचालन हेतु समूह के सदस्यों की कौशल क्षमता के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण राशि काफी विलम्ब से प्राप्त कर प्रशिक्षण दिलवाया गया।

(vii) कई समूहों की उप–परियोजनाओं का चयन समूह की प्रवृति एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया जिसके कारण प्रथम स्तर पर चिन्हित् उप–परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद समूहों के सदस्यों द्वारा अंशदान जमा नहीं करवाने के कारण दूसरी उप–परियोजना चिन्हित् की गयी। दूसरी चिन्हित् उप–परियोजना हेतु प्रारम्भिक स्तर से पुनः स्वीकृति हेतु कार्यवाही करने में काफी समय व्यतीत हुआ।

(viii) कई समूहों के गठन के पश्चात् सदस्यों में समान रूचि नहीं पायी जिसके कारण कई समूहों द्वारा उप–परियोजनाएं परिवर्तन की गयी एवं कई समूहों का विघटन होने से समूह का पुनर्गठन करने से भी विलम्ब पाया गया।

(ix) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा समूहों को संसाधन उपलब्ध करवाने के पश्चात् गतिविधि के नियमित संचालन हेतु कार्यशील राशि उपलब्ध करवाने हेतु यथा समय प्रयास नहीं किये गये।

(x) गलीचा, कशीदा, साबुन, मसाला, सिलाई इत्यादि गतिविधियों के संचालन हेतु कच्चे माल एवं विपणन व्यवस्था भी समुचित नहीं की गयी।

(xi) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा समूहों को परिसृजित/संसाधन उपलब्ध करवाने के पश्चात् नियमित सम्पर्क नहीं किया जा रहा है जिसके कारण समूहों के स्वयं धारणीय होने की अनिश्चिता हो सकती है।

(xii) समूहों के कार्यों को यथा समय करवाने हेतु समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है।

(xiii) परियोजना क्षेत्र में कई गैर–सरकारी संगठनों को क्षेत्र/गाँव आवंटन होने के बाद कई माह तक कार्य करने के पश्चात् निष्क्रिय हो गये जिससे उनके आवंटित क्षेत्र/गाँवों में सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं हो सका एवं कई क्षेत्र/गाँव लम्बी अवधि तक परियोजना के कार्यों हेतु समावेशित नहीं किये जा सके।

(xiv) डी.पी.आई.पी. द्वारा भी परियोजना क्षेत्र की आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में गैर–सरकारी संगठनों को नहीं लगाया गया जिसके कारण परियोजना समयावधि में वृद्धि के साथ–साथ निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियाँ अृजित करने में काफी समय व्यतीत हुआ।

3.21.2 उपरोक्त वर्णित तथ्यों से जाहिर है कि कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उनको आवंटित क्षेत्रों/गाँवों में कार्य काफी धीमी गति से किया गया, कई गैर–सरकारी संगठन निष्क्रिय रहे, परियोजना क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों की कमी के कारण पूर्ण क्षेत्र समावेशित नहीं हो सका। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा परियोजनान्तर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों के पूर्णरूपेण यथासमय निर्वहन नहीं करने के कारण उप–परियोजनाओं के क्रियान्वयन में काफी विलम्ब हुआ है। अतः डी.पी.आई.पी. द्वारा गैर–सरकारी संगठनों के निर्धारित उत्तरदायित्वों के यथासंभव निर्वहन करवाने हेतु समुचित प्रबोधन व्यवस्था की जानी चाहिये।

### 3.22.0 परियोजना क्षेत्र में संचालित कार्यकलापों से सन्तुष्टि :

3.22.1 परियोजना अन्तर्गत डी.पी.आई.पी. क्षेत्र में संचालित उप–परियोजनाओं यथा आय सृजित, भूमि आधारित, सामुदायिक आधारभूत ढ़ाँचागत एवं सामाजिक उप–परियोजनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत, क्षेत्रीय एवं संसाधन गरीबी को समाप्त एवं सीमित करना था। इस सम्बन्ध में समूहों के पदाधिकारियों, सरकारी एवं गैर–सरकारी उत्तरदाताओं से परियोजना अन्तर्गत किये गये विकास कार्यों से आय में वृद्धि होना, परिसम्पत्तियों का सृजन होना, क्षेत्रीय आवश्यक विभिन्न संसाधन उपलब्ध होना अवगत कराया गया। परियोजना में आय सृजित उप–परियोजना का बाहुल्य होना एवं भूमि आधारित, सामुदायिक ढ़ाँचागत कार्य करवाने के कारण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन में आशाजनक सकारात्मक प्रभाव पड़ना अवगत कराते हुए सामाजिक सेवा के कार्य कम होना अवगत कराया गया। परियोजना संचालन में मुख्य कमियाँ यथा पर्याप्त संख्या में गैर–सरकारी संगठनों को अनुबन्ध नहीं करना, गैर–सरकारी संगठनों का अनुबन्ध देरी से करना, सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र को संचालित कार्यकलापों हेतु समावेशित नहीं करना, गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धीमी गति से कार्य करने के अलावा प्रचार–प्रसार की कमी, सामाजिक गतिशीलता/चेतना में आशाजनक उपलब्धि नहीं होने से समूहों में विवाद होना/सहभागिता की कमी होने के साथ–साथ क्षेत्रों में लगातार अकाल पड़ना अवगत करायी गयी।

### 3.23.0 परियोजना की उपयोगिता :

3.23.1 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं से परियोजना की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर 58 उत्तरदाताओं में से 56 उत्तरदाताओं ने परियोजना को गरीबी उन्मूलन हेतु उपयोगी अवगत कराया। परियोजना का संचालन गैर–सरकारी संगठनों की कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है, क्योंकि सम्पूर्ण कार्य यथासमय करवाने का पूर्ण दायित्व इन संगठनों का ही परियोजना अन्तर्गत निर्धारित है। सुझाव दिया गया कि समस्त परियोजना क्षेत्र/गाँवों को गैर–सरकारी संगठनों को आवंटित कर उनसे परियोजना के समस्त कार्य चरणबद्ध तरीके से यथासमय निष्पादन करवाये जाने की व्यवस्था करवाये जाने पर क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन हो पायेगा।

————

# अध्याय – चतुर्थ

# कमियाँ एवं सुझाव

4.1.0 **कमियाँ एवं सुझाव :**

4.1.1 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित "जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना" के मूल्यांकन अध्ययन की शोध प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यक्रम से जुड़े सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों, स्थानीय व्यक्तियों एवं अनुसंधानकर्ताओं से विचार–विमर्श उपरान्त उनके द्वारा बताये गयी कठिनाइयाँ एवं इनके समुचित निराकरण हेतु सुझाये गए सुझाव–अनुशंषाऐं निम्न अनुच्छेदों में समग्र परिवेश में निरूपित की गयी हैं :–

4.2.0 **कमियाँ :**

1. **अनुबन्धित गैर–सरकारी संगठनों की सक्रियता** :
   परियोजनान्तर्गत परियोजना के समस्त क्षेत्र/गाँवों में कार्यकलाप/गतिविधियाँ संचालित करने हेतु गैर–सरकारी संगठनों की कमी रही है। कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों में से कई गैर सरकारी संगठन कार्य प्रारम्भ करवाने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं एवं कार्य बन्द कर देते हैं जिसके कारण समय की बर्बादी के साथ–साथ परियोजना की प्रगति में विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2. **सामुदायिक सहजकर्ताओं का अभाव :**
   गैर सरकारी संगठन द्वारा उनको आवंटित क्षेत्र में 2–3 ग्रामों में सामुदायिक सहजकर्ता की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है परन्तु क्षेत्रीय अवलोकन करने पर पाया गया कि सहजकर्ता नियुक्ति आवश्यकता से कम संख्या में की गयी है तथा गांवों में सहजकर्ताओं का समय–समय पर स्थान बदल दिया जाता है जिससे उप परियोजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सहजकर्त्ताओं के पास ज्यादा गाँव/ज्यादा दूरी के गाँव होने के कारण उप–परियोजनाओं के चरणबद्ध प्रत्येक स्तर पर ज्यादा समय लगना पाया गया अर्थात् कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा काफी धीमी गति से गतिविधियाँ संचालित की गयी।

3. **स्वरोजगारियों द्वारा अंशदान जमा नहीं कराना :**
क्षेत्र अवलोकन में पाया गया कि कई उप परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् समूह के स्वरोजगारियों द्वारा निर्धारित अंशदान जमा करवाने में काफी समय लगाते हैं एवं कई समूह के स्वरोजगारियों द्वारा अंशदान जमा ही नहीं करवाते हैं जिसके कारण स्वीकृत उप–परियोजनाओं की काफी समय तक राशि जारी नहीं होने के कारण निरस्त कर दी जाती है या फिर राशि जारी करने में काफी समय लग जाता है।

4. **स्वरोजगारियों द्वारा नियमित बचत नहीं करना :**
ज्यादातर समान रूचि समूहों के स्वरोजगारियों द्वारा नियमित बचत नहीं की जाती है। समूह के गठन के समय बचत खाता खुलवाने के पश्चात् नियमित बचत नहीं होने के कारण उप–परियोजना स्वीकृति पर अंशदान जमा नहीं करवा पाते हैं। यदि स्वरोजगारियों द्वारा नियमित बचत करने की आदत हो तो स्वीकृत परियोजनाओं का अंशदान भी समय पर जमा हो सकेगा एवं राशि प्राप्त करने में भी विलम्ब नहीं होगा।

5. **गैर सरकारी संगठनों की निष्क्रियता :**
अधिकांश गैर सरकारी संगठन संसाधन उपलब्ध करवाये जाने तक सक्रिय रहते है तथा संसाधन उपलब्ध करवाने तक भी काफी धीमी गति से कार्य करते हैं जिससे उप–परियोजना संचालन में काफी समय लग जाता है। समूह को संसाधन उपलब्ध करवाने के सहजकर्ता द्वारा यदा–कदा ही समूह के स्वरोजगारियों से नियमित सम्पर्क किया जाता है। इसके साथ ही स्वरोजगारियों में भी संसाधन उपलब्ध होने के बाद सामूहिक सहभागिता की कमी हो जाने से योजनान्तर्गत सुलभ करायी गयी आर्थिक इकाई प्रभावित होने से आय स्तर भी प्रभावित होता है।

6. **प्रशिक्षण ससमय नहीं देना :**
कार्य की रूपरेखा में सभी समूहों के स्वरोजगारियों को संसाधन उपलब्ध होने के साथ ही प्रशिक्षण देने का प्रावधान है परन्तु समूह को राशि उपलब्ध करवाने के पश्चात् काफी समय तक समूह के द्वारा संसाधनों का क्रय नहीं किया जाता है एवं संसाधन क्रय करने के बाद व्यय राशि का समायोजन काफी समय तक नहीं करवाया जाता है जिसके कारण प्रशिक्षण हेतु राशि जारी होने में देरी हो जाती है एवं प्रशिक्षण देने में काफी समय लग जाता है एवं उप परियोजना का क्रियान्वयन काफी समय बाद हो पाता है। इसके लिए इकाईवार प्रशिक्षण की समयावधि पृथक से है।

अध्ययन कार्य के दौरान देखा गया कि कुछ उप परियोजनाओं जैसे कशीदाकारी का प्रशिक्षण बिना स्वीकृति के ही गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ता द्वारा दे दिया जाता है जिसकी आवश्यक स्वीकृति बाद में दे दी जाती है। यह व्यवस्था स्वस्थ एवं नियमानुसार नहीं है, उदाहरण के लिए दिनांक 7.5. 2007 को जिला स्तरीय परियोजना प्रबन्धक डी.पी.आई.पी के साथ मूल्यांकन दल ने ग्राम मालगवास, जिला दौसा में दिनांक 18.11.2003 को गठित/संस्थापित "दीया" समान रूचि समूह केन्द्र का निरीक्षण करने पर पाया गया कि यह समूह कशीदा उप परियोजना के लिए स्वीकृत है तथा इस केन्द्र/समूह को परियोजनान्तर्गत कशीदा–साडियों पर जरी गोटा का कार्य करने हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाऐं व संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं परन्तु प्रशिक्षण आरम्भ करने हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी नहीं की गई थी। दिनांक 7.5.2007 को निरीक्षण दौरान पाया गया कि इस केन्द्र पर गैर सरकारी संगठन द्वारा मनोनीत प्रशिक्षक (मास्टर क्राफ्टमैन) द्वारा माह फरवरी,2007 से समूह के महिला सदस्यों की पुत्रियों को जिनकी आयु लगभग 16 से 18 वर्ष के मध्य रही है, को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस सम्बन्ध में समूह की अध्यक्षा ने अवगत करवाया कि समूह की महिलाऐं अन्य घरेलू कार्य में व्यस्त होने के कारण समय नहीं देने से इनकी लड़कियों को प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है ताकि इनकी कार्य योग्यता में वृद्धि हो सके। निरीक्षण दौरान केन्द्र पर 8 लड़कियाँ कशीदाकारी का कार्य कर रही/सीख रही थी।

इस सम्बन्ध में प्रशिक्षक ने बताया कि 10 महिलाओं के समूह को माह फरवरी, 2007 से प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री(कच्चा माल) प्रशिक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। मौके पर आवश्यक कच्चा माल भी देखा गया था। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षक ने अवगत कराया कि जिला स्तर से आवश्यक औपचारिकता/स्वीकृति सम्बन्धित गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त कर भुगतान प्राप्त कर लिया जायेगा। यह व्यवस्था वित्तीय अनुशासन के विरूद्ध है।

## 7. समूहों द्वारा उप परियोजनाओं में परिवर्तन करना :

कई समूहों द्वारा उप परियोजना का चयन कर पूर्ण कार्यवाही करवा दी जाती है एवं लम्बे समय के बाद उप परियोजनाओं में व्यवसाय परिवर्तन करवाते हैं जिससे पुनः सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करवाने में काफी समय लग जाने से उप परियोजना क्रियान्वयन में विलम्ब के साथ आर्थिक परिणाम भी प्रभावित होते है।

8. **कार्यशील राशि हेतु बैकों की सम्बन्धता में कमी :**
अध्ययन के शोध दौरान ध्यान में आया कि गठित समूहों को बैंक कार्यशील पूँजी हेतु ऋण राशि सहजता से उपलब्ध नहीं करवाते हैं तथा कुछ मामलों में राशि माँग से कम स्वीकृत की जाती है, फलत् संस्थापित इकाईयाँ इच्छित स्तर तक कार्यशील नहीं हो पाती है। गैर–सरकारी संगठनों की उदासीनता के कारण भी परियोजना क्षेत्र में बहुत कम समूहों को ही बैकों से कार्यशील राशि प्राप्त हुई है।

9. **उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर नहीं भेजना :**
योजनान्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा समूहों को उपलब्ध करायी गयी राशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर कार्यकारी एजेन्सी को उपलब्ध कराने का दायित्व है परन्तु ध्यान में आया है कि अधिकांश समूह प्राप्त राशि के विरूद्ध उपयोग में ली गयी राशि का समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाते हैं, फलत् कार्यकारी एजेन्सी को अग्रिम किश्त निर्मुक्त करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

10. **कच्चा माल एवं विपणन व्यवस्था का अभाव :**
समूहों को माइक्रो एन्टरप्राईजेज जैसे– साबुन निर्माण, गलीचा निर्माण, कशीदा, सिलाई इत्यादि हेतु कच्चे माल की उपलब्धता एवं निर्मित माल की बिक्री हेतु स्थानीय स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं रहती है, जिससे स्वरोजगारियों को उत्पादित माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। क्षेत्र अवलोकन में पाया गया कि कई समूहों द्वारा कच्चा माल की उपलब्धता एवं विपणन व्यवस्था समुचित नहीं होने के कारण समूहों के सदस्यों ने आर्थिक जोखिम के डर से गतिविधि/कार्यकलापों के संचालन पर एक मत नहीं होने के कारण उप–परियोजना का संचालन बन्द कर रखा है।

11. **संसाधन क्रय करने में समन्वय का अभाव :**
अध्ययन के शोध कार्य दौरान जानकारी में आया है कि कुछ समूहों द्वारा निम्न स्तर के सामान की खरीद की है, मसलन जिला दौसा में कुछ लाभार्थियों को हरियाणा के जिन्द नगर से मुर्रा भैंस की स्वीकृति जारी की गयी लेकिन समूह ने जिन्द नगर से मुर्रा भैंस नहीं खरीदकर जयपुर से देशी भैंसे खरीद ली, जिससे अपेक्षित स्तर का आर्थिक उत्पादन प्रभावित रहा। संसाधनों की गुणवत्ता के स्तर पर विवाद होने पर कई समूहों द्वारा संसाधनों का बंटवारा कर लिया जाता है जिससे न केवल संसाधन खुर्द–फुर्द हो जाते हैं बल्कि उप–परियोजना का संचालन भी बन्द हो जाता है।

12. **समूहों के स्वरोजगारियों में सहभागिता का अभाव :**
यह योजना व्यक्ति विशेष के स्थान पर समूह की सहभागिता पर आधारित है। समूहों के स्वरोजगारी स्वीकृत उप परियोजना की परिसम्पत्ति सृजित होने तक सामूहिक रूप से जुडे रहते है। परिसम्पत्ति/संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् सामूहिक दृष्टि से काम नहीं करके व्यक्तिगत रूप से ही गतिविधि का संचालन करते हैं, जैसे– भैंस, सिलाई, कशीदा, पम्पसैट इत्यादि के संसाधन बांट लेते है एवं व्यक्तिगत इकाई के रूप में ही गतिविधि संचालित करने से समूह का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा समूह को कोई आय नहीं होती हैं।

13. **ग्राम विकास समितियों का गठन नहीं होना :**
परियोजनान्तर्गत जिस ग्राम में उप परियोजना का चयन किया जाता है तथा ग्राम स्तर पर परियोजनाओं का कार्य गठित समिति के सहयोग से किया जाता है। कई समूहों की समिति गठित नहीं की गयी है, केवल दस्तावेजों पर ग्राम पंचायत सरपंच से वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण करवा ली जाती है तथा गठित समितियों की नियमित बैठकें नहीं होकर यदाकदा बैठकें आयोजित करवा ली जाती है। फलतः परिसम्पत्ति सृजित होने के बाद निष्क्रिय हो जाती है।

14. **गैर सरकारी संगठनों का अभाव :**
परियोजना के जिलों में समस्त क्षेत्र/गांवों को समावेशित करने हेतु गैर सरकारी संगठन कम नियुक्त किये गये हैं। परियोजना हेतु निर्धारित रूपरेखा अनुसार चुनिन्दा गैर सरकारी संगठन द्वारा जिले के सभी गांवों का परियोजना की सेवा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना होता है परन्तु गैर सरकारी संगठन द्वारा कम संख्या में अभिकर्ता नियुक्त किये गये हैं, फलस्वरूप जिले के समस्त गांव सेवा क्षेत्र में नहीं आने से इन गांवों के परिवार योजना के लाभ से वंचित बने हुए हैं।

15. **स्वीकृत कुछ उप–परियोजनाओं का संचालन नहीं होना :**
कई क्षेत्रों में देखा गया कि साबुन, सिलाई, मसाला उद्योग इत्यादि की उप परियोजनाऐं सफल नहीं हो पायी है, क्योंकि स्थानीय परिपेक्ष्य में ये उप परियोजनाएं आर्थिक उपादेयता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। स्वरोजगारी अशिक्षित है एवं उनको जिस उप परियोजना हेतु प्रेरित किया जाता है उसमें वे अपनी सहमति देकर गतिविधि को संचालित कर लेते हैं परन्तु बाद में वे असफल हो जाती है। परिणामस्वरूप गरीबी निवारण कार्यक्रम अपनी बढ़ती हुई लोकप्रियता को खो बैठता है।

16. **रिकार्ड की असुरक्षा :**

समूह द्वारा संधारित रिकार्ड समूह की देखरेख में ही किया जाता है। इसके लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था जैसे– लोहे के बक्शे में रिकार्ड नही देखा गया जिसके कारण से रिकार्ड में जीर्णता परिलक्षित होने लगी है। शासकीय कार्यों के लेन–देन आदि का लेखा–जोखा निर्धारित प्रक्रियानुसार संधारित करने के साथ उनको सुरक्षित रखने का दायित्व भी समूह के अध्यक्ष का होता है परन्तु सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण अभिलेख सुरक्षित दशा में नहीं रखे जाते है।

17. **संसाधनों में गुणवत्ता का अभाव :**

कुछ इकाईयों यथा– पशुपालन, टैन्ट हाऊस आदि में संसाधनों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकवा–शिकायतें रही है कि संसाधन उच्च कोटि के नहीं खरीदे जाते हैं। निर्धारित स्तर के संसाधन क्रय नहीं करने के कारण अर्जित संसाधनों से अपेक्षित स्तर तक का आर्थिक लाभ नहीं मिलने के कारण संस्थापित इकाई के परिणाम अनुकूल नहीं होते हैं। संसाधन क्रय करने के मामले के कई समूहों एवं गैर–सरकारी संगठनों में सही समन्वय/तालमेल नहीं होने के कारण संसाधन क्रय करने में काफी समय लग जाता है।

18. **उप–परियोजना के संचालन में निगरानी व्यवस्था की कमी :**

परियोजनान्तर्गत गठित समान रूचि समूहों के कार्य संचालन/केन्द्रों का निरीक्षण गैर सरकारी संस्था द्वारा किये जाने का प्रावधान है/निरीक्षण किये जाते हैं, परन्तु क्षेत्रीय अवलोकन में पाया गया कि गैर–सरकारी संगठनों के पदाधिकारी केवल संसाधन उपलब्ध करवाने तक सक्रिय रहते हैं उसके बाद समूहों से नियमित सम्पर्क नहीं करने/निगरानी नहीं करने के कारण समूहों के सदस्यों में सहभागिता की कमी आ जाती है एवं विवादित होकर संसाधनों का बंटवारा कर लेते है एवं कई समूह गतिविधि का संचालन बन्द कर देते हैं। सामयिक निगरानी व्यवस्था के अभाव में समूह के सदस्यों को इकाई संचालन संदर्भ में उचित मार्गदर्शन के अतिरिक्त उत्पादित माल को उचित मूल्य पर बेचने/कच्ची सामग्री सस्ती दर पर क्रय करने की जानकारी कार्यकारी एजेन्सी के पदाधिकारियों से नहीं मिलने के कारण समूहों को यदाकदा उचित लाभ नहीं मिल पाता है।

19. **गैर–सरकारी संगठनों के निर्धारित दायित्वों की प्रबोधन व्यवस्था में कमी :** परियोजना अन्तर्गत गैर–सरकारी संगठनों का दायित्व ग्राम प्रवेश से लेकर समूहों के स्वयं धारणीय/आत्मनिर्भर करने तक का निर्धारित है। क्षेत्रीय अवलोकन में पाया गया कि गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उप–परियोजनाओं के कार्यकलाप काफी धीमी गति से किये जाते हैं जिससे समूह गठन से गतिविधि संचालन तक काफी समय लग जाता है एवं संसाधन उपलब्ध करवाने के पश्चात् गतिविधि संचालन की निगरानी व्यवस्था, कार्यशील राशि, कच्चा माल एवं विपणन, समूहों से नियमित सम्पर्क करने इत्यादि की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस प्रकार गैर–सरकारी संगठनों के निर्धारित दायित्वों की प्रबोधन व्यवस्था की कमी के कारण उप–परियोजना संचालन समुचित नहीं होकर काफी धीमी गति से होने से समयावधि प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

20. **परिवार के अन्य सदस्यों की अन्य समूहों में भागीदारी** (Overlapping) : निर्धारित मार्गदर्शिका अनुसार परियोजनान्तर्गत समावेशित ग्रामों में एक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी अन्य समूह के सदस्य हो सकते हैं परन्तु एक समूह में एक परिवार के एक सदस्य से अधिक सदस्य सम्मिलित नहीं हो सकते। इस प्रावधान से जागरूक एवं प्रभावी परिवारों के एक से ज्यादा व्यक्ति अन्य समूह के सदस्य बनकर परिसम्पत्तियाँ सृजित करने में सफल हो जाते हैं जबकि कई गरीब परिवारों के एक सदस्य को भी परियोजनान्तर्गत कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अध्ययन के शोध दौरान पाया गया कि चयनित कुल 56 समूहों के 623 परिवार सदस्यों में 17(30.26 प्रतिशत) समूहों के 73(12.72 प्रतिशत) व्यक्ति दूसरे समूहों के सदस्य हैं जो Overlapping को दर्शाते हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्य के दौरान स्थानीय व्यक्तियों से सम्पर्क उपरान्त गहन परामर्श करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ परिवारों के अन्य सदस्य अपना अलग से राशन कार्ड अथवा आवास के आधार पर स्वतंत्र परिवार बताकर परियोजना का लाभ लेते हैं जबकि वस्तुतः वे एक ही आवास में रहकर एक ही रसोई में खाना खाते हैं। कुछ समूहों में समान रूचि के कारण एक ही कुटुम्ब के निकटतम रिश्तेदार भी विभिन्न समूह में सम्मिलित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति पर नियन्त्रण की आवश्यकता है।

21. **लाभान्वित व्यक्तियों की सूची का प्रकाशन नहीं करना :** परियोजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों/व्यक्तियों की सूचियों का कार्यकारी विभाग द्वारा सार्वजनिक प्रकाशन नहीं करने से ऐसे परिवार के सदस्यों द्वारा अन्य योजनाओं से भी लाभ लेने का अवसर प्राप्त कर लेने की सम्भावना रहती है तथा ग्रामीणांचलों के अन्य पात्र गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ता है।

22. **बी.पी.एल. सूची से नाम का विलोपीकरण नहीं होना :**
परियोजनान्तर्गत प्रदत्त आर्थिक सहायता द्वारा संस्थापित आर्थिक ईकाइयों से व्यावसायिक आर्थिक गतिविधियों के संचालन से आय स्तर में सुधार होने से लगभग 35 प्रतिशत सदस्यों की आय 20,000 रूपये से अधिक पायी गयी, परन्तु लाभार्थियों के नाम प्रकाशित बी.पी.एल. सूची में से नहीं हटाये जाने के कारण इनका नाम बी.पी.एल. सूची में यथावत बना रहता है। फलतः ऐसे लाभान्वित सदस्य पुनः अन्य योजना से लाभ प्राप्त करने की स्वतंत्रता रखते हैं जो अन्य गरीब परिवारों के आर्थिक हितों के विपरीत है।

23. **सदस्यों का अशिक्षित होना :**
परियोजनान्तर्गत स्वीकृत उपपरियोजनाओं के सफल संचालन में समूह के सदस्यों की अशिक्षा भी एक बाधक बनी हुई है। अशिक्षा के कारण समूह अपना अभिलेख सुसंधारण करने तथा राशि के लेनदेन, हिसाब–किताब समझने में भी समस्याऐं महसूस करते हैं। समान रूचि समूह के कुछ सदस्यों जिनको आंखों से स्पष्ट देखने में काफी परेशानी आती है, उनके पक्ष में सिलाई उपपरियोजना स्वीकृत की गयी है, जिनका सफल संचालन सम्भव नहीं होता है। इस सम्बन्ध में जिला दौसा की पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत बिहारीपुरा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। महिला समूहों को टैन्ट हाऊस की उपपरियोजना स्वीकृत की गयी जिसमें ज्यादातर अशिक्षित महिलाऐं है। अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण समूहों के सदस्यों में विवाद होने पर परिसम्पत्तियों का बंटवारा किया जाना भी ग्राम लालपुरा में देखने को मिला।

4.3.0 **सुझाव–अनुशंषाऐं :**

4.3.1 विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, स्वरोजगारी, समूह सदस्य, समूह अध्यक्ष तथा स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तियों से परियोजना क्रियान्वयन संदर्भ में की गयी परिचर्चाओं एवं साक्षात्कार दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गयी समस्याओं–खामियों के समुचित निराकरण हेतु परियोजना को अधिक प्रभावी व लोकप्रिय बनाने के संदर्भ में सुझाव आमंत्रित करने पर प्राप्त सुझाव–अनुशंषाऐं बिन्दुवार निम्न अनुच्छेदों में विवरण के साथ उपदर्शित की जा रही है :–

1. **गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय करना** :
परियोजना के संचालन संदर्भ में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होने से संस्थापित इकाई के सतत् क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में गैर सरकारी संस्था का सक्रिय होना न केवल आवश्यक है अपितु इनकी क्षेत्र में संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों की अपेक्षित संख्या तक वृद्धि के साथ इनको सक्रिय बनाने के लिए कार्यकारी एजेन्सी स्तर से पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत जुड़े समूहों को नियमित आय प्राप्त होती रहे।

2. **सामुदायिक सहजकर्ताओं की पर्याप्तता :**
गैर सरकारी संगठन की स्वीकृति के पूर्व ही इनको वांछित संख्या तक एवं सहजकर्ता नियुक्त करने का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए, उनकी अनदेखी या अपर्याप्तता की स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए इन पर जुर्माने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि परियोजना निरन्तर बनी रहे। गाँवों में नियुक्त सहजकर्त्ताओं को समय–समय पर बदला नहीं जाना चाहिये।

3. **स्वरोजगारियों द्वारा अंशदान संग्रहण :**
उप परियोजना स्वीकृति हेतु आवश्यक औपचारिकता के अतिरिक्त निर्धारित प्रतिशत तक अंशदान जमा कराना आवश्यक है। अंशदान में विलम्ब होने पर परियोजना की स्वीकृत राशि भी विलम्ब से जारी की जाती है। अतः समूह के सभी सदस्यों को अंशदान के परिलाभों एवं अनिवार्यता की जानकारी केन्द्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर दी जाकर निर्धारित स्तर तक अंशदान ससमय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस हेतु समूह के सदस्यों में नियमित बचत करवाने से बचत राशि अंशदान जमा करवाने में सहयोगी/उपयुक्त रहेगी।

4. **स्वरोजगारियों द्वारा नियमित बचत के प्रति प्रोत्साहित करना :**
बचत परियोजना के सफल संचालन का एक महत्वपूर्ण घटक निर्धारित किया हुआ है। स्वरोजगारियों द्वारा नियमित अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार अल्प बचत करके जमा राशि के विरूद्ध निर्धारित सीमा तक कार्यशील ऋण प्राप्त कर अर्जित संसाधन/इकाई को अधिक प्रभावी एवं कारगर संचालित करने के लिए ऋण लिया जा सकता है। अतः परियोजना एवं लाभानुभोगियों के हित के मध्येनजर तथा बचत की अनिवार्यता को देखते हुए सहयोगियो–सदस्यों को बचत के प्रति प्रोत्साहित एवं प्रेरित कराकर बचत की सुनिश्चित व्यवस्था करवाये जाने की आवश्यकता है। संचालित गतिविधियों से सृजित आय को भी समूह के बचत खाते में जमा करवाने को प्रोत्साहित करवाया जाना चाहिये जिससे कार्यशील पूँजी की निरन्तरता बनी रहेगी।

5. **गैर सरकारी संगठनों की सक्रियता :**
परियोजनान्तर्गत समूहों को उपलब्ध करवाये गये आर्थिक संसाधनों के नियमित संचालन करवाने एवं उनको समय–समय पर व्यावसायिक मार्गदर्शन देने में सम्बन्धित गैर सरकारी संगठन की महत्पूर्ण भूमिका होने से गैर सरकारी संगठन द्वारा नियुक्त सहजकर्ता का स्वरोजगारियों से नियमित सम्पर्क बनाये रखने की बाध्यता शर्तों के तहत अभिलिखित करवाकर सख्ती से पालना करवायी जानी चाहिए। अतः: सहजकर्ताओं द्वारा समूह के स्वरोजगारियों से संसाधन उपलब्ध कराने के पश्चात् गैर सरकारी संगठनों से भी नियमित सम्पर्क किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए इनको सतत् सक्रिय रखने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनायी जानी चाहिए।

6. **प्रशिक्षण ससमय देना :**

कार्य की रूपरेखा में सभी समूहों को सम्बन्धित इकाई के संचालन का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए इकाईवार प्रशिक्षण की समयावधि पृथक से है। सदस्यों से अंशदान की राशि प्राप्त होने के बाद स्वीकृत संसाधन/इकाई के संचालन हेतु कार्य दक्षता का प्रशिक्षण प्रशिक्षित मास्टर क्राफ्ट मैन द्वारा निर्धारित समयावधि तक केवल समूह के सदस्यों को ही दिया जाना चाहिए। जिला स्तर पर कार्यशील जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर से सामयिक निरीक्षण अलग–अलग पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भी कराया जाना चाहिए। अतः समूह को राशि जारी करने के तुरन्त पश्चात् संसाधन शीघ्र ही क्रय करवाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए एवं यथासमय प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. **समूहों की उप परियोजनाओं के परिवर्तन पर नियन्त्रण :**

परियोजनान्तर्गत लाभानुभोगियो को उनकी कार्यक्षमता, दक्षता, कार्य कुशलता एवं स्थानीय मांग अनुरूप आवश्यकता के अनुरूप ही उप परियोजना तैयार करने हेतु शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए व्यावहारिक उप परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त किये जाने चाहिए ताकि बाद में किसी कारण से प्रस्तावित परियोजना में परिवर्तन की सम्भावना से बचा जा सके तथा आशार्थियों को समय पर उनकी इच्छा अनुरूप परियोजना की स्वीकृति मिल सके। इसके लिए जिला स्तर पर संस्थापित परियोजना प्रबन्धन इकाई को सार्थक पहल करनी चाहिए। महिला समूहों एवं अन्य समूहों के सदस्यों की समान रूची के अनुरूप उनके द्वारा चिन्हित् उप–परियोजना के संचालन की व्यवहारिकता की पुष्टि करवायी जानी चाहिये ताकि उप–परियोजना परिवर्तन में कोई संभावना नहीं रहे।

8. **कार्यशील पूँजी हेतु बैंकों का सहयोग सुनिश्चित करना :**

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आय सृजन हेतु स्वीकृत माइक्रो एन्टरप्राईजेज युनिट यथा– कशीदाकारी, गलीचा, चर्मकारी कार्य, पशुपालन आदि इकाईयों के सतत् एवं सफल संचालन हेतु कार्यशील पूँजी की आवश्यकता रहती है, जो बैंक ऋण से आसानी से जुटायी जा सकती है। अतः माइक्रो एन्टरप्राईजेज इकाई के निरन्तर कार्यशीलता बनाये रखे जाने के लिए इनको बैंक ऋण की राशि उपलब्ध करवाने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर प्रगति सुनिश्चित करवायी जानी चाहिए। परियोजनान्तर्गत गठित सभी सक्रिय समूहों को आर्थिक ईकाइयों के संचालनार्थ सम्बन्धित बैंक से व्यवहारिक सीमा तक ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में एक स्थायी एजेण्डा रखवाकर ऋण उपलब्धता हेतु बैंकों को जिम्मेदारी

देकर इनकी समुचित मॉनिटरिंग करवायी जानी चाहिए। इस प्रयास से सक्रिय समूह आर्थिक गतिविधियों से सतत् जुडे रहेंगे एवं निष्क्रिय समूह प्रेरित होकर सक्रिय होने का प्रयास करेंगे।

9. **उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर प्राप्त करना :**
योजनान्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा समूहों को उपलब्ध करायी गयी राशि का नियमानुसार समायोजन/उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर कार्यकारी एजेन्सी को उपलब्ध कराने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर सख्ती से कार्यवाही की जाकर समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। वित्तीय अनुशासन एवं स्वस्थ्य व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी समूह एवं गैर सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को इनकी आवश्यकता एवं होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए जिससे उप–परियोजना की गतिविधि का संचालन ससमय हो सकेगा।

10. **विपणन व्यवस्था को प्रभावी करना :**
समूहों को माइक्रो एन्टरप्राईजेज जैसे– साबुन निर्माण, गलीचा निर्माण इत्यादि हेतु कच्चे माल की उपलब्धता एवं निर्मित माल की बिक्री हेतु स्थानीय स्तर पर पुख्ता व्यवस्था अपेक्षित रहती है। अतः इन समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री को विभाग द्वारा शिविर आयोजित कराकर या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से उत्पादित माल को विक्रय कराने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समूहों के सदस्यों को उत्पादित माल का उचित मूल्य मिल सके। साथ ही राज्य सरकार के सरकारी प्रतिष्ठान रीको से समन्वय बनाकर इनको यथेष्ट स्थान पर कार्यशाला एवं विपणन हेतु केन्द्र उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम की उपादेयता एवं क्रियान्वयन संदर्भ में जिला दौसा मुख्यालय पर जिला स्तरीय परियोजना इकाई के प्रभारी से चर्चा करने पर ध्यान में आया कि जिला मुख्यालय पर रीको की सहायता से एक करोड़ रूपये की लागत से एक शॉपिंग कॉम्पलेक्स/दुकाने निर्मित की जा रही है जिसमें जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का लगभग 25 प्रतिशत अंशदान होने से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के माइक्रो एन्टरप्राईजेज से सम्बन्धित लाभार्थियों को/समूहों को दुकाने आवंटित की जायेगी जिससे उनको विपणन हेतु स्थान सुलभ होकर आर्थिक स्तर में सुधार हो सकेगा। ऐसी ही व्यवस्था का अनुकरण अन्य जिलों में भी होना चाहिए।

11. **संसाधनों को संस्थापित रखना :**

गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान एवं नियमित आय सृजन के लिए परियोजनान्तर्गत अर्जित आर्थिक इकाई की अच्छी गुणवत्ता के साथ इसका नियमित कार्यशील होना आवश्यक है। अतः गुणवत्ता एवं खरीद में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने के दौरान जिला स्तर पर स्वीकृत इकाई अनुसार क्रय होने की सुनिश्चितता की जानी चाहिए। इस संदर्भ में समीचीन होगा कि राज्य एवं जिला स्तर पर संसाधनों के दुरूपयोग, खुर्दबुर्द अथवा अपात्र आशार्थियों को दिए गये आर्थिक संसाधनों से सम्बन्धित प्राप्त शिकायत पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्यवाही करवाकर प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाना चाहिए ताकि परियोजना क्रियान्वयन परिदृश्य से पारदर्शिता परिलक्षित हो सके।

12. **समूहों के स्वरोजगारियों में सहभागिता बनाये रखना :**

जिला गरीबी निवारण कार्यक्रम में व्यक्ति विशेष के स्थान पर समूह की सहभागिता पर बल दिया गया है। समूहों के स्वरोजगारी स्वीकृत उप परियोजना की परिसम्पत्ति सृजित/उपलब्ध कराये गये संसाधनों से समूह के द्वारा स्वयंधारणीय संचालन तक सामूहिक रूप से नियमित जुड़े रहने के लिए उनके मध्य सामन्जस्य, समन्वय एवं सौहार्द्ध बनाये रखने के लिए सम्बन्धित गैर सरकारी संगठन को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए परियोजना की रूपरेखा में पाबन्द किया जाना चाहिए ताकि अधिक इकाई का बिखराव नहीं होकर समूह के रूप में कार्यशील बनी रहे। अतः कार्यक्रम के हित को मध्येनजर रखते हुए सभी सदस्यों में समुचित समन्वय एवं सौहार्द्ध बनाये रखने की आवश्यकता है, इसके लिए समूहों को इनकी उपयोगिता संदर्भ में सहजकर्ताओं के द्वारा समूहों से नियमित सम्पर्क कर उनके सदस्यों को शिक्षित एवं प्रेरित किया जाता रहना चाहिए।

13. **ग्राम विकास समितियों का गठन :**

परियोजना संचालन में ग्राम विकास समिति का विशेष योगदान माना गया है। अतः प्रत्येक समूह की ग्प्रम विकास समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केवल अभिलेखों में ग्राम विकास समितियों के गठन को हतोत्साहित करके वस्तुतः ग्राम विकास समितियों का गठन कराकर इनकी सामयिक बैठके सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम विकास समितियों का प्रभावी ढंग से गठन एवं सक्रिय होने के लिए जिला स्तर पर सतत् पर्यवेक्षण एवं परीवीक्षण अपेक्षित है।

14. **गैर सरकारी संगठनों की पर्याप्तता :**

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का सेवा क्षेत्र चुनिन्दा सभी जिलों के गाँवों तक समावेशित है परन्तु परियोजना अन्तर्गत कम संख्या में गैर सरकारी संगठनों का चयन होने से जिलों के कई गांव परियोजना क्षेत्र में समावेशित होने से वंचित रह गये हैं। अतः परियोजना क्षेत्र के गाँवों में ग्रामीण विकास को मध्येनजर रखते हुए जिलों में पर्याप्त संख्या में प्रतिष्ठित एवं सक्रिय गैर–सरकारी संगठनों का चयन कर उनको परियोजना क्रियान्विति का नियमानुसार उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। अतः परियोजना क्रियान्विति संदर्भ में राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से सामयिक प्रचार–प्रसार नियमानुसार करवाया जाता रहना चाहिए ताकि परियोजना क्रियान्विति हेतु गैर सरकारी संगठन की सेवायें उपलब्ध हो सके एवं जिले के शेष गांवों का समावेश परियोजना के सेवा क्षेत्र में हो सके। परियोजना क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं सक्रिय गैर–सरकारी संगठन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार से इसकी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करवाते हुए परियोजना का यथासमय सफल संचालन सुनिश्चित कराया जावें।

15. **स्वीकृत उप–परियोजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना :**

समूहों को संसाधन क्रय करवाने के गतिविधि संचालन की निगरानी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे शत–प्रतिशत समूहों द्वारा कार्यकलाप प्रारम्भ किये जा सकेगें। माइक्रो एन्टरप्राईजेज की इकाईयों के सफल संचालन संदर्भ में स्थानीय मांग एवं आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए परियोजनाऐं स्वीकृत की जानी चाहिए तथा परियोजनान्तर्गत स्वीकृत उप परियोजना के उत्पादन की माकूल व्यवस्था नियमित रखी जानी चाहिए ताकि संस्थापित परियोजना सफलतापूर्वक कार्य कर सके। साबुन, सिलाई, कशीदा, मसाला, मंगौडी इत्यादि उत्पाद को विशेष शिविर या मेलों में स्वरोजगारियों को निशुल्क यातायात एवं ठहरने की व्यवस्था पर बिक्री हेतु भिजवाया जाना चाहिए।

16. **रिकार्ड की सुरक्षा व्यवस्था :**

परियोजना अन्तर्गत लाभानुभोगियों को उपलब्ध करायी गयी आर्थिक सहायता, स्वरोजगारियों द्वारा जमा की गयी अल्प बचत, समूहों की बैठकों का विवरण, अंशदान एवं सदस्यों द्वारा ली गयी ऋण राशि से सम्बन्धित अभिलेखों का सुसंधारण के साथ संरक्षण भी आवश्यक है। अतः समूह के पदाधिकारी को उनकी बचत मद से एक लोहे का बक्शा खरीदने की अनुमति अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करायी जानी चाहिए ताकि समूहों का रिकार्ड सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए जिला स्तरीय परियोजना प्रबन्धक इकाई आवश्यक व्यवस्था करावें।

17. **संसाधनों में गुणवत्ता :**

विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाओं के तहत लाभानुभोगियों को उच्च स्तर की गुणवत्ता की इकाईयों का क्रय करवाया जाना चाहिए ताकि क्रय की गयी इकाईयों से अपेक्षित आर्थिक लाभ मिलता रहे। अतः संसाधन की गुणवत्ता के परिपेक्ष्य में क्रय समिति में जिला प्रशासन द्वारा किसी एक अधिकारी(विशेषज्ञ) का मनोनयन होना चाहिए जिसको गुणवत्ता बिन्दुओं को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।

18. **समूहों का सामयिक निरीक्षण एवं निगरानी व्यवस्था :**

परियोजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणी की आर्थिकोत्पादक उप परियोजनाऐं निर्धारित शर्तों की सीमा में स्वीकृत की जाती है जिनका संचालन समूहों द्वारा किया जाता है। परियोजनान्तर्गत वित्त पोषित आर्थिक इकाईयों के संचालन का निरीक्षण सम्बन्धित गैर सरकारी संगठन द्वारा किये जाने का प्रावधान है परन्तु उनके स्तर से सामयिक एवं आकस्मिक निरीक्षण नहीं किये जाने से संस्थापित इकाई की कार्यशीलता प्रभावित रहती है। अतः समूहों के सुसंचालन संदर्भ में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा शत–प्रतिशत समूहों की गतिविधि के सफलतापूर्वक संचालन हेतु परिसम्पत्ति सृजन/संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी निरीक्षण हेतु मानदण्ड़ निर्धारित किये जाने चाहिये।

19. **गैर–सरकारी संगठनों के दायित्वों की प्रबोधन व्यवस्था :**

परियोजना अन्तर्गत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के दायित्व निर्धारित है। उप–परियोजनाओं के कार्य यथासमय संचालित करने हेतु गैर–सरकारी संगठनों के निर्धारित दायित्वों के प्रबोधन की समुचित/कारगर व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे परियोजना क्षेत्र में विकासीय कार्य ससमय हो सके एवं समूह संचालित उप–परियोजना की गतिविधि/ कार्यकलाप का सफलतापूर्वक संचालित कर लम्बे समय तक सतत् आय सृजित कर सके।

20. **परिवार के अन्य सदस्यों की अन्य समूहों में भागीदारी** (Overlapping) **पर नियन्त्रण :**

एक परिवार के सभी व्यक्तियों को विभिन्न समूह में सम्मिलित कर परियोजना की आर्थिक सहायता से लाभान्वित करवाने से चयन की पारदर्शिता प्रभावित होती है, जो शासकीय आर्थिक सहायता/अनुदान से वंचित रहे बी.पी.एल. परिवारों के आर्थिक उन्नयन के प्रति उदासीनता व उपेक्षा को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के समस्त गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के पश्चात् ही परिवार के अन्य सदस्यों को दूसरे समूहों में सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस

सम्बन्ध में जिला स्तरीय अधिकारियों को यह दायित्व दिया जाना चाहिए कि समूह की उपपरियोजनाऐं स्वीकृत करने के पूर्व सदस्यों की वास्तविकता का परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस ग्राम में समस्त गरीबों को समूहों में सम्मिलित कर लिया गया। इस संदर्भ में यह सुझाया जाना समीचीन होगा कि परियोजना में सम्मिलित किये जाने वाले सभी सम्बन्धित सदस्यों से पृथक से प्रमाणित शपथ पत्र लिया जावे कि उनके परिवार का कोई भी पुत्र, पुत्रवधु, अविवाहित पुत्री व भ्रातागण आदि अन्य किसी समूह में सम्मिलित नहीं है, भले ही उनका पृथक से राशन कार्ड अथवा आवास का प्रमाण उपलब्ध हो। तथापि कोई व्यक्ति परिवार वस्तुतः अपने पिता/भ्राता/पति से अलग रहकर अपना परिवार चलाता है तो ऐसे परिवार का जिला स्तरीय कार्यकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा मौका जाँच कर उसका जिला कलक्टर से अनुमोदन उपरान्त परियोजना सेवाक्षेत्र में विशेष प्रकरण स्वरूप सम्मिलित किया जा सकता है।

21. **लाभान्वित व्यक्तियों की सूची का प्रकाशन किया जाना :**
योजनान्तर्गत लाभान्वित सभी व्यक्तियों का पूर्ण विवरण के साथ प्रमाणित सूची का सार्वजनीकरण कराया जाए ताकि योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार अन्य किसी दूसरी शासकीय योजना से लाभ नहीं ले सकें तथा ग्राम में छूटे अन्य गरीब व्यक्तियों/ परिवारों को शासकीय वित्त पोषित आर्थिक विकासीय योजनाओं का लाभ मिल सके। डी.पी.आई.पी. से लाभान्वित व्यक्तियों एवं परिवारों की प्रमाणित सूची सभी सम्बन्धित शासकीय विभागों/निकायों को पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराये जाने का दायित्व जिला स्तरीय कार्यकारी एजेन्सी को दिया जाना चाहिए ताकि शासकीय इमदाद का सन्तुलित वितरण बना रहे।

22. **बी.पी.एल. सूची से नाम का विलोपीकरण करना :**
परियोजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों के जिन सदस्यों की वार्षिक आय में रूपये 20,000 या इससे अधिक की वृद्धि/उन्नयन होने पर ऐसे सदस्यों के नाम बी. पी.एल. सूची से काटकर जिला परिषद/जिला प्रशासन आदि सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाना चाहिए ताकि लाभान्वित व्यक्तियों/परिवारों के नाम बी. पी.एल. सूची से हट जाने से क्षेत्र के अन्य गरीब व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल सके तथा परियोजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति समाज की समृद्ध आर्थिक पंक्ति पर स्थान प्राप्त कर सामान्य ग्रामीण परिवारों के साथ सम्मानजनक रह सके।

23. **समूह के सदस्यों की क्षमता एवं दक्षता के अनुरूप उपपरियोजनाओं का चयन :** समूहों में ज्यादातर सदस्य अशिक्षित होते हैं। अशिक्षा के कारण व्यावहारिक एवं उचित उपपरियोजनाओं का चयन करने में प्रायः समर्थ नहीं होते है। परिणामस्वरूप उनको बाद में प्रस्तुत की गयी उपपरियोजनाओं में परिवर्तन हेतु विवश होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में समूह के गठन के समय सदस्यों की क्षमता को ध्यान में रखकर ही उपपरियोजनाओं का चयन किया जाना चाहिए एवं सदस्यों को समूहों में शामिल किया जाना चाहिए तथा ग्रामीणों की शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

उक्त प्रस्तावित सुझावों की क्रियान्विति हेतु कार्यकारी विभाग स्तर से एक कमेटी का गठन कर प्रस्तावित अनुशंषाओं के गुणावगुण के परीक्षण उपरान्त इनकी क्रियान्विति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि योजना की लोकप्रियता को बढ़ावा देने के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लाभार्थियों के आर्थिक हितों के संरक्षण के अतिरिक्त परियोजना के सफल क्रियान्वयन को बल मिल सके।

4.4.0 **निष्कर्ष :**

4.4.1 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना राष्ट्रीय गरीबी निवारण विकासीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक परियोजना है। इस परियोजना की समयावधि दिसम्बर,2005 से बढ़ाकर दिसम्बर,2007 तक करने के पश्चात् भी परियोजना आरम्भ से मार्च,2007 तक परियोजना लागत से 72.30 प्रतिशत राशि का ही व्यय कर 70.29 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि अर्जित की गयी। मार्च,2007 तक 22,952 समूह का गठन कर 20,477 उप–परियोजनाऐं स्वीकृत की गयी तथा आर्थिक संसाधन एवं सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध करवाये गए हैं जिनमें आय सृजन/आयजनित संसाधनों की प्रमुखता रही एवं सामाजिक कार्यों में सार्वजनिक शौचालय एवं सामुदायिक आधारभूत निर्माण कार्यों में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं शाला भवनों में अतिरिक्त कमरों की प्रधानता रही है। सिंचाई व कृषि क्षेत्र में एनीकट, कुण्ड, बागवानी व स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ अन्य सामग्री वितरित की गयी। निर्धारित समयावधि में बढ़ोत्तरी के बावजूद भी परियोजना के जिलों में समस्त क्षेत्र/ग्रामों को गैर सरकारी सक्रिय एवं प्रतिष्ठित संगठनों के अभाव में समावेशित नहीं किया जा सका है। कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा काफी धीमी गति से गतिविधियों के संचालन करने से कम उपलब्धि अर्जित हुई है तथा समय भी ज्यादा लगा है। योजना क्रियान्विति से सामूहिक आय सृजन के स्थान पर व्यक्तिगत आय सृजन तक ही मुख्यतः सीमित रही है। परियोजनान्तर्गत समूहों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों के सदस्यों की प्रधानता रही है तथापि कुछ प्रकरणों में बी.पी.एल. सूची से

वंचित परिवारों को निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर बी.पी.एल. परिवार के सदस्य मानकर समूहों में सदस्य बनाकर लाभान्वित किया गया है। एक ही परिवार के अन्य व्यक्ति लगभग (13 प्रतिशत) दूसरे समूह के सदस्य बनकर परिसम्पत्तियाँ अर्जित की है। परियोजनान्तर्गत प्रति सदस्य लगभग रूपये 22,500/– की आर्थिक सहायता से संसाधन उपलब्ध कराये गये है जिनसे आय सृजित उप–परियोजना में लाभान्वित परिवारों की कुल आय में 50.72 प्रतिशत एवं भूमि आधारित उप–परियोजनाओं में लाभान्वित परिवारों की आय में 33.52 प्रतिशत इजाफा होना पाया गया। परियोजनान्तर्गत संस्थापित माइक्रो एन्टरप्राईजेज इकाईयों के सतत् संचालन हेतु बैंक ऋण की आवश्यकता रहती है परन्तु बैंकों द्वारा इनको आसानी एवं वांछित राशि का ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाने से ऐसी इकाईयाँ अपेक्षित लाभ नहीं दे रही है। समूहों में आपसी सामन्जस्य, समन्वय एवं सौहार्द्व के अभाव में समूहों में विरोध होकर बिखराब देखा गया। समूह द्वारा जरिए गैर सरकारी संगठन के कार्यकारी विभाग को समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भिजवाये जाने के कारण उनके पक्ष में राशि बतौर अग्रिम बनी रहती है। परियोजना क्रियान्वयन संदर्भ में चुनिन्दा शासकीय व गैर शासकीय कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं आदि से विचार–विमर्श एवं साक्षात्कार उपरान्त कुछ खामियाँ सुनी गयी, जिनके निराकरण हेतु यथोचित सुझाव चुतर्थ अध्याय में विवरण के साथ प्रस्तुत किये गये है एवं परियोजना परिणाम का परिदृश्य एक नजर में **परिशिष्ट–घ** पर उपलब्ध है। सांराशतः यह परियोजना (DPIP) सीमित दायरे में राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन क्षेत्र में अपनी विशिष्ठ पहचान बनाकर ग्रामीण विकास में सार्थक रही है, परन्तु गाँवों में प्रतिशिष्ठ व सक्रिय गैर–सरकारी संस्थान व कार्यकर्त्ताओं की अपर्याप्तता, धीमी गति के कार्य करने, समूहों में असहयोग, असमन्वयन व मतभेद आदि कारणों से परियोजना अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप पल्लवित नहीं हो सकी। यह परियोजना सामूहिक के बजाय व्यक्तिगत लाभकारी योजना होकर लाभान्वित गरीब परिवारों की सकल आय में लगभग 50 फीसदी आय सृजित करने में सहायक रही है।

————

परिशिष्ट–क

## परियोजनान्तर्गत गतिविधियों के उपमदवार व्यय राशि का विवरण मार्च,2007 तक

**(Rs. in Crores)**

| Components/Activities | Exp. Aug'00 March'01 | Exp. 2001-02 | Exp. 2002-03 | Exp. 2003-04 | Exp. 2004-05 | Exp. 2005-06 | Exp. 2006-07 | Comulative Exp. upto March'07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **(A). INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING** | **0.53** | **1.19** | **1.80** | **4.54** | **6.24** | **10.05** | **8.79** | **33.14** |
| Training Management | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.64 | 0.25 | 1.41 | 2.87 |
| Training Expend | - | 0.11 | 0.54 | 1.02 | 1.96 | 4.61 | 5.27 | 13.51 |
| NGO Services | 0.44 | 0.92 | 1.05 | 3.41 | 3.64 | 5.19 | 2.11 | 16.76 |
| **(B). COMMUNITY INVESTMENT FUND** | **0** | **2.64** | **14.83** | **100.79** | **119.38** | **56.72** | **121.68** | **416.04** |
| Agriculture & Related Services | - | 1.2 | 6.13 | 9.01 | 7.15 | 3.15 | 10.95 | 37.59 |
| Rural Infrastructure | - | 1.27 | 4.57 | 27.9 | 25.2 | 6.78 | 15.33 | 81.05 |
| Social Services | - | 0.01 | 0.51 | 1.92 | 5.39 | 17.39 | 8.24 | 33.46 |
| Micro Enterprises (Training, Component & Sub Project) | - | 0.16 | 3.62 | 61.96 | 81.64 | 29.40 | 87.16 | 263.94 |
| **(C). STATE AND DISTRICT PROJECT MANAGEMENT** | **1.07** | **1.3** | **1.67** | **2.61** | **4.12** | **0.74** | **4.64** | **16.15** |
| Consultancy Services | 0.08 | 0.04 | 0.22 | 0.88 | 1.55 | -2.20 | 0.56 | 1.13 |
| Workshop/ Study Tours | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.23 |
| Incremental Operating Costs | 0.93 | 1.23 | 1.41 | 1.68 | 2.45 | 2.76 | 3.98 | 14.44 |
| Machinery & Equipment | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.35 |
| **TOTAL** | **1.60** | **5.13** | **18.30** | **107.94** | **129.74** | **67.51** | **135.11** | **465.33*** |

*** (This Amount includes Recovery of Rs.25.60 Crores)**

परिशिष्ट–ख

## परियोजना के बजट हैड के अनुसार व्यय राशि का विवरण मार्च,2007 तक

(रुपये)

| S N. | Budget Heads | June-99 to March'01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | Total Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1. | 01 - Salary | 4361263 | 6822729 | 7135304 | 8190779 | 12185260 | 13761254 | 23436520 | 75893109 |
| 2. | 03 - T.A. | 323482 | 264917 | 262533 | 182422 | 255583 | 318887 | 448381 | 2056205 |
| 3. | 04 - Medical | 36807 | 109711 | 103603 | 98420 | 213628 | 204291 | 269403 | 1035863 |
| 4. | 05 - O.E. | 2293947 | 1564092 | 1990159 | 2528766 | 3613537 | 4225169 | 5007577 | 21223247 |
| 5. | 08 - Honoraria & Spl. Services | 6012585 | 12283657 | 20192044 | 54183361 | 77798468 | 78659351 | 93499556 | 342629022 |
| 6. | 16 - Minor Construction | 0 | 22584849 | 107347335 | 351448942 | 330570926 | 103715676 | 134087776 | 1049755504 |
| 7. | 18 - M.E.T.P. | 646020 | 208794 | 270238 | 308223 | 675237 | 1364348 | 237847 | 3710707 |
| 8. | 29 - Work Shop | 182441 | 78579 | 205889 | 194355 | 596827 | 238084 | 794839 | 2291014 |
| 9. | 36 - Hiring of Vehicle | 910062 | 1501410 | 1515748 | 1788883 | 2652308 | 3263898 | 3953305 | 15585614 |
| 10. | 28 - Other Exp. | 0 | 3783118 | 40958327 | 656410074 | 863256019 | 463506276 | 1082752372 | 3110666186 |
| 11. | 41 - Contractual Exp. | 1286553 | 2101667 | 3043510 | 4054686 | 5553421 | 5802013 | 6675135 | 28516985 |
| | Grand Total | 16053160 | 51303523 | 183024690 | 1079388911 | 1297371214 | 675059247 | 1351162711 | 4653363456 * |

*** (This Amount includes Recovery of Rs.25.60 Crores)**

परिशिष्ट–ग

# गतिविधिवार स्वीकृत उप–परियोजनाओं की संख्या मार्च,2007 तक

**(Number)**

| S N. | Name of Sector/ Sub Sector | Baran | Churu | Dausa | Dholpur | Jhalawar | Rajsamand | Tonk | G.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **A.** | **Income Generating Activities** | | | | | | | | |
| 1. | Dairy (Through RCDF) | 208 | 225 | 221 | 232 | 212 | 217 | 181 | 1496 |
| 2. | Dairy (Through NGO) | 154 | 249 | 314 | 357 | 405 | 250 | 563 | 2292 |
| | Dairy | 362 | 474 | 535 | 589 | 617 | 467 | 744 | 3788 |
| 3. | Dairy & Goat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | Goat | 520 | 420 | 513 | 459 | 965 | 540 | 410 | 3827 |
| 5. | Sheep | 0 | 13 | 60 | 5 | 9 | 33 | 324 | 444 |
| 6. | Pig | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 20 |
| 7. | Cage Yard Poultry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Beekeeping | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9. | Fisheries | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Poultry Farm | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 0 | 17 | 49 |
| | Other Livestock | 5 | 6 | 10 | 46 | 13 | 0 | 19 | 99 |
| | Livestock | 887 | 913 | 1118 | 1099 | 1604 | 1040 | 1497 | 8162 |
| 11. | Varmi Compost | 56 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 69 | 180 |
| 12. | Safed Musali (Chlorophytum Borivilianum) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | Pappaya Grawing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Aluvera Growing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | Agriculture related | 57 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 75 | 189 |
| 15. | Weaving & Prining | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 |
| 16. | Cotton Weaving | 2 | 12 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | 79 |
| 17. | Bundi Bandhej Work | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 18. | Rajai Banai (Quilting) | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| | | **2** | **25** | **52** | **0** | **64** | **0** | **20** | **163** |
| 19. | Readymade Garment | 88 | 346 | 49 | 3 | 110 | 129 | 125 | 850 |
| 20. | Regzine Bag Making | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 21. | Wood & Cane Based Activity | 2 | 18 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 51 |
| 22. | Candel Making | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 23. | Bengal Industry (चूडी) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Toy Making | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Minakari Work | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 |
| 26. | Blue Potery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | **Handicraft** | **7** | **21** | **11** | **4** | **5** | **26** | **8** | **82** |
| 27. | Stone Cutting & Carving | 2 | 0 | 38 | 0 | 4 | 14 | 2 | 60 |
| 28. | Nagina Udyog | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61 | 103 |
| 29. | Pearl Drilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| | | **0** | **0** | **42** | **0** | **0** | **0** | **160** | **202** |
| 30. | Galicha Making (Carpet) | 0 | 72 | 55 | 4 | 0 | 0 | 60 | 191 |
| 31. | Durry (दरी) Making | 20 | 40 | 15 | 17 | 83 | 19 | 8 | 202 |
| 32. | Leather Work | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 35 |
| 33. | Rassi Work (Rope Making) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 |
| 34. | Patal Done (Disposabal Dishes) | 7 | 0 | 27 | 1 | 43 | 25 | 25 | 128 |
| 35. | Making of Bans ki Tokari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36. | Jhandu Pankhi Making | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| | | 8 | 1 | 33 | 1 | 53 | 30 | 29 | 155 |
| 37. | Tent House | 97 | 70 | 107 | 68 | 107 | 237 | 196 | 882 |
| 38. | Bartan & Bistar Store | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 129 |
| 39. | Music Band | 59 | 1 | 19 | 11 | 25 | 77 | 11 | 203 |

| S N. | Name of Sector/ Sub Sector | Baran | Churu | Dausa | Dholpur | Jhalawar | Rajsamand | Tonk | G.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 40. | Catering | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 75 |
| 41. | Light Decoration | 57 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 86 |
| 42. | Photography | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 261 | 74 | 131 | 82 | 132 | 470 | 227 | 1377 |
| 43. | Kala Jatha (Local Folk Dance Group) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44. | Cement Jali Manufacturing | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 45. | Iron/ Welding Based Work | 13 | 1 | 13 | 6 | 4 | 11 | 4 | 52 |
| 46. | Making of Soap & Detergent | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 2 | 42 |
| 47. | Neem Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48. | Manufacturing of Bricks from Marbel Slurry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | 21 | 2 | 30 | 7 | 6 | 34 | 13 | 113 |
| 49. | Spice & Flour Mill | 88 | 0 | 34 | 5 | 32 | 48 | 12 | 219 |
| 50. | Thresher Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 51. | Expellers (Oil Processing Unit) | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 8 | 12 | 52 |
| | | **88** | **0** | **57** | **14** | **177** | **56** | **24** | **416** |
| 52. | Finishing Work Floor (फर्शी कार्य) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |
| 53. | RCC Shuttering | 43 | 6 | 62 | 3 | 16 | 41 | 94 | 265 |
| | | 43 | 6 | 68 | 3 | 16 | 61 | 94 | 291 |
| 54. | Backery & Sweets Making | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 55. | Papad (पापड़) Making | 0 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| | | 1 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 37 |
| 56. | Hotel, Dhaba (Road side Hotel) | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 57. | Retail Trading Activity | 161 | 0 | 42 | 22 | 122 | 86 | 26 | 459 |
| 58. | Handpump Repairing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59. | Bicycle Lease Centre | 44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 51 |
| 60. | Camel Cart | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 | 152 |
| 61 | Ox Cart | 15 | 5 | 0 | 0 | 121 | 0 | 54 | 195 |
| | | 15 | 48 | 6 | 0 | 121 | 0 | 157 | 347 |
| | **Sub Total (A)** | **1750** | **1617** | **1730** | **1265** | **2567** | **1977** | **2547** | **13453** |
| **B.** | **Land Based Activities** | | | | | | | | |
| 1. | Anicut | 12 | 0 | 2 | 0 | 29 | 4 | 12 | 59 |
| 2. | Minor Irrigation | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 75 |
| 3. | Talab Nirman | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 13 | 40 |
| | | 12 | 0 | 2 | 32 | 55 | 5 | 68 | 174 |
| 4. | Horticulture | 0 | 337 | 29 | 0 | 4 | 109 | 4 | 483 |
| 5. | Int. Agri. Dev. | 16 | 0 | 517 | 15 | 104 | 0 | 175 | 827 |
| 6. | Orchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 7. | Irrigated Agri. | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 |
| | | 16 | 337 | 546 | 20 | 140 | 109 | 181 | 1349 |
| 8. | Land Levelling & Reclamation | 3 | 16 | 0 | 1 | 2 | 322 | 13 | 357 |
| 9. | Watershed Development | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 10. | Med Bandi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| | | 6 | 16 | 0 | 15 | 2 | 323 | 22 | 384 |
| 11. | Tube-well | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| 12. | Irrigation Well | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 15 | 52 |
| 13. | Lift Irrigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Rain Water Storage Structure & Handpump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15. | Pasture Development | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 25 |
| | **Sub Total (B)** | **55** | **353** | **552** | **95** | **214** | **474** | **296** | **2039** |

| S N. | Name of Sector/ Sub Sector | Baran | Churu | Dausa | Dholpur | Jhalawar | Rajsamand | Tonk | G.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **C.** | **Community Infrastructure** | | | | | | | | |
| 1. | Link Roads | 3 | 24 | 4 | 6 | 8 | 11 | 3 | 59 |
| 2. | Kharanja (Village) | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 42 |
| 3. | Cause - Way | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4. | Retaning Wall & Rapat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Puliya Nirman | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 |
| | | 20 | 24 | 4 | 7 | 53 | 14 | 6 | 128 |
| 6. | Drinking Water (Well+Tubewell) | 0 | 17 | 73 | 15 | 9 | 1 | 7 | 122 |
| 7. | Handpump | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| 8. | School Building | 17 | 37 | 99 | 7 | 21 | 22 | 11 | 214 |
| 9. | Community Building & Sub Center Building | 10 | 9 | 3 | 0 | 95 | 63 | 13 | 193 |
| 10. | Angan Badi Center | 0 | 3 | 22 | 0 | 129 | 4 | 1 | 159 |
| 11. | Room in Ousdhalaya (Ayurvedic Hospital) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Add. Room in School | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 60 |
| 13. | Sub Heath Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 14. | Traveler Waiting Room | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 28 | 50 | 124 | 7 | 316 | 89 | 26 | 640 |
| 15. | WRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | Pond | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 17. | Anicut | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 |
| 18. | Tank | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| | | 5 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 53 |
| 19. | Women Bathroom | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 20. | Sanitary Units Construction | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| | | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 |
| 21. | Bull Shade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Forest Conversation Work | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 23. | Sahariya Housing | 270 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 417 |
| | **Sub Total (C)** | **504** | **92** | **269** | **35** | **573** | **104** | **45** | **1622** |
| **D.** | **Social Services** | | | | | | | | |
| 1. | Food & Grain Bank | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2. | Drinking Water Facilities | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3. | Hand Pump | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Construction of Well | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 5. | Health Camp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Health Sub Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 7. | Sanitary Block | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| | **Sub Total (D)** | **54** | **289** | **0** | **0** | **1** | **1** | **2** | **347** |
| | **G.Total (A+B+C+D)** | **2363** | **2351** | **2551** | **1395** | **3355** | **2556** | **2890** | **17461** |

# परियोजना परिणाम परिदृश्य एक नजर में

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना विश्व बैंक की सहायता से राज्य के सात गरीब जिलों यथा–राजसमन्द, झालावाड़, बारां, चूरू, दौसा, टोंक एवं धौलपुर में जुलाई,2000 से संचालित की गयी।

प्रारम्भ में परियोजना का क्रियान्वयन समयावधि जून,2000 से दिसम्बर,2005 तक निर्धारित थी। इस समयावधि को दो वर्ष बढ़ाकर दिसम्बर,2005 से दिसम्बर,2007 किया गया।

मूल्यांकन हेतु चार जिले (बारां, झालावाड़, चूरू एवं दौसा) एवं आठ पंचायत समितियों का चयन किया गया। मार्च,2006 तक स्वीकृत 56 उप–परियोजनाओं, स्वीकृत नहीं हुई 14 उप–परियोजनाओं तथा 17 सामुदायिक ढ़ाँचागत निर्माण कार्यों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न करवाया गया। परियोजना परिणाम परिदृश्य एक नजर में निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं. | मूल्यांकन के उद्देश्य | परिणाम परिदृश्य |
|---|---|---|
| 1. | परियोजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा | • प्रारम्भ वर्ष 2000–01 से मार्च,2007 तक परियोजना लागत रुपये 64363.00 लाख के विपरीत रुपये 46533.64 (72.30 प्रतिशत) लाख व्यय किये गये।<br>• कार्यकारी विभाग द्वारा आवंटित राशि रुपये 55915.00 लाख के विरूद्ध रुपये 48600.48 (86.92 प्रतिशत) लाख रुपये प्राप्त किये तथा प्राप्त राशि में से रुपये 46533.64 (95.75 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये। वर्ष 2000–01 से 2002–03 एवं 2005–06 में राशि उपलब्ध होने पर भी कम राशि व्यय की गयी। केवल वर्ष 2003–04 एवं 2006–07 में ही प्राप्त राशि से ज्यादा व्यय किया गया।<br>• व्यय की गयी राशि में से 71.99 प्रतिशत राशि सामुदायिक निवेश कोष, 17.42 प्रतिशत भवन निर्माण एवं शेष 10.59 प्रतिशत राशि प्रशासनिक संचालन एवं अन्य मदों पर व्यय की गयी। |

| | | |
|---|---|---|
| | | • मार्च,2007 तक 22,952 समान रूचि समूहों का गठन कर 20477 उप–परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। कुल गठित समूहों में से 8058 (35.11 प्रतिशत) महिला समूह गठित किये गये। गठित समूहों के कुल 246330 सदस्यों में से 111835 (45.40 प्रतिशत) महिला सदस्य बनाये गये। |
| 2. | समान रूचि समूहों के गठन की पात्रता एवं चयनित गतिविधि की उपयुक्तता | • चयनित 56 समूहों के 623 सदस्यों में से 580 (93.10 प्रतिशत) सदस्य बी.पी.एल.चयन सूची में से एवं शेष 43 (6.90 प्रतिशत) सदस्य वंचित रहे अन्य गरीब परिवारों के सदस्य है।<br>• चयनित समूहों के शत–प्रतिशत सदस्य एक ही समूह के सदस्य है।<br>• शत–प्रतिशत समूहों में एक परिवार का एक ही सदस्य समूह में शामिल होना पाया गया।<br>• चयनित 56 समूहों के 623 सदस्य परिवारों में से 17 (30.36 प्रतिशत) समूहों के 73 (12.72 प्रतिशत) सदस्य दूसरे समूहों के सदस्य है। अर्थात् एक ही परिवार के अन्य व्यक्ति (लगभग 13 प्रतिशत) दूसरे समूह के सदस्य बनकर परिसम्पत्ति अर्जित की है।<br>• ज्यादातर उप–परियोजनाओं का चयन प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, सदस्यों के परम्परागत व्यवसाय, कार्यदक्षता क्षेत्र की माँग को ध्यान में रखकर किया गया परन्तु चयन के समय सदस्यों की संचालन क्षमता को ध्यान में नहीं रखने, समूह सदस्य अशिक्षित एवं जागरूक नहीं होने, उप–परियोजना की गतिविधि के सफल नहीं होने के भय आदि के कारण से समूहों में विघटन व उप–परियोजना संशोधन किया जाना पाया गया। |
| 3. | कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका की सार्थकता | • चयनित समूहों की उप–परियोजनाओं में समूह गठन से गतिविधि संचालित करवाने में काफी समय लगाया गया तथा काफी धीमी गति से |

| | | |
|---|---|---|
| | | कार्य किया गया। इन संगठनों द्वारा निर्धारित उत्तरदायित्वों को पूर्णरूपेण यथासमय निर्वहन नहीं किया जाना पाया गया। |
| 4. | उपलब्ध करायी गयी परिसम्पत्तियों/संसाधनों की भौतिक स्थिति एवं संचालित गतिविधि की क्रियाशीलता एवं वास्तविक स्थिति | • चयनित 56 उप–परियोजनाओं में से 47 (83.93 प्रतिशत) उप–परियोजनाओं के स्वीकृत कार्य पूर्ण एवं शेष 9 (16.07 प्रतिशत) के अपूर्ण पाये गये।<br>• 46 (82.14 प्रतिशत) समूहों के संसाधन पूर्ण उपयोग में, 3 (5.36 प्रतिशत) के आंशिक रूप से उपयोग में लिया जाना एवं शेष 7 (12.50 प्रतिशत) समूहों द्वारा गतिविधि संचालित नहीं किया जाना पाया गया।<br>• 56 समूहों में से 53 (94.64 प्रतिशत) समूहों के पास संसाधन उपलब्ध होना एवं शेष 3 (5.36 प्रतिशत) समूहों के विघटन के कारण संसाधनों का बटवारा कर निवास स्थान पर ले जाना पाया गया।<br>• 623 सदस्यों में 584 (94.22 प्रतिशत) सदस्यों के पास संसाधन उपलब्ध होना, 6(0.96 प्रतिशत) सदस्यों के पास आंशिक रूप से एवं शेष 30 (4.82 प्रतिशत) सदस्यों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं होना पाया गया। |
| 5. | संचालित गतिविधि हेतु पूँजीगत एवं कार्यशील उपलब्धता एवं पर्याप्तता | • 53 (94.64 प्रतिशत) समूहों ने पूँजीगत राशि को पर्याप्त एवं 3 (5.36 प्रतिशत) समूहों यथा डेयरी एवं आवास निर्माण ने अपर्याप्त अवगत कराया।<br>• उप–परियोजना स्वीकृति दिनांक से अन्तिम किश्त की राशि प्राप्त करने में 51.79 प्रतिशत समूहों द्वारा 4 माह में, 16.07 प्रतिशत समूहों ने 4–8 माह, 14.28 प्रतिशत समूहों ने 8–12 माह एवं 17.86 प्रतिशत समूहों ने 12 माह से ज्यादा समय में राशि उपलब्ध होना अवगत कराया गया।<br>• आय सृजित उप–परियोजनाओं के 39 समूहों में से 11 (28.21 प्रतिशत) समूहों ने कार्यशील |

| | | |
|---|---|---|
| | | राशि की आवश्यकता अवगत करायी उनमें से केवल 2 समूहों ने बैकों से कार्यशील राशि उपलब्ध होना अवगत कराया। |
| 6. | व्यक्तिगत आय, क्षेत्र एवं संसाधन आधारित गरीबी पर पड़े प्रभाव | • परियोजना क्षेत्र के 7039 गाँवों में से 5885 (83.61 प्रतिशत) गाँवों को गैर–सरकारी संगठनों एवं 2170 (30.83 प्रतिशत) गाँवों को आर.सी.डी.एफ. को मार्च,2007 तक आवंटित किये गये। 16.39 प्रतिशत गाँव केवल आर.सी.डी.एफ. को आवंटित करने के कारण डेयरी की उप–परियोजनाएं संचालित की जा सकेगी। इन ग्रामों में अन्य आय सृजित, भूमि आधारित एवं अन्य सामुदायिक सेवा कार्य नहीं हो पायेगें।<br>• परियोजना के क्रियान्वयन में आय सृजित उप–परियोजनाओं का बाहुल्य रहना, भूमि आधारित एवं सामुदायिक निर्माण कार्य करवाने से आशाजनक/सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गैर–सरकारी संगठनों के अभाव के कारण समावेशित नहीं किये गाँवों में कोई प्रभाव पड़ना नहीं पाया गया।<br>• आय सृजित एवं भूमि आधारित समूहों की उप–परियोजनाओं से क्रमशः 50.72 एवं 33.52 प्रतिशत आय में वृद्धि पायी गयी।<br>• सामुदायिक आधारभूत निर्माण कार्यों यथा शौचालय एवं स्नानघर निर्माण, आवास निर्माण इत्यादि से परिसम्पत्ति सृजित होने के कारण दूषित वातावरण, पर्यावरण एवं स्वच्छता पर अनुकूल प्रभाव देखा गया। आवास सुविधा से सामाजिक स्तर बढ़ना, बच्चों की पढ़ाई में सुविधा, निर्माण के समय रोजगार मिलना इत्यादि पर सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ।<br>• झालावाड़ जिले की प्रगति तुलनात्मक रूप से अच्छी देखी गयी। |
| 7. | समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत आय में पड़े प्रभाव | • आय सृजित 38 समूहों के 406 सदस्यों में से 10 समूहों के 93 सदस्यों द्वारा सर्वे दिनांक तक स्वीकृत कार्यों के अपूर्ण रहने एवं |

| | | |
|---|---|---|
| | | व्यवसाय संचालन किये हुए कम समय होने के कारण आय में वृद्धि अपेक्षित नहीं पायी गयी तथा शेष 28 समूहों के 313 सदस्यों में से 112 (35.78 प्रतिशत) सदस्यों की आय 20,000 रुपये से ज्यादा एवं शेष 201 (64.22 प्रतिशत) सदस्यों की आय 20,000 रुपये तक पायी गयी। |
| 8. | सामुदायिक ढ़ाँचागत कार्यों से हुए सामुदायिक लाभों, बी.पी.एल. परिवारों को मिले लाभ एवं समाज पर पड़े प्रभाव | • चयनित ग्रामों में 17 निर्माण कार्य पेयजल कार्य यथा ट्यूवबैल, कुआ एवं हैण्ड़पम्प, खुरा खंरजा निर्माण, भवन निर्माण यथा आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप–स्वास्थ्य केन्द्र, भवन चारदीवारी, शौचालय एवं स्नानघर इत्यादि कार्य ग्राम की आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये।<br>• 17 कार्यों में से 3 कार्य यथा– एक कूप निर्माण का अपूर्ण रहने एवं दो ट्यूवबैल का उपयोग में नहीं लिये जाने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष 14 कार्यों से परिसम्पत्ति सृजित होने के साथ–साथ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है तथा भवन निर्माण से बच्चों, रोगियों, ग्रामवासियों को सुविधाएं प्राप्त हुई है। हैण्ड़पम्प से पेयजल व्यवस्था हुई है।<br>• निर्माण कार्यों में गाँव के बी.पी.एल.परिवारों में से ही 90 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया। |
| 9. | परियोजना संचालन में अनुभूत की गयी कठिनाईयाँ ज्ञात करना एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव देना। | • परियोजना क्षेत्र के गाँवों में प्रतिष्ठित एवं सक्रिय गैर–सरकारी संस्थान व कार्यकर्त्ताओं की अपर्याप्तता, धीमी गति से कार्य करना, समूहों में असहयोग, असमन्वयन एवं मतभेद आदि कारणों से परियोजना अपेक्षाओं के अनुरूप पल्लवित नहीं हो सकी। कमियाँ एवं सुझावों का विस्तृत विवरण अध्याय–चार में वर्णित है। |

————

# प्रतिवेदन कार्य में सहभागी अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

| क्र. सं. | नाम | पद | पदस्थापन |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री एस.एन.गुप्ता | उपनिदेशक (दिनांक 31–7–2007 को सेवानिवृत्त) | मुख्यालय, जयपुर |
| 2. | श्री भगवान सहाय यादव | सहायक निदेशक (O) | मुख्यालय, जयपुर |
| 3. | श्री चौथमल शर्मा | अन्वेषण सहायक | मुख्यालय, जयपुर |
| 4. | श्रीमती कमला मेहता | अन्वेषण सहायक | मुख्यालय, जयपुर |
| 5. | श्रीमती इन्दिरा शर्मा | अन्वेषक | मुख्यालय, जयपुर |
| 6. | श्रीमती दुर्गेश सक्सेना | अन्वेषक | मुख्यालय, जयपुर |
| 7. | श्री कैलाशपति शर्मा | कम्पाईलर | मुख्यालय, जयपुर |
| 8. | श्री बृजमोहन | शीघ्रलिपिक | मुख्यालय, जयपुर |
| 9. | श्री सीताराम यादव | अन्वेषक | क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, सीकर |
| 10. | श्री दयाशंकर शर्मा | जिला मूल्यांकन अधिकारी | क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, अलवर |
| 11. | श्री भूपेन्द्र शर्मा | अन्वेषक | क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, अलवर |
| 12. | श्री दीनदयाल शर्मा | अन्वेषक | क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, अलवर |
| 13. | श्री मेघराज गोयल | जिला मूल्यांकन अधिकारी | क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, कोटा |
| 14. | श्री रवि शंकर शर्मा | अन्वेषण सहायक | क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, कोटा |
| 15. | श्री महेन्द्र कुमार शर्मा | अन्वेषक | क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, कोटा |

———